يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء 59)

क़ुरान और हदीस

इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन सोर्स

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(سورة النساء 59)

क़ुरान और हदीस

इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन सोर्स

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاة وَالسَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيم وَعَلىٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके क़ुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की क़ुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूटूयब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पुर न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

इस किताब (क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडियोलॉजी के मैन

सोर्स) में ज़िक्र किया गया है कि जिस तरह ईमान के मामले में अल्लाह और उसके रसूल के दरमयान तफरीक़ नहीं की जा सकती है कि एक को माना जाए और दुसरे को न माना जाए। ठीक इसी तरह कलामुल्लाह (कुरान करीम) और कलामे रसूल (हदीस) के दरमयान भी किसी तफरीक़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक को माना जाए और दूसरे को न माना जाए क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के इंकार पर दुसरे का इंकार खुद बखुद लाज़िम आ जाएगा। क़ुराने करीम और हदीसे नबवी से मुतअल्लिक़ दूसरे बहुत से मज़ामीन भी इस किताब का हिस्सा हैं।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

(مفتی) ابو القاسم نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No..........   Date:...................

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیئے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۱۴۳۷/۶/۳ھ

15, South Avenue, New Delhi 110011
Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314
E-mail: mahaqqasmi@gmail.com

Date 15/03/2016

تاثرات

عصرِ حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کردیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچادیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعّال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات وجد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک سبھا (انڈیا)
وصدر آل انڈیا تعلیمی وملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی

Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل و ابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنیٰ ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلینج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جواز ہر ہند دار العلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ اندازِ تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

नुज़ूल व हिफाज़ते क़ुरान करीम

क़ुरान: क़ुरान करीम अल्लाह तआला का वह अज़ीमुश्शान कलाम है जो इंसानों की हिदायत के लिए खालिके कायनात ने अपने आखरी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम की हिफाज़त खुद अपने ज़िम्मे ली जैसा कि अल्लाह तआला का फैसला क़ुरान करीम में मौजूद है (सूरह अलहिजर आयत 9) "**यह ज़िक्र (यानी क़ुरान) हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं**" क़ुरान करीम आखरी आसमानी किताब है जो क़यामत तक के लिए नाफ़िज़ुल अमल रहेगी, बरखिलाफ पहली आसमानी किताबों के वह खास कौमों और खास ज़मानों के लिए थीं। इसी लिए अल्लाह तआला ने इन को क़यामत तक महफूज़ रखने की कोई ज़मानत नहीं दी थी लेकिन अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम की हिफाज़त का ज़िम्मा खुद लिया है।

वही: क़ुरान करीम चूंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिया नाज़िल किया गया है इस लिए सबसे पहले वही के बारे में जानें। वही वह कलाम है जो अल्लाह तआला हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के वास्ता या बिला वास्ता अपने अम्बिया पर इल्का फरमाता है, जिसके जरिया खालिके कायनात इंसान को दुनयावी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बतलाता है ताकि लोग उसके बतलाए हुए तरीके पर दुनयावी ज़िंदगी गुज़ार कर जहन्नम से बच कर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जाएं।

इंसान तीन ज़राए में से किसी एक ज़रिया से इल्म हासिल करता है। एक इंसान के हवास यानी आँख, कान, मुंह और हाथ पांव, दूसरा ज़रिया अक़्ल और तिसरा ज़रिया वही है। इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिया मालूम हो जाती है जबकि बहुत सी अक़्ल के ज़रिया और जो बातें उन दोनों ज़राए से मालूम नहीं हो सकतीं उनका इल्म वही के ज़रिया अता किया जाता है। हवास और अक़्ल के ज़रिया हासिलशुदा इल्म में गलती के इमकान होते हैं लेकिन वही के ज़रिया हासिलशुदा इल्म में गलती के इमकान बिल्कुल नहीं होते क्योंकि यह इल्म खालिके कायनात की जानिब से अम्बिया के ज़रिया से इंसानों को पहुंचता है। गरज़ ये कि वही इंसान के लिए वह आलातरीन ज़रिया इल्म है जो उसे उसकी जिंदगी से मुतअल्लिक इन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो अक़्ल व हवास के ज़रिया हल नहीं हो सकते। यानी सिर्फ अक़्ल और मुशाहिदा इंसान की रहनुमाई के लिए काफी नहीं है बल्कि उसकी हिदायत के लिए वही-ए-इलाही एक नागुज़ीर जरूरत है। चूंकि वही अक़्ल और मुशाहिदा से बढ़कर इल्म है लिहाज़ा जरूरी नहीं कि वही की हर बात का इदराक अक़्ल से हो सके।

नुज़ूले वही के चंद तरीके:

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीकों से वही नाज़िल होती थी।

(1) घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती और आवाज़ ने जो कुछ कहा होता वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता। जब इस तरीका पर वही नाज़िल होती थी तो आप पर बहुत

ज्यादा बोझ पड़ता था।

(2) फरिशता किसी इंसानी शकल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और अल्लाह तआला का पैगाम पहुंचा देता। ऐसे मौक़ा पर उमुमन हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम मशहुर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सूरत में तशरीफ लाया करते थे।

(3) हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में तशरीफ लाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है। एक नुबुवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दूसरी बार खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम से उनकी असल सुरत में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी और तीसरी बार मेराज के मौक़ा पर।

(4) बिला वास्ता अल्लाह तआला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमकलामी हुई। यह सिर्फ एक बार मेराज के मौक़ा पर हुआ। नमाज़ की फर्ज़ीयत इसी मौक़ा पर हुई।

(5) हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए बेगैर आप के सीने में इल्का फरमा देते थे।

तारीख नुज़ूले क़ुरान: माहे रमज़ान की एक बाबरकत रात लैलतुलकदर में अल्लाह तआला ने लौहे महफूज़ से समा-ए-दुनिया पर क़ुरान करीम नाज़िल फरमाया और उसके बाद हसबे जरूरत थोड़ा-थोड़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा और तकरीबन 23 साल के अरसा में क़ुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। क़ुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल उस वक़्त

शुरू हुआ जब आप की उम्र चालीस साल थी। क़ुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें गारे हिरा में उतरीं वह सूरह अलक की इब्तिदाई आयात हैं। "**पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिस ने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है**" इस पहली वही के नुजूल के बाद तीन साल तक वही के नुज़ूल का सिलसिला बन्द रहा। तीन साल के बाद वही फरिशता जो गारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सूरह अलमुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयात आप पर नाज़िल फरमाईं। "**ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो**"

इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वही का तदरीजी सिलसिला जारी रहा। क़ुरान करीम का सबसे छोटा हिस्सा जो मुसतकिल नाज़िल हुआ वह (अन निसा आयत 95) है, जो एक लम्बे आयत का टुकड़ा है। दूसरी तरफ पूरी सूरतुल इनाम एक ही मरतबा में नाज़िल हुई है। गरज़ ये कि तकरीबन 23 साल के अरसा में क़ुरान करीम पूरा नाज़िल हुआ।

क़ुरान करीम के थोड़-थोड़ा नुज़ूल का मकसद:

दूसरे आसमानी किताबों के बरखिलाफ क़ुरान करीम को एक दफा नाज़िल करने के बजाए थोड़ा-थोड़ा नाज़िल किया गया। इसकी वजह खुद अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में मुशरेकीन मक्का के जवाब में इन अल्फाज़ में बताई है।

“**और यह काफिर लोग कहते हैं कि इन पर सारा क़ुरान एक ही दफा में क्यों नाज़िल नहीं कर दिया गया? (ऐ पैगम्बर) हमने ऐसा इस लिए नहीं किया ताकि इसके जरिये तुम्हारा दिल मज़बूत रखें और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है और जब कभी यह लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें (इसका) ठीक ठीक जवाब और ज्यादा वज़ाहत के साथ अता कर देते हैं**।” (सूरतुल फुरक़ान आयत 32,33)

इमाम राज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) ने इस आयत की तफसीर में क़ुरान करीम के थोड़ा थोड़ा नाज़िल होने की जो हिकमतें बयान फरमाई हैं, उनका खुलासा यह है।

(1) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी (अनपढ़) थे, इस लिए अगर सारा क़ुरान एक मरतबा नाज़िल हो गया होता तो इसका याद रखना और ज़ब्त करना दुशवार होता।

(2) अगर पूरा क़ुरान एक दफा में नाज़िल हो जाता तो तमाम अहकामों की पाबंदी जल्दी लाज़िम हो जाती और यह इस हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता जो शरीअत मोहम्मदी में मलहूज़ रही है।

(3) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़ौम की तरफ से हर रोज़ नई अज़ियतें बर्दाशत करनी पड़ती थी, हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम का बार बार क़ुरान करीम लेकर आना इन अज़ियतों के मुक़ाबले को आसान बना देता था और आप की तक़वियत का सबब बनता था।

(4) क़ुरान करीम का एक हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाक़यात से मुतअल्लिक है, इस लिए इन आयतों का नुज़ूल इसी वक़्त मुनासिब था जिस वक़्त वह सवालात किए गए या

वह वाक़यात पेश आए।

मक्की व मदनी आयात और सूरतें: हिजरते मदीना मुनव्वरा से पहले तकरीबन 13 साल तक क़ुरान करीम के नुज़ूल की आयात व सूरतों को मक्की और मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद तकरीबन 10 साल तक क़ुरान करीम के नुज़ूल की आयात व सूरतों को मदनी कहा जाता है। किसी सूरत के मदनी होने के मतलब यह नही के इस सूरत की हर आयत मदीना मुनव्वरा हिजरत करने के बाद नाज़िल हुई हो बल्कि अक्सर आयतों के नुज़ूल के इतिबार से सूरत को मक्की या मदनी कहा गया है।

तारीख हिफाज़ते क़ुरान: जैसा कि ज़िक्र किया गया कि क़ुरान करीम एक ही दफा में नाज़िल नहीं हुआ बल्कि ज़रूरत और हालात के इतिबार से मुख्तलिफ आयात नाज़िल होती रहीं। क़ुरान करीम की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े क़ुरान पर ज़ोर दिया गया। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज़ को उसी वक़्त दोहराने लगते थे ताकि वह अच्छी तरह याद हो जाऐं। इस पर अल्लाह तआला की जानिब से वही नाज़िल हुई कि अैने नुज़ूले वही के वक़्त जल्दी जल्दी अल्फाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अल्लाह तआला खुद आप में ऐसा हाफज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूले वही के बाद आप उसे भूल नहीं सकेंगे। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज़े क़ुरान हैं। चुनांचे हर साल माहे रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के साथ क़ुरान के नाज़िलशुदा हिस्सों का

दौर फरमाया करते थे। जिस साल आप का इंतिकाल हुआ उस साल आपने दो बार क़ुरान करीम का दौर फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-कराम को क़ुरान की तालीम ही नहीं देते थे बल्कि उसके अल्फाज़ भी याद कराते थे। खुद सहाबा-ए-कराम को क़ुरान करीम याद करने का इतना शौक था कि हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में रहता था। चुनांचे हमेशा सहाबा-ए-कराम में एक अच्छी खासी जमाअत एसी रहती जो नाज़िलशुदा क़ुरान की आयात को याद कर लेती और रातों को नमाज़ में उसे दोहराती थी। गरज़ ये कि क़ुरान करीम की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े क़ुरान पर ज़ोर दिया गया और उस वक़्त के लिहाज़ से यही तरीका ज्यादा महफूज़ और काबिले इतिमाद था।
क़ुरान करीम की हिफाज़त के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान करीम को लिखवाने का भी खास इहतिमाम फरमाया, चुनांचे नुज़ूले वही के बाद आप कातेबिने वही को लिखवा दिया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि जब क़ुरान करीम का कोई हिस्सा नाज़िल होता तो आप कातिबे वही को यह हिदायत फरमाते थे कि इसे फ्लां सूरत में फ्लां आयत के बाद लिखा जाए। उस ज़माने में कागज़ नहीं मिलते थे इस लिए यह कुरानी आयात ज्यादातर पत्थर की सिलों, चमड़ें के पारचों, खजूर की शाखों, बांस के टुकड़ों, पेड़ के पत्तों और जानवर की हडिडयों पर लिखी जाती थीं। कातिबे वही में हज़रत जैद बिन साबित, खुलफाए राशिदीन, हज़रत ओबय बिन काब, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत मआविया के नाम खास तौर पर ज़िक्र किए जाते हैं।

हज़रत अबू बकर सिद्दीक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में हिफाज़ते क़ुरान:

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने क़ुरान करीम के नुसखे लिखे हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अहदे खिलाफत में जब जंगे यमामा के दौरान हुफ्फाज़े क़ुरान की एक बड़ी जमाअत शहीद हो गई तो हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को क़ुरान करीम को एक जगह जमा करवाने का मशविरा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इब्तिदा में इस काम के लिए तैयार नहीं थे लेकिन शरहेसदर के बाद वह भी इस अज़ीम काम के लिए तैयार हो गए और कातिबे वही हज़रत जैद बिन साबित को इस अहम व अज़ीम अमल का ज़िम्मेदार बनाया। इस तरह क़ुरान करीम को एक जगह जमा करने का अहम काम शुरू हो गया।

हज़रत ज़ैद बिन साबित खुद कातिबे वही होने के साथ पूरे क़ुरान करीम के हाफिज़ थे। वह अपनी याददाशत से भी पूरा क़ुरान लिख सकते थे, उनके अलावा उस वक़्त सैकड़ों हुफ्फाज़े क़ुरान मौजूद थे मगर उन्होंने इहतियात के पेशेनज़र सिर्फ एक तरीक़े पर बस नहीं किया बल्कि उन तमाम ज़राये से बयक वक़्त काम लेकर उस वक़्त तक कोई आयत अपने सहीफे में दर्ज नहीं की जब तक कि उसके मुतवातिर होने की तहरीरी और ज़बानी शहादतें नहीं मिल गईं। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान की जो आयात अपनी निगरानी में लिखवाई थीं वह मुख्तलिफ सहाबा-ए-कराम के पास महफूज़ थीं, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने उन्हें यकजा

फरमाया ताकि नया नुसखा उन्ही से नक़ल किया जाए, इस तरह खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अहदे खिलाफत में क़ुरान करीम एक जगह जमा कर दिया गया।

हज़रत उसमान गनी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में हिफाज़ते क़ुरान:

जब हज़रत उसमान खलीफा बने तो इस्लाम अरब निकल कर दूर दराज़ अजमी इलाकों तक फैल गया था। हर नए इलाके के लोग उन सहाबा व ताबेईन से क़ुरान सिखते जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत हासिल हुई थी। सहाबा-ए-कराम ने क़ुरान करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किरातों के मुताबिक सिखा था। इस लिए हर सहाबी ने अपने शागिर्द को इसी किरात के मुताबिक क़ुरान पढ़ाया जिसके मुताबिक खुद उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था। इस तरह किरातों का यह इख्तिलाफ दूर दराज मुल्कों तक पहुंच गया। लोगों ने अपनी किरात को हक और दूसरी किरातों को गलत समझना शुरू कर दिया, हालांकि अल्लाह तआला ही की तरफ से इजाज़त है कि मुख्तलिफ किरातों में क़ुरान को पढ़ा जाए। हज़रत उसमान गनी ने हज़रत हफसा के पास पैगाम भेजा कि उनके पास (हज़रत अबू बकर सिद्दीक के तैयार कराए हुए) जो सहीफे मौजूद हैं वह हमारे पास भेज दें। चुनांचे हज़रत जैद बिन साबित की सरपरस्ती में एक कमेटी तशकील देकर उनको मुकल्लफ किया गया कि वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सहीफे से नक़ल करके क़ुरान करीम के चंद ऐसे नुसखे तैयार करें जिनमें सूरतें भी मुरत्तब हों। चुनांचे क़ुरान करीम के चंद नुसखे

तैयार हुए और उनको मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया गया ताकि उसी के मुताबिक नुसखे तैयार करके तकसीम कर दिए जाए। इस तरह उम्मते मुस्लिमा में इखतिलाफ बाकी न रहा और पूरी उम्मते मुस्लिमा इसी नुसखे के मुताबिक क़ुरान करीम पढ़ने लगी। बाद में लोगों की सहूलत के लिए क़ुरान करीम पर नुकते व हरकात (ज़बर, ज़ेर और पेश) भी लगाए गऐं। इसी तरह बच्चों को पढ़ाने के सहूलत के मद्देनज़र क़ुरान करीम को तीस पारों में तकसीम किया गया। नमाज़ में तिलावते क़ुरान की सहूलत के लिए रुकु की तरतीब भी रखी गई।

अल्लाह तआला हमें इहतिमाम से क़ुरान करीम की तिलावत करने वाला बनाए, उसको समझ कर पढ़ने वाला बनाए, उसके अहकाम व मसाएल पर अमल करने वाला बनाए और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। आमीन

कुरान फहमी हदीस नबवी के बेगैर मुमकिन नहीं

कुरान: कुरान करीम अल्लाह तआला का वह अज़ीमुश्शान कलाम है जो इंसानों की हिदायत के लिए खालिक़े कायनात ने अपने आखरी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक़वाल व अफआल के ज़रिया लोगों के सामने उसके अहकाम व मसाएल बयान फरमा दें।

हदीस: हदीस उसको कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल या अमल या किसी सहाबी के अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात में किसी सिफत का ज़िक्र किया गया हो।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के मुफस्सिरे अव्वल:

कुरान व हदीस की तारीफ से ही यह बात वाज़ेह हो जाती है कि जिस पर कुरान करीम नाज़िल हुआ उसके अक़वाल व अफआल के बेगैर कुरान करीम को कैसे समझा जा सकता है? खुद अल्लाह तआला ने कुरान करीम में बहुत बार इस हकीकत को बयान फरमाया है, जिनमें से दो आयात के तर्जुमे नीचे दिए गए हैं

“**यह किताब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी है ताकि लोगों की जानिब जो हुकुम नाज़िल फरमाया गया है आप**

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वह गौर व फिक्र करें।” (सूरह अन नहल 44)
“**यह किताब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए उतारी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हर उस चीज़ को वाज़ेह कर दें जिसमें वह इख्तिलाफ कर रहे हैं।**” (सूरह अन नहल 64)
अल्लाह तआला ने इन दोनों आयात के तर्जुमे में वाज़ेह तौर बयान फरमा दिया कि क़ुरान करीम के मुफस्सिरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ज़िम्मेदारी आएद की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाएल खोल खोल कर बयान करें और हमारा ईमान यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल व अफआल के ज़रिया क़ुरान करीम के अहकाम व मसाएल बयान करने की ज़िम्मेदारी बहुस्न खूबी अंजाम दी। सहाबा कराम, ताबईन और तबेताबईन के ज़रिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल यानी हदीस नबवी के जखीरा से क़ुरान करीम की पहली अहम और बुनियादी तफसीर इंतिहाई क़ाबिले इतिमाद जराय से उम्मते मुस्लिमा को पहुंची है लिहाज़ा क़ुरान फहमी हदीस के बेगैर मुमकिन ही नहीं है।

अल्लाह की इताअत के साथ रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी जरूरी:

अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम की सैकड़ों आयात में अपनी इताअत

के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुकुम दिया है। कहीं फरमाया "**अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो।**" और किसी जगह फरमाया "**अल्लाह और रसूल की इताअत करो।**" इन सब जगहों पर अल्लाह तआला की तरफ से बन्दों से एक ही मुतालबा है कि फरमाने इलाही की तामील करो और इरशाद नबवी की इताअत करो। गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में बहुत जगहों पर यह बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी कि अल्लाह तआला की इताअत के साथ रसूलूल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी जरूरी है और अल्लाह तआला की इताअत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बेगैर मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तआला ने हमें रसूल की इताअत का हुकुम दिया और रसूल की इताअत जिन वास्तों से हम तक पहुंची है यानी अहादीस का ज़खिरा अगर उन पर हम शक व शुब्हा करें तो गोया हम क़ुरान करीम की सैकड़ों आयात के मुंकिर हैं या ज़बाने हाल से यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने ऐसी चीज़ का हुकुम दिया है यानी इताअते रसूल जो हमारे इखतियार में नहीं है।
सूरह अननिसा आयत 80 में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इताअते इलाही करार देते हुए फरमाया "**जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह तआला की इताअत की**।"
सूरह आले इमरान आयत 31 में अल्लाह तआला ने इताअते रसूल को हुब्बे इलाही का मेयार करार दिया है यानी अल्लाह तआला से मुहब्बत रसूल की इताअत में है, चुनांचे इरशादे बारी तआला है "**ऐ नबी! लोगों से कह दें कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह तआला से**

मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तआला तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा।”

अल्लाह तआला ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर दाइमी जन्नत नीज़ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर दाइमी अज़ाब का फैसला फरमाया “**जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह तआला ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी और बागों में वह हमेशा रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुक़र्ररह हदों से आगे निकलेगा उसे वह जहन्नम में डाल देगा जिसमें वह हमेशा रहेगा, ऐसों ही के लिए रूसवा कुन अज़ाब है।**” गरज़ ये कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत न करने वालों का ठिकाना जहन्नम है। (सूरह अननिसा आयत 13, 14) दूसरी जगह इरशाद बारी है “**जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह तआला ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी और जो मुंह फेरेगा उसे दर्दनाक अज़ाब देगा।**” (सूरह फतह आयत 17)

अल्लाह तआला ने कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल व अमल यानी हदीस नबवी को नमूना बना कर इरशाद फरमाया “**बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऊमदा नमूना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह तआला की और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है और बहुत ज्यादा अल्लाह की याद करता है।**” (सूरह अल अहज़ाब आयत 21) यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की पूरी जिंदगी के अहवाल जो अहादीस के ज़ख़ीरे की शकल में हमारे पास महफ़ूज़ हैं कल क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है ताकि हम अपनी ज़िन्दगियाँ उसी नमूना के मुताबिक गुज़ारें।

इताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्ज़ीयत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से।

सारे अम्बिया के सरदार व आखरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़ुरान करीम के साथ सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को जरूरी करार दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल को जाने बेगैर इताअते रसूल मुमकिन ही नहीं है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल हदीस के ज़खिरा ही में तो मौजूद हैं। हदीस की लगभग पूरी किताबों में इताअते रसूल के मुतअल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तवातुर के साथ मौजूद हैं, इनमें से सिर्फ तीन अहादीस पेशे खिदमत है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की।**" (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूं तो उससे रूक जाओ और जब मैं तुम्हें किसी काम का हुकुम दूं तो हसबे इस्तिताअत उसपर अमल करो।**" (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**मेरी उम्मत के तमाम अफराद जन्नत में जाएंगे सिवाए उन लोगों के जिन्होंने इंकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल दुखूले जन्नत से कौन इंकार कर सकता है? तो आप ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसके (दुखूले जन्नत से) इंकार किया।**" (बुखारी व मुस्लिम)

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की फर्ज़ीयत पर इजमाये उम्मत

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और इंतिकाल के बाद सहाबा कराम के अमल से उम्मते मुस्लिमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की इत्तिबा के फ़र्ज़ होने पर इजमा किया है क्यूंकि सहाबा कराम किसी भी मसअला का हल पहले क़ुरान करीम में तलाश किया करते थे फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, इसी वजह से जमहूर उलमा कराम ने वही की दो किसमें की हैं।

वही मतलू "**वह वही जिसकी तिलावत की जाती है, यानी क़ुरान करीम, जिसका एक एक हर्फ कलामे इलाही है**।"

वही गैर मतलू "**वह वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती, यानी हदीसे रसूल जिसके अल्फाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं लेकिन बात अल्लाह तआला की है**।"

जैसा कि सूरह अल नजम की इब्तिदाई आयात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है "**और न वह अपनी ख्वहिश से कोई बात कहते हैं, वह तो सिर्फ वही जो उतारी जाती है**।" सूरह अलबकरा आयत 129

से भी यह बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो जाती है "**ऐ हमारे रब! इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हे किताब व हिकमत सिखाए और इनको पाकीज़ा बनाए**।" यहां किताब से मुराद क़ुरान करीम और हिकमत से मुराद हदीस है।

क़ुरान करीम में मुजमल अहकाम: क़ुरान करीम में ओमुमन अहकाम की तफसील मज़कूर नहीं है यहां तक कि इस्लाम के बुनियादी अरकान नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज के अहकाम भी क़ुरान करीम में तफसील के साथ मज़कूर नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला के हुकुम के मुताबिक अपने अक़वाल व आमाल से उन मुजमल अहकाम की तफसील बयान की है। अल्लाह तआला इसी लिए नबी व रूसूल भेजता है ताकि वह अल्लाह तआला के अहकाम अपने अक़वाल व आमाल से उम्मतियों के लिए बयान करें। मसलन अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में बेशुमार मक़ामात पर नमाज़ पढ़ने, रुकू करने और सजदा करने का हुकुम दिया है लेकिन नमाज़ की तफसील क़ुरान करीम में मज़कूर नहीं है कि एक दिन में कितनी नमाज़ें अदा करनी हैं? क़याम या रुकू या सजदा कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा? और इसमें क्या पढ़ा जाएगा? एक वक़्त में कितनी नमाज़ें अदा करनी हैं? इसी तरह क़ुरान करीम में ज़कात की अदाएगी का तो हुकुम है लेकिन तफसीलात के बारे जिक्र नहीं हैं कि ज़कात की अदाएगी रोज़ाना करनी है या साल भर में या पांच साल में या जिंदगी में एक मर्तबा? फिर यह ज़कात किस हिसाब से दी जाएगी? किस माल पर ज़कात वाजिब है और उसके लिए क्या क्या शराएत हैं? गरज़ ये कि अगर

हदीस नबवी को कुराम की पहली अहम और बुनियादी तफसीर मानने से इंकार करें तो कुरान करीम की वह सैकड़ों आयात जिनमें नमाज़ पढ़ने रोज़ा रखने ज़कात और हज की अदाएगी का हुकुम है वह सब अल्लाह की पनाह बेमाना हो जाएंगी।
इसी तरह कुरान करीम (सूरह अलमाइदा 38) में हुकुम है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों हाथ काटें या एक हाथ? और अगर एक हाथ काटें तो दहिना काटें या बाँया? फिर उसे काटे तो कहां से? बगल से या कोहनी से या कलाई से? या इनके बीच में किसी जगह से? फिर कितने माल की कीमत की चोरी पर हाथ काटें? इस मसअला की मुकम्मल वज़ाहत हदीस में ही मिलती है, मालूम हुआ कि कुरान करीम को हदीस के बेगैर नहीं समझा जा सकता।
इसी तरह कुरान करीम (सूरह अलजुमा) में इरशाद है कि जब जुमा की नमाज़ के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो। सवाल यह है कि जुमा का दिन कौन-सा है? यह आज़ान कब दी जाए? उसके अल्फाज़ क्या हों? जुमा की नमाज़ कब अदा की जाए? इस को कैसे पढ़ें? खरीद व फरोख्त की क्या क्या शराएत हैं? इस मसअला की मुकम्मल वज़ाहत अहादीस में ही मज़कूर हैं।
नुज़ूले कुरान की कैफियत का बयान मुख्तलिफ सूरतों व आयात के पढ़ने की खास फज़ीलत का ज़िक्र, आयात का शाने नुज़ूल, कुरान करीम में मज़कूर अम्बिया और उनकी उम्मतों के वाक़यात की तफसील, नासिख व मंसूख की ताईन, इसी तरह हिफाज़ते कुरान के मराहिल का बयान अहादीस में ही तो है लिहाज़ा हदीस के बेगैर

कुरान करीम को कैसे समझा जा सकता है?

एक वज़ाहत: अल्लाह तआला ने हमें कुरान करीम में तदब्बुर व तफक्कुर करने का हुकुम दिया है मगर यह तदब्बुर व तफक्कुर मुफस्सिर अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में ही होना चाहिए क्योंकि अल्लाह तआला ही ने बहुत सी जगहों पर इरशाद फरमाया है कि ऐ नबी! यह किताब हमनें आप पर नाज़िल फरमाई है ताकि आप इस कलाम को खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दें और हमारा यह ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखुबी अंजाम दिया। लेकिन कुछ हज़रात कुरान करीम की तफसीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व इरशादात को कमज़ोर करार देकर अपनी राय थोपना शुरू कर देते हैं जो कि सरासर गलत है। यकीनन हमें कुरान करीम को समझ कर पढ़ना चाहिए क्योंकि यह किताब हमारी हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह तआला ने नाज़िल फरमाई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के अहकाम खोल खोल कर बयान फरमा दिए हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि जिन मसाएल में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल या आमाल से रहनुमाई मिल सकती है ख्वाह हदीस की सनद में थोड़ा ज़ोफ भी हो। इन मसाएल में अपने इजतिहाद व क़यास और अपने अक़्ली घोड़े दौड़ाने के बजाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व आमाल के मुताबिक ही अमल करें। नए नए मसाएल के हल के लिए कुरान करीम में तदब्बुर व तफक्कुर और हदीस नबवी

के ज़खीरा में गोता अंदोज़ी जरूर करें मगर क़ुरान व हदीस को बालाए ताक रख कर नहीं बल्कि क़ुरान व हदीस की रौशनी ही में।

एक शुबहा का इज़ाला: बाज़ हज़रात क़ुरान करीम की चंद आयात से गलत मफहूम लेकर यह बयान करने की कोशिश करते हैं कि क़ुरान करीम में हर मसअला का हल है और क़ुरान करीम को समझने के लिए हदीस की कोई खास जरूरत नहीं है। हालांकि हदीस रसूल भी क़ुरान करीम की तरह शरीअते इस्लामिया कतई दलील और हुज्जत है, जैसा कि अल्लाह तआला ने अपने क़ुरान करीम में बहुत सी जगहों पर मुकम्मल के साथ ज़िक्र किया है। नीज़ क़ुरान करीम में यह कहा है कि जो क़ुरान में हो बस उसी पर अमल करना लाज़िम है बल्कि क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने सैकड़ों आयात "**अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो**" का हुकुम दिया है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। अगर क़ुरान करीम ही हमारे लिए काफी है तो फिर अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुकुम क्यों दिया है?

दूसरे शुबहे का इज़ाला: बाज़ हज़रात सनद हदीस की बुनियाद पर हुई अहादीस की अकसाम या रावियों को सिकह करार देने में मुहद्देसीन व फुकहा के इख्तिलाफ की वजह से हदीस रसूल को ही शक व शुबहा की निगाह से देखते हैं हालांकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम को क़यामत तक आने वाले तमाम अरब व अजम की रहनुमाई के लिए अपने आखरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और क़यामत तक उसकी

हिफाज़त का वादा किया है। और इसी क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने बहुत सी जगहों पर इरशाद फरमाया है कि ऐ नबी! यह किताब हमने आप पर नाज़िल फरमाई है ताकि आप इस कलाम को खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दें। तो जिस तरह अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम के अल्फाज़ की हिफाज़त की है, उसके मानी व मफाहीम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने बयान फरमाए हैं वह भी कल कयामत तक महफ़ूज़ रहेंगे। इंशाअल्लाह क़ुरान करीम के अल्फाज़ के साथ उसके मानी व मफहूम की हिफाज़त भी मतलूब है वरना नुज़ूले क़ुरान का मकसद ही फौत हो जाएगा।

अल्लाह तआला हम सबको क़ुरान व हदीस के मुताबिक़ जिंदगी गुज़ारने वाला बनाए। आमीन।

क़ुरान करीम और हम

क़ुरान क्या है? क़ुरान करीम अल्लाह तआला का पाक कलाम है जो अल्लाह तआला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों व जिन्नातों की रहनुमाई के लिए आखिरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिया नाज़िल फरमाया। क़ुरान करीम अल्लाह तआला की सिफत है, मखलूक नहीं और वह लौहे महफूज़ में हमेशा से है। अल्लाह तआला के जो फैसले आसमानों पर तहरीर हैं और वह किसी भी तबदीली से महफूज़ होने के साथ शयातीन के शर से भी महफूज़ हैं इसलिए इसको लौहे महफूज़ कहा जाता है। इसकी शकल व सूरत और हज्म क्या है? हम नहीं जानते मगर क़ुरान व हदीस की रौशनी में हम इस पर ईमान लाए हैं।

क़ुरान "**करअ**" का मसदर है जिसके मानी हैं पढ़ी जाने वाली किताब। हर एतेबार से दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब क़ुरान करीम है। जिस को बेगैर समझे भी लाखों लोग हर वक्त तिलावत करते हैं। अल्लाह तआला ने बहुत सी जगहों पर अपने पाक कलाम के लिए क़ुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।

क़ुरान करीम अरबी ज़बान में नाज़िल किया गया है जैसा कि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "**हमने उसको ऐसा क़ुरान बना कर उतारा है जो अरबी ज़बान में है ताकि तुम समझ सको।**" (सूरह यूसुफ आयत 2)

अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान करीम को क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है मगर अल्लाह तआला से डरने वाले ही इस किताब से फायदा उठाते हैं। जैसा कि

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया “**यह किताब है इसमें कोई शक नहीं हिदायत है परहेजगारों के लिए**।” (सूरह अलबकरा आयत 2)

नुज़ूले क़ुरान: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुखतलिफ तरीकों से वही नाज़िल होती थी।
(1) घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती और आवाज़ ने जो कुछ कहा होता वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद हो जाता। जब इस तरीका पर वही नाज़िल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था।
(2) फरिशता किसी इंसानी शकल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और अल्लाह तआला का पैगाम पहुंचा देता। ऐसे मवाके पर ओमुमन हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी (रज़ियल्लाहु अन्हु) की सूरत में तशरीफ लाया करते थे।
(3) हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम अपनी असल सूरत में तशरीफ लाते थे।
(4) बिला वास्ता अल्लाह तआला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमकलामी हुई। यह सिर्फ एक बार मेराज के मौक़ा पर हुआ। नमाज़ की फर्ज़ियत इसी मौक़ा पर हुई।
(5) हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए बेगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में इल्का फरमा देते थे।

तारिख नुज़ूले क़ुरान:माहे रमज़ान की एक बाबरकत रात लैलतुलकदर

में अल्लाह तआला ने लौहे महफ़ूज़ से समाए दुनिया पर क़ुरान करीम नाज़िल फरमाया और उसके बाद हसबे जरूरत थोड़ा-थोड़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा और तकरीबन 23 साल के अरसा में क़ुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। क़ुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल उस वक्त शुरू हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र चालीस साल थी। क़ुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें गारे हिरा में उतरीं वह सूरह अलक की इब्तिदाई आयात हैं। "**पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिस ने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खुन से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है**।" इस पहली वही के नुज़ूल के बाद तीन साल तक वही के नुज़ूल का सिलसिला बन्द रहा। तीन साल के बाद वही फरिशता जो गारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सूरह अलमुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयात आप पर नाज़िल फरमाईं। "**ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से किनारा कर लो**।"

इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वही का तदरीजी सिलसिला जारी रहा। गरज़ ये कि तकरीबन 23 साल के अरसा में क़ुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। इमाम राज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) ने क़ुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की जो हिकमतें बयान की फरमाई हैं उनका खुलासा कलाम यह है।

(1) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे (अनपढ़) इस लिए अगर सारा क़ुरान एक मरतबा नाज़िल हो गया होता तो इसका

याद रखना और जब्त करना दुशवार होता।
(2) अगर पूरा क़ुरान एक दफा में नाज़िल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी जल्द लाज़िम हो जाती और यह इस हकीमाना तदरीज के खिलाफ होता जो शरीअते मोहम्मदी में मलहूज़ रही है।
(3) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज़ नई अज़ियतें बर्दाशत करनी पड़ती थी, हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम का बार बार क़ुरान करीम लेकर आना इन अज़ियतों के मुकाबले को आसान बना देता था और आप की तकवियते कल्ब का बदला बनता था।
(4) क़ुरान करीम का एक हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाक़यात से मुतअल्लिक है, इस लिए इन आ़यतों का नुज़ूल इसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वह सवालात किए गए या वह वाक़यात पेश आए।

हिफाज़ते क़ुरान: जैसा कि ज़िक्र किया गया कि क़ुरान करीम एक ही दफा में नाज़िल नहीं हुआ बल्कि ज़रूरत और हालात के इतिबार से मुख्तलिफ आयात नाज़िल होती रहीं। क़ुरान करीम की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े क़ुरान पर ज़ोर दिया गया। चूनांचे खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज़ को उसी वक्त दोहराने लगते थे ताकि वह अच्छी तरह याद हो जाऐं। इस पर अल्लाह तआला की जानिब से वही नाज़िल हुई कि अैने नुज़ूले वही के वक्त जल्दी जल्दी अलफाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अल्लाह तआला खुद आप में ऐसा हाफज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूले वही के बाद आप उसे भुल नहीं सकेंगे। इस तरह हुज़ूर अकरम

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिजे कुरान हैं। चूनांचे हर साल रमज़ान के महिने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान के नाज़िलशुदा हिस्सों का दौर फरमाया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिकाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार कुरान करीम का दौर फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-कराम को कुरान के मानी की तालीम ही नहीं देते थे बल्कि उसके अल्फाज़ भी याद कराते थे। खुद सहाबा-ए-कराम को कुरान करीम याद करने का इतना शौक था कि हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में रहता था। चूनांचे हमेशा सहाबा-ए-कराम में एक अच्छी खासी जमाअत एसी रहती जो नाज़िलशुदा कुरान की आयात को याद कर लेती और रातों को नमाज़ में उसे दोहराती थी। गरज़ ये कि कुरान करीम की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े कुरान पर ज़ोर दिया गया और उस वक्त के लिहाज़ से यही तरीका ज्यादा महफूज़ और क़ाबिले एतिमाद था।

कुरान करीम की हिफाज़त के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लिखवाने का भी खास इहतिमाम फरमाया, चूनांचे नुज़ूल वही के बाद आप कातेबिने वही को लिखवा दिया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाज़िल होता तो आप कातिबे वही को यह हिदायत फरमाते थे कि इसे फ्ला सूरत में फ्ला आयात के बाद लिखा जाए। उस ज़माने में कागज़ नहीं मिलते थे इस लिए यह कुरानी आयात ज्यादातर पत्थर की सिलों, चमड़ें के पारचों, खजूर की शाखों, बांस के टुकड़ों, पेड़ के पत्तों और जानवर

के हडिडयों पर लिखी जाती थीं। कातिबे वही में हज़रत जैद बिन साबित, खुलफाए राशिदीन, हज़रत ओबय बिन काब, हज़रत जुबैर बिन अव्वाम और हज़रत मुआविया के नाम खास तौर पर ज़िक्र किए जाते हैं।

हज़रत जैद बिन साबित खुद कातिबे वही होने के साथ पूरे क़ुरान करीम के हाफिज़ थे। वह अपनी याद दाशत से भी पूरा क़ुरान लिख सकते थे, उनके अलावा उस वक्त सैकड़ों हूफ्फाजे क़ुरान मौजूद थे मगर उन्होंने इहतियात के पेशनजर सिर्फ एक तरीका पर बस नहीं किया बल्कि उन तमाम जराये से बयकवक्त काम लेकर उस वक्त तक कोई आयत अपने सहीफे में दर्ज नहीं की जब तक कि उसके मुतवातिर होने की तहरीरी और ज़बानी शहादतें नहीं मिल गईं। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान की जो आयात अपनी निगरानी में लिखवाई थीं वह मुख्तलिफ सहाबा-ए-कराम के पास महफूज़ थीं, हज़रत जैद बिन साबित ने उन्हें एक जगह जमा फरमाया ताकि नया नुसखा उन्ही से नकल किया जाए। इस तरह खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में क़ुरान करीम एक जगह जमा कर दिया गया।

जब हज़रत उसमान (रज़ियल्लाहु अन्हु) खलीफा बने तो इस्लाम अरब से निकल कर दूर दराज़ अजमी इलाकों तक फैल गया था। हर नए इलाके के लोग उन सहाबा व ताबेईन से क़ुरान सिखते जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत हासिल हुई थी। सहाबा-ए-कराम ने क़ुरान करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किरातों के मुताबिक सिखा था। इस लिए हर सहाबी ने अपने शागिर्दों

को उसी किरात के मुताबिक कुरान पढ़ाया जिसके मुताबिक खुद उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था। इस तरह किरातों का यह इखतिलाफ दूर दराज मूल्कों तक पहुंच गया। लोगों ने अपनी किरात को हक और दूसरी किरातों को गलत समझना शुरू कर दिया, हालांकि अल्लाह तआला ही की तरफ से इजाज़त है कि मुख्तलिफ किरातों में कुरान करीम पढ़ा जाए। हज़रत उसमान गनी ने हज़रत हफसा के पास पैगाम भेजा कि उनके पास (हज़रत अबू बकर सिद्दीक के तैयार कराए हुए) जो सहीफे मौजूद हैं वह हमारे पास भेज दें। चुनांचे हज़रत जैद बिन साबित की सरपरस्ती में एक कमिटि तशकील देकर उनको मुकल्लफ किया गया कि वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सहीफे से नकल करके कुरान करीम के चंद ऐसे नुसखे तैयार करें जिनमें सूरतें भी मुरत्तिब हों। चूनांचे कुरान करीम के चंद नुसखे तैयार हुए और उनको मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया गया ताकि उसी के मुताबिक नुसखे तैयार करके तकसीम कर दिए जाए। इस तरह उम्मते मुस्लिमा में इखतिलाफ बाकी नह रहा और पूरी उम्मते मुस्लिमा इसी नुसखे के मुताबिक कुरान करीम पढ़ने लगी। बाद में लोगों की सहुलत के लिए कुरान करीम पर नुकते व हरकात (ज़बर, ज़ेर और पेश) भी लगाए गऐं। इसी तरह बच्चों को पढ़ाने के सहुलत के मद्देनज़र कुरान करीम को तीस पारों में तकसीम किया गया। नमाज़ में तिलावते कुरान की सहुलत के लिए रूकू की तरतीब भी रखी गई।

मालूमाते कुरानी

मनजिलें: कुरान करीम में 7 मंज़िलें हैं। यह मंज़िलें इसलिए मोकर्रर की गई हैं ताकि जो लोग एक हफ्ता में खत्म कुरान करीम करना चाहें तो वह रोज़ाना एक मंज़िल तिलावत फरमाऐं।

पारे: कुरान करीम में 30 पारे हैं। इन्हीं को जुज़ भी कहा जाता है। जो हज़रात एक माह में कुरान करीम खत्म करना चाहें वो रोज़ाना एक पारा तिलावत फरमाऐं। बच्चों को कुरान करीम सिखने के लिए भी इससे सहुलत होती है।

सूरतें: कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, सिवाए सूरह तौबा के। सूरह अन नमल में बिस्मिल्लाह एक आयत का जुज़ भी है, इस तरह कुरान करीम में बिस्मिल्लाह की तादाद भी सूरतों की तरह 114 ही है। इन तमाम सूरतों के नाम भी हैं जो बतौर अलामत रखे गए हैं बतौर उनवान नहीं। मसलन सूरतुलफील का मतलब यह नहीं कि वह सूरह जो हाथी के मौज़ु पर नाज़िल हुई, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह सूरह जिसमें हाथी का ज़िक्र आया है। इसी तरह सूरतुलबकर का मतलब वह सूरह जिसमें गाए का ज़िक्र आया है।

आयात: कुरान करीम में छः हज़ार से कुछ ज्यादा आयात हैं।

सजदा-ए-तिलावत: कुरान करीम में 14 आयात हैं, जिनकी तिलावत के वक्त और सुनने के वक्त सजदा करना वाजिब हो जाता है।

मक्की व मदनी आयात व सूरतें: हिजरते मदिना से पहले तकरीबन 13 साल तक कुरान करीम के नुज़ूल की आयात व सूरतों को मक्की और मदिना मुनव्वरा पहुंचने के बाद तकरीबन 10 साल तक कुरान

करीम के नुजूल की आयात व सूरतों को मदनी कहा जाता है।

फ़ज़ाइले क़ुरान: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**कुरान का माहिर जिसको खूब याद हो, खूब पढ़ता हो उनका हशर फरिशतों के साथ क़यामत के दिन होगा**।"

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दरजों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। सो तोरा मकाम वही होगा जहां अखरी आयत पर पहुंचे। (मुस्लिम)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स कुरान पढ़े और उसपर अमल करे उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, जिसकी रौशनी सूरज की रौशनी से भी ज्यादा होगी। अगर वह आफताब तुम्हारे घरों में हो तो गुमान है तुम्हारा उन शख्स के बारे में जो खुद इसपर अमल पैरा हो। (रवाहु अहमद, अबू दाउद)

कुरान करीम को समझ कर पढ़ना

अल्लाह तआला ने हमें क़ुरान करीम में तदब्बुर व तफक्कुर करने का हूकूम दिया है मगर यह तदब्बुर और तफक्कुर मुफस्सिरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल व अफआल की रौशनी में ही होना चाहिए क्योंकि अल्लाह तआला ही ने इरशाद फरमाया "**यह किताब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारी है ताकि लोगों की जानिब जो हूकूम नाज़िल फरमाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद गौर व फिक्र करें**।" (सूरह अन नहल 44)

“**यह किताब हमने आप पर इस लिए उतारी है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हर उस चीज़ को वाजेह करदें जिसमें वह इखतिलाफ कर रहे हैं**।” (सूरह अन नहल 64)
अल्लाह तआला ने इन दोनों आयात में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है कि क़ुरान करीम के मुफस्सिर अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह जिम्मेदारी आएद की गई है कि आप उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल खोल खोल कर बयान करें और हमारा ईमान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकवाल व अफआल के जरिया क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल बयान करने की जिम्मेदारी बहुसन खूबी अंजाम दी। सहाबा और ताबेईन और तबेताबईन के जरिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल व अफआल यानी हदीसे नबवी के जखीरा से क़ुरान करीम की पहली अहम बुनियादी तफसीर इंतिहाई काबिले इतिमाद जराये से उम्मते मुस्लिमा को पहुंची है, लिहाज़ा क़ुरान फहमी हदीस के बेगैर मुमकीन नहीं है।

मज़ामीने क़ुरान: उलमा-ए-कराम ने क़ुरान करीम के मुख्तलिफ किसमें ज़िक्र फरमाए हैं, तफसिलात से कत-ए-नज़र उन मज़ामीन की बुनियादी तकसीम इस तरह है।
(1) अकाएद (2) अहकाम (3) किस्से
क़ुरान करीम में ओमुमी तौर पर सिर्फ ओसुल ज़िक्र किए गए हैं, लिहाज़ा अकाएद व अहकाम की तफसील अहादीस नबविया में ही

मिलती है यानी क़ुरान करीम के मज़ामीन को हम अहादीस नबविया के बेगैर नहीं समझ सकते हैं।

(1) अकाएद

तौहीद, रिसालत, आखिरत वगैरह के मज़ामीन इसी के तहत आते हैं। अकाएद पर क़ुरान करीम ने बहुत ज्यादा ज़ोर दिया है और इन बुनियादी अकाएद को मुख्तलिफ अल्फाज़ से बार बार ज़िक्र फरमाया है। इन के अलावा फरिश्तों पर इमान लाना, आसमानी किताबों पर इमान लाना, तकदीर पर इमान लाना, जज़ा व सज़ा, जन्नत व दोज़ख, अज़ाबे कब्र, सवाबे कब्र, क़यामत की तफसीलात वगैरह भी मुख्तलिफ अकीदों पर क़ुरान करीम में रौशनी डाली गई है।

(2) अहकाम

इसके तहत निचे दिए गए अहकाम और उनसे मुतअल्लिक मसाइल आते हैं:

इबादती अहकाम नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह के अहकाम व मसाइल। क़ुरान करीम में सबसे ज्यादा ताकीद नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक आया है। क़ुरान करीम में नमाज़ की अदाएगी के हूकूम के साथ ओमुमन ज़कात का भी हूकूम भी आया है।

मुआशरती अहकाम मसलन हुकूकूल इबाद की सारी तफसीलात।

मआशी अहकाम खरीद व फरोख्त, हलाल व हराम और माल कमाने और खर्च करने के मसाइल।

अखलाकी व समाजी अहकाम इंफिरादी व इजतिमाई जिन्दगी से मुतअल्लिक अहकाम व मसाइल।

सियासी अहकाम हुकूमत और रिआया के हुकूक से मुतअल्लिक व मसाइल।

अदालती अहकाम हुदूद व ताज़िरात के अहकाम व मसाइल।

(3) किस्से

गुज़शता अम्बिय-ए-कराम और उनकी उम्मतों के वाक्यात की तफसीलात।

क़ुरान करीम और हम

यह किताब मुकद्दस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से लेकर रहती दुनिया तक मशअले राह बनी रहेगी क्योंकि अल्लाह तआला ने इस किताब को इतना जामे और माने बनाया है कि ईमानियात, इबादात, मामलात, समाजीयात, मुआशियात व इकतिसादियात के ओसूल क़ुरान करीम में मज़कुर हैं। हाँ! इन की तफसीलात अहादीस नबविया में मौजूद हैं मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमरा तअल्लुक इस किताब से रोज़ बरोज़ खत्म होता जा रहा है। यह किताब हमारी मस्जिदों और घरों में गिलाफों में कैद हो कर रह गई हैं, नह तिलावत है नह तदब्बुर है और नह ही उसके अहकाम पर अमल। आज का मुस्लिमामन दुनिया की दौर में इस तरह गुम हो गया है कि क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल को समझना तो दर किनार उसकी तिलावत के लिए भी वक्त नहीं है। अल्लामा इकबाल ने अपने दौर के मुस्लिमानों के हाल पर रोना रोते हुए असलाफ से उस वक्त के मुस्लिमान का मुकरिराना इन अल्फाज़ में किया था-

वो ज़माने में मुअज्ज थे मुस्लिमा हो कर और हम ख्वार हुए तारिके क़ुरान होकर

आज हम अपने बच्चों की दुनियावी तालिम के बारे में सोचते हैं, उन्हें असरी ओलूम की तालीम देने पर अपनी मेहनत व तवज्जह

सर्फ करते हैं और हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ इस आरजी दुनियावी और इस आराम व असाईश पर होती है और उस अबदी व लाफानी दुनिया के लिए कोई खास कोशिश नहीं करते मगर सिवाए एक दो के। लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम अपना और अपने बच्चों का तअल्लुक क़ुरान व हदीस से जोड़े, उसकी तिलावत का इहतिमाम करें, उलमा की सरपरस्ती में क़ुरान व हदीस के अहकाम समझ कर उनपर अमल करें और इस बात की कोशिश करें कि हमारे साथ हमारे बच्चे, घर वाले, पड़ोसी, दोस्त व अहबाब व मुतअल्लेकीन भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीका पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं।

आज असरी तालीम को इस कदर फौकियत दी जा रही है कि लड़कों और लड़कियों को क़ुरान करीम नाज़िरह की भी तालीम नहीं दी जा रही है क्योंकि उनको स्कूल जाना, होमवर्क करना, परोजेक्ट तैयार करना, इमतिहानात की तैयारी करनी है वगैरह वगैरह यानी दुनियावी जिंदगी की तालीम के लिए हर तरह की जान व माल और वक्त की कुर्बानी देना आसान है लेकिन अल्लाह तआला के कलाम को सीखने में हमें दुशवारी महसूस होती है। गौर फरमाऐं कि क़ुरान करीम अल्लाह तआला का कलाम है जो उसने हमारी रहनुमाई के लिए नाज़िल फरमाया और उसके पढ़ने पर अल्लाह तआला ने बड़ा सवाब रखा है। अल्लाह तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए और क़ुरान करीम को समझने वाला और क़ुरान व हदीस के अहकाम पर अमल करने वाला बनाए, आमीन।

रमज़ान का महीना और क़ुरान करीम

रमज़ान का महीना इस्लामी महीनों का नवां महीना है, इस महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान बालिग, आक़िल, सेहतमंद, मुक़ीम, मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है जिसकी अदाएगी के ज़रिया ख्वाहिशात को काबू में रखने का मलका पैदा होता है और वही तक़वा की बुनियाद है। जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में इरशाद फरमाया "**ऐ ईमान वालों तुमपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ**" (सूरह अलबकरा 183) परहेज़गार बनने के मतलब यह कि जिंदगी में तक़वा पैदा करने के लिए रोज़ा का बड़ा असर है।

इसी मुबारक महीने की एक रात में क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह तआला की किताब क़ुरान करीम आसमान से दुनिया पर उतारी गई जिससे फयादा हासिल करने का बुनियादी शर्त भी तक़वा है। अल्लाह तआला का इरशाद है "**यह किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए मतलब अल्लाह से डरने वालों के लिए**" अल्लाह तआला के इस फरमान के मुताबिक क़ुरान करीम से हर शख्स को हिदायत नहीं मिलती बल्कि क़ुरान करीम से फायदा हासिल करने की बुनियादी शर्त तक़वा है। दूसरी तरफ अल्लाह तआला ने क़ुरान में रोज़ों की फर्ज़ियत का मक़सद बताते हुए फरमाया "**यानी तुम पर रोजे फर्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ**" गरज़ ये कि रमज़ान और रोज़ा के बुनियादी मकसद में तक़वा मुशतरक है।

इस मुबारक महीने में एक रात जिसमें इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत से अफज़ल है। यह मुबारक महीना अल्लाह तआला की रहमत, मगफिरत और जहन्नम से छुटकारे का महीना है। इस मुबारक महीने में बुरे शैतान क़ैद कर दिए जाते हैं। जहन्नम के दरवाज़े बंद करके जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। गरज़ ये कि यह महीना अल्लाह की इबादत, इताअत और लोगों के साथ हमदर्दी व गमगुसारी और क़ुरान करीम का महीना है। इस महीना में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और ऐसा अज़ीमुश्शान अमल है कि अल्लाह तआला ने हर अमल का दुनिया में ही अजर (बदला) बता दिया कि किस अमल पर किया मिलेगा मगर रोज़ा के मुतअल्लिक इरशाद फरमाया कि मैं खुद ही इसका बदला दूंगा या फरमाया कि मैं खुद ही रोज़ा का बदला हूं।

रमज़ान के महीने का क़ुरान करीम से खास तअल्लुक

क़ुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से खास तअल्लुक और गहरी खुसूसियत हासिल है। चुनांचे रमज़ानुल मुबारक में इसका नाज़िल होना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक में तिलावते क़ुरान का शुग्ल निसबतन ज़्यादा रखना, हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम का रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरान करीम का दौर कराना, तरावीह में खत्म क़ुरान का एहतिमाम करना, सहाबा-ए-कराम और बुज़ुरगाने दीन का रमज़ान में तिलावत का खास एहतिमाम करना यह सब उमूर उस खुसूसियत को जाहिर करते हैं। लिहाज़ा इस महीने में कसरत से तिलावते क़ुरान में मशगूल रहना चाहिए।

रमज़ान का महीना क़ुरान करीम से खास तअल्लुक होने की सबसे बड़ी दलील क़ुरान करीम का रमज़ान के महीने में नाज़िल होना है। इस मुबारक महीने की एक बाबरकत रात में अल्लाह तआला ने लौहे महफ़ूज़ से समा-ए-दुनिया पर क़ुरान करीम नाज़िल फरमाया और इसके बाद हसबे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा और तकरीबन 23 साल के अरसा में क़ुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। क़ुरान करीम के अलावा तमाम सहीफे भी रमज़ान में नाज़िल हुए जैसा कि मुसनद अहमद में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसहफे इबराहिमी और तौरात व इंजील सबका नुज़ूल रमज़ान में ही हुआ है। नुज़ूले क़ुरान करीम और दूसरी मुक़द्दस किताबों और सहीफों के नुज़ूल में फ़र्क़ यह है कि दूसरी किताबें जिस रसूल व नबी पर नाज़िल हुईं एक साथ एक ही दफा में जबकि क़ुरान करीम लौहे महफ़ूज़ से पहले आसमान पर रमज़ानुल मुबारक की मुबारक रात यानी लैलतुलकदर मे एक बार नाज़िल हुआ और फिर थोड़ा थोड़ा हसबे ज़रूरत नाज़िल होता है। जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है ''बेशक हमने क़ुरान करीम को शबेक़दर में उतारा है। यानी क़ुरान करीम को लौहे महफ़ूज़ से आसमाने दुनिया पर इस रात में उतारा है। आप को कुछ मालूम भी है कि शबे क़दर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ी फज़ीलत का आपको इल्म भी है, कितनी खूबियां और किस क़दर फज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फज़ाइल का ज़िक्र फरमाते हैं, शबेक़दर हज़ार महीनों से बेहतर है यानी हज़ार महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है इससे ज़्यादा शबेक़दर

की इबादत का है और कितना ज़्यादा है? यह अल्लाह ही को मालूम है। इस रात में फरिशते और हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुकुम से हर अच्छे कामों को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और यह खैर व बरकत फ़ज़र के वक़्त तक रहती है।"

सूरह अलअलक़ की इब्तिदाई चंद आयात से क़ुरान करीम का नुज़ूल हुआ। उसके बाद सूरह अलक़दर में बयान किया कि क़ुरान करीम रमज़ान की बाबरकत रात में उतरा है जैसा कि सूरह अलदुखान की आयत 3 "**हमने इस किताब को एक मुबारक रात में उतारा है**" और सुरह अलबकरा आयत 185 "**रमज़ान का महीना वह है जिसमें क़ुरान करीम नाज़िल हुआ**" में यह मज़मून तफसील के साथ मौजूद है। गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस में वाज़ेह दलाइल होने की वजह से उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि क़ुरान करीम लौहे महफ़ूज़ से समा-ए- दुनिया पर रमज़ान की मुबारक रात में ही नाज़िल हुआ। इस तरह रमज़ान और क़ुरान करीम का खास तअल्लुक रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो जाता है।

रमज़ानुल मुबारक का क़ुरान करीम के साथ खास तअल्लुक का मज़हर नमाज़े तरावीह भी है। अहादीस में लिखा है कि हर साल रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के साथ क़ुरान के नाज़िलशुदा हिस्सों को दौर करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिकाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार क़ुरान करीम का दौर फरमाया (बुखारी व मुस्लिम)। नमाज़े तरावीह आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाई और मस्जिद में बाजमाअत इसको अदा भी फरमाया लेकिन इस ख्याल से इसको छोड़ भी दिया करते कि कहीं उम्मत पर वाजिब न हो जाए और फिर उम्मत के लिए इसको अदा करने में दुशवारी हो। हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (रमज़ाम की) एक रात मस्जिद में नमाज़े तरावीह पढ़ी, लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी फिर दूसरी रात नमाज़ में लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई, तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े तरावीह के लिए मस्जिद में तशरीफ न लाए और सूबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं यह नमाज़ तुम पर रमज़ान में फ़र्ज़ न कर दी जाए। (मुस्लिम अलतरगीब-फी-सलातुतरावीह)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामे रमज़ान की तरगीब तो देते थे लेकिन वुजूब का हुकुम नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो शख्स रमज़ान की रातों में नमाज़ (तरावीह) पढ़े और वह ईमान के दूसरे तकाज़ों को भी पूरा करे और सवाब की नियत से यह अमल करे तो अल्लाह तआला उसके गुज़रे हुए गुनाह माफ फरमा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक यही अमल रहा। दौरे सिद्दीक़ी और इब्तिदा अहदे फारूक़ी में भी यही अमल रहा। (मुस्लिम अलतरगीब-फी-सलातुतरावीह), सही मुस्लिम की इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हज़रत अबु बकर (रज़ियल्लाहु अन्हु) के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इब्तिदाई दौरे खिलाफत में नमाज़े तरावीह जमाअत से पढ़ने का कोई एहतिमाम नहीं था, सिर्फ तरगीब दी जाती थी और इंफिरादी तौर पर नमाज़े तरावीह पढ़ी जाती थी। लेकिन हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में यक़ीनन तबदीली हुई, इस तबदीली की वज़ाहत मुहद्देसीन, फुकहा और उलमा कराम ने फरमाई है कि हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के ज़माने में इशा के फराएज़ के बाद वितरों से पहले पूरे रमज़ान बाजमाअत नमाज़े तरावीह शुरू हुई और क़ुरान करीम खत्म करने और रमज़ान में वितर बाजमाअत पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। सउदी अरब के नामवर आलिम, मस्जिद नबवी के मशहूर मुदर्रिस और मदीना मुनव्वरा के (पहले) काज़ी अलशैख अतिया मोहम्मद सालिम (रहमतुल्लाह अलैह) (मुतवफ्फी 1999) ने नमाज़े तरावीह की चैदह सौ साला तारीख पर अरबी ज़बान में एक किताब लिखी है जो इस मौज़ू के लिए बेहद फायदामंद है।

क़ुरान करीम और रमज़ान के दरमयान चंद मुशतरक खुसूसियात

क़ुरान करीम और रमज़ान की पहली अहम मुशतरक खुसूसियत तक़वा है जैसा कि क़ुरान करीम की आयात की रौशनी में ज़िक्र किया गया। दूसरी मुशतरक खुसूसियत शिफाअत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और क़ुरान करीम दोनों बंदा के लिए शिफाअत करते हैं। रोज़ा अर्ज़ करता है कि या अल्लाह मैंने उसको दिन में खाने पीने से रोके रखा मेरी

शिफाअत क़बूल कीजिए और क़ुरान कहता है कि या अल्लाह मैंने रात को उसको सोने से रोका मेरी शिफाअत क़बूल कीजिए, तो दोनों की शिफाअत क़बूल करली जाएगी। (रवाहु अहमद व तबरानी फीलकबीर वलहाकिम वकाल सही अल शर्ते मुस्लिम)।

तीसरी खुसूसियत जो रमज़ान और क़ुरान दोनों में मुशतरक तौर पर पाई जाती है वह क़ुर्ब इलाही है। यानी अल्लाह तआला के कलाम की तिलावत के वक़्त अल्लाह तआला से खास क़ुर्ब हासिल होता है, ऐसे ही रोज़ादार को भी अल्लाह तआला का खास क़ुर्ब हासिल होता है कि रोज़ा के मुतअल्लिक हदीस क़ुदसी में अल्लाह तआला का इरशाद है कि मैं खुद ही रोज़ा का बदला हूँ। मज़मून के बढ़ने की वजह से क़ुरान व रमज़ान की सिर्फ तीन मुशतरक खुसूसियात के ज़िक्र पर इकतिफा करता हूँ।

अस्लाफ का रमज़ान के महीने में तिलावते क़ुरान करीम का खास एहतिमाम

रिवायात से मालूम होता है कि सहाबा व ताबेईन और तबेताबईन रमज़ानुल मुबारक में क़ुरान करीम के साथ खुसूसी शगफ रखते थे। बाज़ अस्लाफ व अकाबेरीन के मुतअल्लिक किताबों में लिखा है कि वह रमज़ाम में दूसरी मसरूफियात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तिलावते क़ुरान में दिन व रात का वाफिर हिस्सा खर्च करते थे। इमाम मालिक (रहमतुल्लाह अलैह) जिन्होंने हदीस की मशहूर किताब मुअत्ता लिखी है जो मशहूर फकीह फक़ीह होने के साथ साथ एक बड़े मुहद्दीस भी हैं लेकिन रमज़ान शुरू होने पर हदीस पढ़ने पढ़ाने के

सिलसिले को बंद करके दिन व रात का अक्सर हिस्सा तिलावते कुरान में लगाते थे। अस्लाफ से मंकूल है कि वह रमज़ान के महीना खास कर आखरी अशरा में तीन दिन या एक दिन में कुरान करीम मुकम्मल (पूरा) फरमाते थे। सही मुस्लिम की सबसे ज़्यादा मशहूर शरह लिखने वाले और रियाज़ुस्सालेहीन के मुअल्लिफ ने अपनी किताब (अलअज़कार सफहा 102) में ऐसे शूयुख का ज़िक्र फरमाया है जो एक रकअत में कुरान करीम खत्म फरमाते थे। रमज़ान के मुबारक महीना में खत्म कुरान करीम के इतने वाक़यात किताबों में ज़िक्र हैं कि उनका इहाता नहीं किया जा सकता। लिहाज़ा इस मुबारक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त कुरान करीम की तिलावत में लगाएं। नमाज़े तरावीह के पढ़ने का एहतिमाम करें और अगर तरावीह में खत्म कुरान का एहतिमाम किया जाए तो बहुत बेहतर व अफज़ल है क्योंकि हदीस में आया है कि हर साल रमज़ान के महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान के नाज़िलशुदा हिस्सों का दौर करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतिकाल हुआ उस साल आप ने दो बार कुरान करीम का दौर फरमाया। रमज़ान के महिने के बाद तिलावते कुरान का रोज़ाना एहतिमाम करें ख्वाह मिकदार में कम ही क्यों न हो, और उलमा कराम की सरपरस्ती में कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कुरान करीम में आए हुए अहकाम व मसाइल को समझ कर उन पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाऐं अगर हम कुरान करीम के मानी व मफहूम नहीं समझ पा रहे है तब भी हमें तिलावत करना चाहिए क्योंकि कुरान की तिलावत भी मतलूब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक हर्फ क़ुरान करीम का पढ़े उसके लिए इस हर्फ के बदले एक नेकी है और एक नेकी का बदला दस नेकी के बराबर मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ। (तिर्मीज़ी)

तिलावते क़ुरान के कुछ आदाब हैं जिनका तिलावत के वक़्त खास ख्याल रखा जाए ताकि हम अल्लाह के नज़दीक अजरे अज़ीम के मुसतहिक़ बनें। तिलावत चूंकि एक इबादत है लिहाज़ा रिया व शोहरत के बजाए इससे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला की रज़ा मतलूब व मकसूद हो, पाकी की हालत में अदब व इहतिराम के साथ अल्लाह के कलाम की तिलावत करें। तीसरा अहम अदब यह है कि इतमिनान के साथ ठहर ठहर कर और अच्छी आवाज़ में तजवीद के कवाएद के मुताबिक तिलावत करें। तिलावत क़ुरान के वक़्त अगर आयतों के मानी पर गौर व फिक्र करके पढ़ें तो बहुत ही बेहतर है। क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल पर खुद भी अमल करें और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें।

अल्लाह तआला हम सबको रोज़ा और तिलावते क़ुरान करीम की बरकत से तक़वा वाली जिंदगी गुज़ारने वाला बनाए और हमें दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए आमीन।

कुरानी मालूमात

अल्लाह तआला ने कुरान को लौहे महफूज़ से समा-ए-दुनिया पर लैलतुल कदर में नाज़िल फरमाया, फिर तकरीबन 23 साल के अरसा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। यह कुरान इंसान व जिन्नात की हिदायत और रहबरी का सरचशमा है, अल्ला की यह किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान के लफ्ज़ी मानी भी बार बार और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हैं। अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में भी लफ्ज़े कुरान का बहुत मरतबा ज़िक्र फरमाया है। कुरान करीम की पहली वही का पहला कलेमा "**इकरा**" भी इसी तरफ इशारा करता है। कुरान के नुज़ूल का असल मकसद कुरान करीम को समझ कर पढ़ना और उस पर अमल करना है, अगरचे सिर्फ कुरान करीम की तिलावत पर भी अजर मिलता है, जैसा कि मुफस्सिरे अव्वल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ अवक़ात में पढ़ने के बहुत से फज़ाइल बयान किए हैं। कुरान करीम से मुतअल्लिक चंद मालूमात पेशे खिदमत हैं।

उलमा-ए-कराम ने लोगों की सहूलत के लिए कुरान करीम को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया है।

मनजिलें: कुरान करीम में 7 मंज़िलें हैं। यह मंज़िलें इसलिए मुक़र्रर की गई हैं ताकि जो लोग एक हफता में खत्म कुरान करीम करना चाहें तो वह रोज़ाना एक मंज़िल तिलावत फरमाएं।

पारे: कुरान करीम में 30 पारे हैं। इन्हीं को जुज़ भी कहा जाता है। जो हज़रात एक माह में कुरान करीम खत्म करना चाहें वो रोज़ाना

एक पारा तिलावत फरमाएं। बच्चों को क़ुरान करीम सिखने के लिए भी इससे सहूलत होती है।

सूरतें: क़ुरान करीम में 114 सूरतें हैं। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, सिवाए सूरह तौबा के। सूरह अन्नमल में बिस्मिल्लाह एक आयत का जुज़ भी है, इस तरह क़ुरान करीम में बिस्मिल्लाह की तादाद भी सूरतों की तरह 114 ही है। इन तमाम सूरतों के नाम भी हैं जो बतौर अलामत रखे गए हैं बतौर उनवान नहीं। मसलन सूरह अलफील का मतलब यह नहीं कि वह सूरह जो हाथी के मौज़ू पर नाज़िल हुई, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह सूरह जिसमें हाथी का ज़िक्र आया है। इसी तरह सूरह अलबक़र का मतलब वह सूरह जिसमें गाए का ज़िक्र आया है।

आयात: क़ुरान करीम में छः हज़ार से कुछ ज़्यादा आयात हैं।

सजदा-ए-तिलावत: क़ुरान करीम में 14 आयात हैं, जिनकी तिलावत के वक्त और सुनने के वक्त सजदा करना वाजिब हो जाता है।

मक्की व मदनी आयात व सूरतें: मदीना हिजरत से पहले तकरीबन 13 साल तक क़ुरान करीम के नुज़ूल की आयात व सूरतों को मक्की और मदीना मनव्वरा पहुंचने के बाद तक़रीबन 10 साल तक क़ुरान करीम के नुज़ूल की आयात व सूरतों को मदनी कहा जाता है।

मज़ामीने क़ुरान

उलमा-ए-कराम ने क़ुरान करीम के मुख्तलिफ किसमें ज़िक्र फरमाई हैं, तफसिलात से कत-ए-नज़र उन मज़ामीन की बुनियादी तकसीम इस तरह है।

(1) अक़ाएद **(2) अहकाम** **(3) किस्से**

(1) “**अक़ाएद**” तौहीद, रिसालत, आखिरत वगैरह के मज़ामीन इसी के

तहत आते हैं। अक़ाएद पर क़ुरान करीम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है और इन बुनियादी अक़ाएद को मुख्तलिफ अल्फाज़ से बार बार ज़िक्र फरमाया है। इन के अलावा फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर इमान लाना, जज़ा व सज़ा, जन्नत व दोज़ख, अज़ाबे कब्र, सवाबे कब्र, कयामत की तफसीलात वगैरह भी मुख्तलिफ अकीदों पर क़ुरान करीम में रौशनी डाली गई है।

(2) **"अहकाम"** इसके तहत नीचे दिए गए अहकाम और उन से मुतअल्लिक मसाइल आते हैं-

इबादती अहकाम

नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह के अहकाम व मसाइल। क़ुरान करीम में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ आया है। क़ुरान करीम में नमाज़ की अदाएगी के हुकुम के साथ उमूमन ज़कात का भी हुकुम आया है।

मुआशरती अहकाम

मसलन हुक़ूक़ुल इबाद की सारी तफसीलात।

मआशी अहकाम

खरीद व फरोख्त, हलाल व हराम और माल कमाने और खर्च करने के मसाइल।

अखलाकी व समाजी अहकाम

इनफिरादी और इजतिमाई जिन्दगी से मुतअल्लिक अहकाम व मसाइल।

सियासी अहकाम

हुकूमत और अवाम के हुक़ूक़ से मुतअल्लिक अहकाम व मसाइल।

अदालती अहकाम

हुदूद व ताज़ीरात के अहकाम व मसाइल।

क़िस्से

गुज़शता अम्बिया -ए-कराम और उनकी उम्मतों के वाक्यात की तफसीलात।

क़ुरान करीम के मुख्तलिफ ज़बानों में बेशुमार तरजुमे हुए हैं और तफसीरें भी लिखी गई हैं, और यह सिलसिला बराबर जारी है और इनशाअल्लाह कल क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। मगर सबका माखज़ क़ुरान व हदीस ही है, यानी मुफस्सिरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की रौशनी में ही क़ुरान करीम समझा जा सकता है।

मोमिनीन की बाज़ अहम सिफात

(सूरह अलमोमिनून की इब्तिदाई आयात की मुख्तसर व आसान तफसीर)

“उन इमान वालों ने यकीनन कामयाबी हासिल करली जिनकी नमाज़ों में खूशु व खूज़ु है। जो बुरे कामों से दूर रहते हैं, जो ज़कात की अदाएगी करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की (और सबसे) हिफाज़त करते हैं सिवाए अपनी बीवीयों और उन कनीज़ों के जो उन की मिल्कियत में आ चुकी हों क्योंकि ऐसे लोग काबिले मलामत नहीं है। हाँ जो लोग इसके अलावा कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें तो ऐसे लोग हद से गुज़रे हुए हैं, और वह जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखने वाले हैं और जो अपनी नमाज़ों की पूरी निगरानी रखते हैं। यह हैं वह वारिस जिन्हें जन्नतुल फिरदौस की मीरास मिलेगी और यह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे।” (सूरह अल मोमिनून)

अल्लाह तआला (जो इंसान व जिन्नात और तमाम मखलूक का पैदा करने वाला है, जो खालिके मालिक राज़िक़े कायनात, जिसका कोई शरीक नहीं है, जो इंसान की रग रग से ही नहीं बल्कि कायनात के कोना कोना से अच्छी तरह वाकिफ है) ने इंसान की कामयाबी के लिए इन आयात में अल्लाह और उसके रसूल पर इमान के अलावा सात सिफात ज़िक्र फरमाई हैं कि अगर कोई आदमी वाकई कामयाब होना चाहता है तो वह दुनियावी फानी जिंदगी में मौत से पहले इन सातों सिफात को अपने अंदर पैदा कर ले। इन सात सिफात पर अमल करने वाले जन्नत के उस हिस्सा के वारिस बनेंगे जो जन्नत

का आला व बुलंद हिस्सा है जहां हर किस्म का सूकुन व इत्मीनान और आराम व सहूलत है जहां हर किस्म के बागात, चमन, गुलशन और नहरें पाई जाती हैं जहां ख्वाहिशों की तकमील है, जिसको कुरान व सुन्नत में जन्नतुल फिरदौस के नाम से जाना गया है। यही असल कामयाबी है कि जिसके बाद कभी नाकामी, परेशानी, दुश्वारी, मुसिबत और तकलीफ नहीं है। लिहाज़ा हम दुनियावी आरज़ी व महदूद खुशहाली को फलाह न समझें बल्कि हमेशा हमेशा की कामयाबी के लिए कोशां रहें।

ईमान वालों से मुराद वह लोग हैं जिन्होंने अल्लाह तआला की वहदानियत का इकरार किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर तस्लीम किया और आप की तालीमात पर अमल पैरा हुए। इंसान की कामयाबी के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त अल्लाह तआला और उसके रसूल पर ईमान लाना है, उसके अलावा इंसान की कामयाबी के लिए जो सात सिफात अल्लाह तआला ने इन आयात में ज़िक्र फरमाए हैं वह यह हैं।

(1) खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ की अदाएगी

खुज़ू के माना ज़ाहिरी आज़ा को झुकाने (यानी जिसमानी सूकुन) और खुशू के माना दिल को आजिज़ी के साथ नमाज़ की तरफ मोतवज्जह रखने के हैं। खुशू व खूज़ु के साथ नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका यह है कि हम नमाज़ में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान रखें और अगर गैर इख्तियारी तौर पर कोई खयाल आ जाए तो वह माफ है लेकिन जूहीं याद आ जाए दो बारा नमाज़ के अल्फाज़ की तरफ मोतवज्जह हो जाएं। गरज़ ये कि इसी तरह हमें

इत्मीनान व सुकून के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, एक और साहब मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ी फिर (रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और) रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया आप ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। वह गए और जैसे नमाज़ पहले पढ़ी थी वैसे ही नमाज़ पढ़कर आए फिर सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। इस तरह तीन मर्तबा हुआ। उन साहब ने अर्ज किया। उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है मैं इससे अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता। आप मुझे नमाज़ सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, फिर कुरान शरीफ में से जो कुछ पढ़ सकते हो पढ़ो फिर रूकू में जाओ तो इत्मीनान से रूकू करो फिर रूकू से खड़े हो तो इत्मीनान से खडे हो फिर सजदा में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो फिर सजदा से उठो तो इत्मीनान से बैठो। यह सब काम अपनी पूरी नमाज़ में करो। (सही बुखारी)

(2) बुरे कामों से दूरी

बुरी बात और बुरे काम उसको कहते हैं जो फुज़ूल, लायानी और लाहासिल हो। यानी जिन बातों या कामों का कोई फायदा न हो। मौलाए हक़ीक़ी ने इन आयात में इरशाद फरमाया कि बुरे कामों को

करना तो दरकिनार उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें हर फुज़ूल बात और काम से बचना चाहिए कतए नज़र इसके कि वह मुबाह हो या गैर मुबाह क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**इंसान का इस्लाम उसी वक्त अच्छा हो सकता है जबकि वह बेफायदा और फुज़ूल चीज़ों को छोड़ दे**।"

(3) ज़कात की अदाएगी

इंसान की कामयाबी के लिए तीसरी अहम शर्त ज़कात के फ़र्ज़ होने पर उसकी अदाएगी है, ज़कात इस्लाम के बुनियादी पांच अरकान में से एक है। अल्लाह तआला ने कुरान करीम में नमाज़ के बाद सबसे ज़्यादा हुकुम ज़कात की अदाएगी का ही दिया है। सूरह तौबा आयत 34, 35 में अल्लाह तआला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है जो अपने माल की कमा हक्कहु ज़कात नहीं निकालते। उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज़ में खबर दी है। चूनांचे फरमाया कि जो लोग अपने पास सोना चांदी जमा करते हैं और उस को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो ऐ नबी आप उन को एक दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए। यानी जो लोग अपना पैसा अपना रूपया अपना सोना चांदी जमा करते जा रहे हैं और उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन पर अल्लाह ने जो फरिज़ा आएद किया है उस को अदा नहीं करते उनको यह बता दीजिए कि एक दर्दनाक अज़ाब उनका इंतज़ार कर रहा है। फिर दूसरी आयत में उस दर्दनाक अज़ाब की तफसील ज़िक्र फरमाई है कि यह दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन सोने और चांदी को आग में तपाया जाएगा और फिर उस आदमी की पेशानी उसके पहलू और उसकी

पुश्त को दागा जाएगा और उससे यह कहा जाएगा कि यह है वह खज़ाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। आज तुम इस खज़ाने का मज़ा चखो जो तुमने अपने लिए जमा कर रहे थे। अल्लाह तआला हम सबको इस अंजामे बद से महफ़ूज़ फरमाए, आमीन। बाज़ मुफस्सेरीन ने इस आयत से मुराद तजकिया नफस लिया है यानी वह ईमान वाले अपने आप को बुरे आमाल और अख्लाक से पाक साफ करते हैं।

(4) शर्मगाहों की हिफाज़त

अल्लाह तआला ने जिंसी ख्वाहिशात की तकमील का एक जाएज़ तरीका यानी निकाह मशरूआ किया है। इंसान की कामयाबी के लिए अल्लाह तआला ने एक शर्त यह भी रखी है कि हम जाएज़ तरीका के अलावा अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया यानी मियां बीवी का एक दूसरे से शहवते नफस को तसकीन देना काबिले मलामत नहीं बल्कि इंसान की जरूरत है लेकिन जाएज़ तरीका के अलावा कोई भी सूरत शहवत पूरी करने की जाएज़ नहीं है जैसा कि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया यानी जाएज़ तरीके के मानी में वह कोई और तरीका इख्तियार करना चाहें तो ऐसे लोग हद से गुजरे हुए हैं। अल्लाह तआला ने ज़िना के करीब भी जाने को मना फरमाया है, "**ज़िना के करीब भी मत जाओ इसलिए कि वह बुरा है और बुरा ठिकाना है**" (सूरह अलअसरा आयत 32) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "**आंख भी ज़िना करती है और उसका ज़िना नज़र है**" आज रोज़मर्रा की जिंदगी में मर्द और औरत का

कसरत से इख्तिलात, मखलूत तालीम, बेपरदगी, टीवी और इंटरनेट पर फहाशी और उरयानी की वजह से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम खुद भी ज़िना के लवाज़िमात से बचें और अपने बच्चों, बच्चियों और घर वालों की हर वक्त निगरानी रखें क्योंकि इस्लाम ने इंसान को ज़िना के असबाब से भी दूर रहने की तालीम दी है। ज़िना होने के बाद इस पर हंगामा, जलसा व जुलूस व मुज़ाहिरों के बजाए ज़रूरत इस बात की है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक़ जितना हो सके गैर महरम मर्द व औरत के इख्तिलात से ही बचा जाए।

(5) अमानत के अदाएगी

अमानत का लफ्ज़ हर उस चीज़ को शामिल है जिसकी ज़िम्मेदारी किसी शख्स ने उठाई हो और उस पर इतिमाद व भरोसा किया गया हो खाह इसका तअल्लुक हुकुकूल इबाद से हो या हुकुकूल्लाह। हुकुकूल्लाह से मुतअल्लिक अमानत फराएज़ व वाजिबात की अदाएगी और मुहर्रिमात व मकरूहात से परहेज़ करना है और हुकुकूल इबाद से मुतअल्लिक अमानत में माली अमानत का दाखिल होना तो मशहूर व मारूफ है इसके अलावा किसी ने कोई राज़ किसी को बतलाई तो वह भी उसकी अमानत है, शरई इज़ाजत के बेगैर किसी का राज़ जाहिर करना अमानत में खयानत है। इसी तरह काम की चोरी या वक्त की चोरी भी अमानत में खयानत है। लिहाज़ा हमें अमानत में खयानत से बचना चाहिए।

(6) अहद व पैमान पूरा करना

अहद एक तो मुआहिदा है जो दो तरफ से किसी मामलों में लाज़िम करार दिया जाए। इसका पूरा करना ज़रूरी है। दूसरा वह जिसको वादा कहते हैं यानी कोई शख्स किसी शख्स से कोई चीज़ देने का या किसी काम के करने का वादा कर ले उसका पूरा करना भी शरअन जरूरी हो जाता है। गरज़ ये कि अगर हम किसी शख्स से कोई अहद व पैमान कर लें तो उसको पूरा करें।

(7) नमाज़ की पाबंदी

कामयाब होने वाले वह हैं जो अपनी नमाजों की भी पूरी निगरानी रखते हैं यानी पांचों नमाजों को उनके अवकात पर इहतिमाम के साथ पढ़ते हैं। नमाज़ में अल्लाह तआला ने यह खासियत व तासीर रखी है कि वह नमाजी को गुनाहों और बुराईयों से रोक देती है मगर जरूरी है कि उस पर पाबंदी से अमल किया जाए और नमाज़ को उन शराएत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज़ की कबूलियत के लिए जरूरी है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया “**नमाज़ कायम कीजिए, यकीनन नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है**।” (सूरह अनकबूत आयत 45) इसी तरह हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि **एक शख्स रातों को नमाज़ पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज़ अंकरीब उसको बुरे काम से रोक देगी।** (मुसनद, सही इब्ने हिब्बान)

यह बात काबिले जिक्र है कि अल्लाह तआला ने इंसान की कामयाबी

के लिए जरूरी सात सिफात को नमाज़ से शुरू किया और नमाज़ पर ही खत्म किया। इसमें इशारा है कि नमाज़ की पाबंदी और सही तरीका से उसकी अदाएगी इंसान को पूरे दीन पर चलने का अहम जरिया बनती है। इसी लिए कुरान करीम में सबसे ज़्यादा नमाज़ की ही ताकीद फरमाई गई है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज़ ही के मुतअल्लिक सवाल किया जाएगा। नमाज़ के अलावा तमाम अहकाम अल्लाह तआला ने हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के वास्ता दुनिया में उतारे मगर नमाज़ ऐसा मुहतम बिश्शान अमल है कि अल्लाह तआला ने सातों आसमानों के ऊपर हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम के वास्ता के बेगैर नमाज़ की फर्जीयत का तोहफा अपने हबीब को अता फरमाया। अल्लाह तआला हम सबको नमाजों का इहतिमाम करने वाला बनाए आमीन।

इन सात अवसाफ से मुत्तसिफ ईमान वालों को अल्लाह तआला ने 10 और 11 आयात में जन्नतुल फिरदौस का वारिस बतलाया है। लफ्ज़े वारिस में इस तरफ इशारा है कि जिस तरह मुअर्रिस का माल उसके वारिस को पहुंचाना क़तई और यक़ीनी है इसी तरह इन सात अवसाफ वालों का जन्नतुल फिरदौस में दाखिला यकीनी है।

अल्लाह तआला हम सबको इन सात अवसाफ के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफीक़ अता फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाऐ आमीन।

सूरह अल असर की मुख़्तसर तफ़्सीर

“क़सम है ज़माने की कि हर इंसान बड़े ख़सारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किये और आपस में ताकीद करते रहे सच्चे दीन की और आपस में ताकीद करते रहे सबर व तहम्मुल की”

सूरह अल असर की खास फ़ज़ीलत

यह क़ुरान करीम की बहुत ही मुख़्तसर सूरत है जिसमें सिर्फ तीन आयात हैं, लेकिन ऐसी जामे है कि बक़ौल हज़रत इमाम शाफई (रहमतुल्लाह अलैह) कि अगर लोग इस सूरत को गौर व फ़िक्र और तदब्बुर कि साथ पढ़ लें तो दीन व दुनिया की दुरूस्तगी कि लिए काफी हो जाये। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुसैन (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि सहाबा किराम में से दो शख्श आपस में मिलते तो उस वक़्त जुदा न होते जबतक उनमें से एक दूसरे को सूरह अल असर न पढ़ लें। (तबरानी)

इस सूरत में अल्लाह तआला ने अल असर की क़सम खाई है, जिससे मुराद ज़माना है, कियोंकि इंसान कि तमाम हालात, उसकी नशु व नुमा, उसकी हरकात व सकनात, आमाल और इख़लाक़ सब ज़माने के लैल व नहार में ही होंगे।

जहाँ तक क़सम का तअल्लुक़ है अल्लाह तआला के कलाम में क़सम कि बगैर भी कोई शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह तआला बन्दों पर रहम फरमा कर किसी हुकुम की ताकीद और उसकी अहमियत की वजह से क़सम खा कर कोई हुकुम बन्दों को करता है, ताकि बन्दे इस हुकुम की अहमियत को समझ कर उस

पर अमल पैरा हूँ और हुकुम बजा लाने में कोताही न करें। लेकिन याद रखें कि इंसानों कि लिए अल्लाह तआला कि नाम कि अलावा किसी चीज़ की क़सम खाना जाएज़ नहीं है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तालीमात अहादीस की किताबों में मौजूद हैं।

खुलासा तफ़्सीर

इस सूरत में ख़ालिके़ इंसान अल्लाह तआला ने ज़माने की क़सम खा कर इरशाद फ़रमाया है कि हर इंसान बड़े ख़सारे और नुक्सान में है और इस ख़सारे से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनके अंदर यह चार सिफ़ात मौजूद हों:

1) **ईमान-** अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लायें और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात पर ईमान लायें।

2) **आमाले सालेहा- (नेक आमाल)** हर अमल अल्लाह के हुकुम और नबी की तालीमात के मुताबिक़ करें।

3) **हक़ की नसीहत करना**- ईमान लाने और नेक अमल करने वाले लोग एक दूसरे को हक़ की नसीहत करें।

4) **सब्र की तलकीन करना-** और इसी तरह एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहें।

गरज़ ये कि दीन व दुनिया के खसारे से बचने और नफा अज़ीम हासिल करने का यह कुरानी नुसखा चार हिस्सों से मिलकर बना है जिनमें पहले दो हिस्से (ईमान व आमाले सालिहा) अपनी ज़ात की

इस्लाह के मुतअल्लिक और दूसरे हिस्से दूसरों की हिदायत व इस्लाह से मुतअल्लिक हैं यानी हम अपनी ज़ात से भी अल्लाह के अहकामात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बजालाऐं और साथ में यह कोशिश और फिक्र करें कि मेरी अवलाद, मेरे रिशतेदार और मेरे पड़ोसी सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस दुनियावी फानी जिंदगी को गुज़ारने वाले बनें ताकि हम सब बड़े खसारे से बच कर हमेशा हमेशा की कामयाबी हासिल करने वाले बन जाएं।

अब हर शख्स अपनी जिंदगी का जाइज़ा ले कि उसके अंदर यह चार अवसाफ मौजूद हैं या नहीं। कुरान करीम के इस वाज़ेह एलान से मालूम हुआ कि अगर यह चार अवसाफ या इन में से कोई एक वसफ भी हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं तो हम दुनिया व अखिरत में नाकामी और बड़े खसारे की तरफ जा रहे हैं।

लिहाज़ा अब भी वक्त है मौत कब आ जाए किसी को नहीं मालूम, हम सब यह इरादा कर लें कि दुनिया व अखिरत की कामयाबी हासिल करने और बड़े खसारे से बचने के लिए यह चार अवसाफ अपनी जिंदगी में आज, बल्कि अभी से लाने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको जिंदगी के बाकी दिन इन चार अवसाफ से मुत्तसिफ हो कर गुज़ारने वाला बनाए। आमीन

सूरह अलम नशरह की मुख्तसर तफ्सीर

(इस सूरह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे सिफात ज़िक्र किए गए हैं)

"ऐ नबी! क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? (यकीनन हमने तेरा सीना खोल दिया) और तुझपर से तेरा बोझ हमनें उतार दिया, जिसने तेरी पीठ बोझल कर दी थी। और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया। पस मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। पस जब तु फारिग़ हो तो इबादत में मेहनत कर और परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा।"

यह मक्की सूरत है, इसमें 8 आयात हैं, इब्तिदाई चार आयात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन अच्छे सिफात बयान किए गए हैं।

(1) **हमने तेरे सीने को खोल दिया-** यानी हमने तेरे सीने को मुनव्वर कर दिया, इसमें उलूम व मआरिफ के समुन्दर उतार दिए और लवाज़िमे नबूवत और फराएज़े रिसालत बर्दाशत करने के लिए बड़ा वसी हौसला दिया। इस आयत से शक्के सदर भी मुराद लिया गया है जो दो मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। एक मर्तबा बचपन में और दूसरी मर्तबा मेराज की रात में। शक्के सदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके दिल निकाला गया, उसे आबे ज़मज़म से धोकर अपनी जगह पर रख दिया गया और उसे ईमान व हिकमत से भर दिया गया।

(2) **तुझपर से तेरा बोझ हमने उतार दिया**- जिसने तेरी पीठ बोझल कर दी थी। यानी मनसबे रिसालत की ज़िम्मदारियों को महसूस करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गेरानी गुज़रती होगी वह दूर कर दी गई। या "**बोझ**" से वह जाएज़ उमूर मुराद हैं जो घड़ी घड़ी आप करीने हिकमत व सवाब समझ कर लेते थे और बाद में इनका खिलाफे हिकमत या खिलाफे अवला होना जाहिर होता था और आप बवजह उलूवे शान और गायते कुरूब के इससे एसे मगमूम होते थे जिस तरह कोई गुनाह से मग़मूम होता है तो इस आयत में मुवाखज़ा न होने की बशारत दी गई। अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए थे। नबूवत से पहले 40 साला जिन्दगी में भी अल्लाह ने आपको गुनाहों से महफूज़ रखा था।

(3) **और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया**- हज़रत मुजाहिद (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं यानी जहां मेरा (अल्लाह का) ज़िक्र किया जाएगा वहां तेरा (नबी का) भी ज़िक्र किया जाएगा। जैसे "**मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाए अल्लाह कि और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।**" हज़रत क़तादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद किया, कोई खतीब, कोई नसीहत करने वाला, कोई कलमा पढ़ने वाला, कोई आज़ान देने वाला, कोई नमाज़ी ऐसा नहीं जो अल्लाह की वहदानियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलमा न

पढ़ता हो। गरज़ ये कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम का ज़िक्र बुलंद फरमाया। पांचवीं और छठी आयत में एक उसूल बयान किया गया कि दुशवारी के बाद अल्लाह तआला की तरफ से आसानी मिलती है।

आखरी दो आयात में अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ऐ नबी! जब तू फारिग़ हो तो इतनी इबादत कर कि तू थक जाए। यानी नमाज़, तबलीग, जिहाद और दुआ वगैरह में इतना मशगूल हो कि तू थक जाए और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा।

आयतुल कुर्सी

“अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के लाएक नहीं, जिंदा है (जिस को कभी मौत नहीं आ सकती) (सारी दुनिया को) संभालने वाला है। न उसे ऊंघ आती है और न नींद, उसकी मिलकियत में जमीन व आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन शख्स है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शिफारिश कर सके। वह जानता है उन (कायनात) के तमाम हाजिर व गायब हालात को। वह (कायनात) उसकी मंशा के बेगैर किसी चीज़ के इल्म का इहाता नहीं कर सकते, उसकी कुर्सी की कुशादगी ने जमीन व आसमान को घेर रखा है। अल्लाह तआला को उन (जीमन व आसमान) की हिफाजत कुछ भारी नहीं गुजरती। वह बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है।“

यह सूरह अल बकरा की आयत न॰ 255 है। जो बड़ी अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह तआला की तौहीद और कुछ अहम सिफात का ज़िक्र है। इस आयत में अल्लाह तआला की कुर्सी का भी ज़िक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सी हदीसें, हदीस की किताबों में आई हैं। लेकिन इखतिसार के मद्देनजर यहां सिर्फ चंद अहम फजिलतें ज़िक्र कर रहा हूँ। जिनके सही होने पर तमाम उलमा-ए-उम्मत मुत्तफिक हैं।

सब से ज्यादा अज़मत वाली आयत

हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रसूलुल्लाह सल्ललाहु

अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में सबसे ज्यादा अज़मत वाली आयत कौन-सी है? हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अनहु) ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका सबसे ज्यादा इल्म है। आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने दो बारह यही सवाल किया। बार-बार सवाल करने पर हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अनहु) ने फरमाया आयतुल कुर्सी। आप सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अनहु) के सीने पर हाथ मार कर फरमाया, अबुल मुंजिर! अल्लाह तआला तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। (मुस्लिम बाब-फजल, सूरह अलकहफ व आयतल कुर्सी), मुसनद अहमद में भी यह लिखा हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लालु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस (आयतुल कुर्सी) की ज़बान होगी और होंट होंगे और यह बादशाहे हकीकी की तकदीस बयान करेगी और अर्श के पाये से लगी हुई होगी। (मुसनद अहमद 5/141-142)
हज़रत अबुज़र ग़िफारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) के सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अज़मत वाली आयत, आयतुल कुर्सी है। (मुसनद अहमद 5/178, नसई 5509)

जन्नत में दाखिल होने का तरीका

हज़रत अबु ओमामा अलबाहेली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हर फजर् नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी, सिवाए मौत के। (इबने हब्बान ने

अपनी सही में और इमाम नसई ने अमलुल यौमे वल्लैले में यह हदीस जिक्र की है, इस हदीस की सनद शर्त बुखारी पर है)

शयातीन व जिन्नात से हिफाज़त

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि मैं रमज़ान में वसूल की गई ज़कात के माल पर पहरा दे रहा था, एक आने वाला आया और समेट समेट कर अपनी चादर में जमा करने लगा। हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने उसको एसा करने से बार बार मना फरमाया। उस आने वाले ने कहा कि मुझे यह करने दो, मैं तुझे एसे कलेमात सिखाऊंगा कि रात को बिस्तर में जा कर उन को पढ़ लेगा तो अल्लाह की तरफ से तुझ पर हाफिज़ मुकर्रर होगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब भी न आ सकेगा और वह आयतुल कुर्सी है। जब हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक्या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने सच कहा मगर वह खुद झुठा है और शैतान है। (सही बुखारी, किताबुल वकालह)

हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि मेरे पास कुछ खजुरें थीं जो रोज़ाना घट रही थीं, एक रात मैंने पहरा दिया। मैंने देखा कि एक जानवर मिस्ले जवान लड़के के आया, मैंने उसको सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, मैंने उससे पुछा कि तु इंसान है या जिन्नात? उसने कहा मैं जिन्नात हूं। मैंने कहा कि ज़रा अपना हाथ दो, उसने अपना हाथ बढ़ा दिया, मैंने अपने हाथ में ले लिया तो कुत्ते जैसा हाथ था और उसपर कुत्ते जैसे बाल भी थे, मैंने पुछा तुम यहां क्यों आए हो? उसने कहा कि तुम सदका को

पसंद करते हो और मैं तुम्हारे माल को लेने आया हूं ताकि तुम सदका न कर सको। मैंने पुछा कि तुमहारे शर से बचने की कोई तदबीर है? उसने कहा आयतल कुर्सी, जो आदमी शाम को पढ़ले वह सुबह तक और जो सुबह को पढ़ले वह शाम तक महफूज़ हो जाता है। सुबह होने पर हज़रत ओबय बिन काब (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या का ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबीस ने यह बात बिल्कुल सच्ची कही है। (नसई, तबरानी- अतरगीब वत्तरहीब 662)

इसी तरह का एक वाक़या हज़रत अबु अयूब अंसारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) का भी अहादीस की किताबों में ज़िक्र है। कहने का मक़सद ये है कि आयतल कुर्सी के जरिया जिन्नात व शयातीन से हिफाज़त के बहुत से वाक़यात सहाबा के दरमयान पेश आए हैं। (तफसीर इबने कसीर)

हज़रत हज़रत अबु हुरैरा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी सूरह अलमोमेनून को हामीम से एलैहिल मसीर तक और आयतल कुर्सी को सुबह के वक्त पढ़ लेगा वह शाम तक अल्लाह तआला की हिफाज़त में रहेगा और शाम को पढ़ने वाले की सुबह तक हिफाज़त होगी। (तिर्मीज़ी, किताब फजाएल अलकुरान, बाब माजा फी सुरह अलबकरा आयतल कुर्सी 2879)

आयतल कुर्सी इसमे आज़म पर मुशतमिल

हज़रत असमा बिन्ते यज़ीद (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों आयतों में अल्लाह तआला का इसमे आज़म है। एक तो आयतल कुर्सी और दूसरी आयत अलीफ लामीम अल्लाहु ला इलाह अखीर तक। (मसनद अहमद 6, 461, अबु दाउद, किताबुल वितिर बाबुद्दुआ, 1496, तिर्मीज़ी, किताबुद्दावात, बाबफीइजाबिद्दुआ ब तकदीमिलहमद 3478, इबन माजा, किताबुद्दुआ, बाब इस्मुल्लाहिल आज़म 3855)

हज़रत अबु ओमामा अलबाहिली (रज़ियल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमे आज़म जिस नाम की बरकत से जो दुआ अल्लाह तआला से मांगी जाए वह कुबूल फरमाता है, वह तीन सूरतों में है सूरह अलबकरा, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा। (इबने माजा, किताबूद्दूआ, बाब इसमिल्लाहिल आज़म 3855)

वज़ाहत- सूरह अलबकरा में आयत नं॰ 255, सूरह आले इमरान में आयत नं॰ 12 और सूरह ताहा में आयत नं॰ 111 है।

आयतल कुर्सी चैथाई कुरान

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी को चैथाई कुरान कहा है। (मसनद अहमद 3/221, तिर्मीज़ी किताबुलफजाएल अलकुारन, बाब माजाफी इज़ाजुलजलत 2895)

आयतल कुर्सी का मफहूम

इस तौहीद की अहम आयत में दस जुमले हैं।

"**अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाए वह**" यही वह पैगाम है जिसकी दावत तमाम अम्बिया और रसूल ने दी कि माबूदे हकीकी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, वही पैदा करने वाला, वही रिज़्क देने वाला और वही अकेला इस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं है, हम सब उसके बन्दे हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और जरूरतों को पूरा करने वाला है। उसने इंसानों की हिदायत व रहनुमाई के लिए अम्बिया व रसूल भेजे। आखिर में तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमतुल आलमीन बना कर भेजा।

"**वह ज़िन्दा है, कायम है**" ज़िन्दा यानी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ज़िन्दा रहने वाला है और मौत से बालातर है। "**अल्लाह तआला के सिवा हर चीज हलाक और फना हो जाने वाली है**।" "**कय्यूम** " मुबालगा का सेगा है जिसके मानी हैं वह ज़ात जो खुद अपने बल पर क़ायम और दूसरों के कियाम व बका का वास्ता और ज़रिया हो।

नोट- कय्यूम अल्लाह तआला की खास सिफत है, जिसमें कोई मखलूक़ शरीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीजें खुद अपने वजूद व बका में किसी दूसरे की मोहताज हों वह किसी दूसरी चीज को क्या संभाल सकती हैं? इसलिए किसी इंसान को कय्यूम कहना जायज़

नहीं है। लिहाज़ा अबदुल कय्यूम नामी आदमी को सिर्फ कय्यूम कह कर बुलाना गलत है।
"न उसे ऊंघ आती है और न नींद" इन दोनों की नफी से नींद की इब्तिदा और इंतिहा दोनों की नफी हो गई, यानी अल्लाह तआला गफलत के तमाम असरात से कमाल दर्जा पाक है।
"**तमाम चीजें जो आसमानों या ज़मीनों में हैं वह सब अल्लाह तआला की ममलुक हैं**" वह मुख्तार है जिस तरह चाहे उनमें तसर्रुफ़ करे।
"**कौन है जो उसकी इज़ाजत के बेगैर सिफारिश करे**" जब यह बात मालूम हो गई कि अल्लाह तआला ही कायनात का मालिक है, कोई उससे बड़ा और उसके ऊपर हाकिम नहीं है तो कोई उससे किसी काम के बारे में सवाल व जवाब करने का भी हकदार नहीं है, वह जो हुकुम जारी फरमाए उसमें किसी को चूं व चरा करने की गुंजाइश नहीं है। हां! यह हो सकता है कि कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला से किसी के लिए सिफारिश या शिफाअत करे, सो इसको भी वाजेह कर दिया कि अल्ला तआला की इजाज़त के बेगैर अल्लाह तआला के नेक व मकबूल बन्दे भी किसी के लिए शिफाअत नहीं कर सकते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के महशर में सबसे पहले मैं सारी उम्मतों की शिफाअत करूंगा, यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियतों में से है, इसी का नाम मकामे महमूद है। जिसका ज़िक्र सूरह अलअसरा 79 में आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम उम्मतों के अलावा अल्लाह तआला के नेक बन्दों को भी तीन शर्तें

पाई जाने पर दूसरों के लिए शिफाअत करने की इजाज़त होगी।
(1) जिसके लिए शिफाअत की जा रही है उससे अल्लाह तआला की रज़ामंदी हो, अल्लाह तआला फरमाता है, (सूरह अल अम्बिया 28) ''**वह किसी की भी शिफाअत नहीं करते सिवाए उनके जिनसे अल्लाह खुश हो और वह उसकी खौफ से डरते हैं।**''
(2) शिफाअत करने वाले से अल्लाह तआला राज़ी हों। अल्लाह तआला फरमाता है- (सूरह अन नजम 26)
(3) अल्लाह तआला शिफाअत करने वाले को शिफाअत की इजाज़त दे। सूरह अन नजम की आयत में और आयतल कुर्सी में यह शर्त पूरी तौर पर मालूम होती है। इसी तरह सूरह यूनुस आयत नं॰ 3 में है, ''**उसकी इजाज़त के बेगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं।**''
''**अल्लाह तआला लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात और वाकेआत को जानता है**।' आगे और पीछे का यह मतलब हो सकता है कि उनके पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद के तमाम हालात और वाकेआत अल्लाह तआला के इल्म में हैं। और यह भी मतलब हो सकता है कि आगे से मुराद वह हालात हैं जो इंसान के लिए खुले हुए हैं और पीछे से मुराद उससे पोशिदा वाकेआत और हालात हों तो मानी यह होंगे इंसान का इल्म तो बाज़ चीजों पर है और बाज़ चीजों पर नहीं है, कुछ चीज़ें उसके सामने खुली हुई हैं और कुछ छुपी हुई, मगर अल्लाह तआला के सामने यह सब चीज़ें बराबर हैं, इसका इल्म उन सब चीज़ों पर बराबर है।

"इंसान और तमाम मखलूकात अल्लाह तआला के इल्म के किसी

हिस्सा का इहाता नहीं कर सकते, मगर अल्लाह तआला ही खुद जिसको जितना हिस्सा इल्म इहाता करना चाहें सिर्फ इतना ही उसको इल्म हो सकता है।" इस आयत में यह कहा गया है कि तमाम कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म मुहीत सिर्फ अल्लाह तआला की खुसूसी सिफत है, इंसान या कोई मखलूक इसमें शरीक नहीं हो सकती।

"**उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है कि जिसकी वुसअत के अंदर सातों आसमान और ज़मीन समाए हुए है।**" अल्लाह तआला उठने बतने और जगह या मकान से बालातर है, इस क़िस्म की आयत को अपने मामलात पर कयास न किया जाए, उसकी कैफियत व हकीकत का इदराक इंसानी अकल से बालातर है। अल्लामा इबने कसीर ने बरिवायत हज़रत अबुज़र गिफारी (रज़ियल्लाहु अन्हु) से नकल किया है कि उनहोंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरयाफ्त किया कि कुर्सी कैसी है? अप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि सातों आसमानों और ज़मीनों की मिसाल कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक बड़े मैदान में अंगुश्तरी का हलका डाल दिया जाए। और बाज़ हादीस में है कि अर्श के सामने कुर्सी की मिसाल भी ऐसी है कि जैसे एक बड़े मैदान में अंगुशतरी का हलका।

कुर्सी से मुराद हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) से इल्म मनक़ूल है, बाज़ हज़रात से दोनों पांव रखने की जगह मनक़ूल है, एक हदीस में यह भी लिखा है कि इसका अंदाज़ह सिवाए बारी तआला के और किसी को नहीं। अबु मालिक (रहमतुल्लाह अलैहि) फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श के नीचे है। सदी (रहमतुल्लाह अलैहि) कहते

हैं कि आसमान और ज़मीन कुर्सी के बीच में और कुर्सी अर्श के सामने। हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिया जाए तो भी कुर्सी के मुकाबले में एसे होंगे जैसे एक हलका (छल्ला) किसी चटियल मैदान में। इबने जरीर की एक मरफू हदीस में है कि सातों आसमान कुर्सी में एसे ही हैं जैसे सात दिरहम ढ़ाल में। (तफसीर इबने कसीर) बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसके मानी हैं कि अल्लाह का इकतिदार आसमानों और ज़मीन के तमाम अतराफ व अकनाफ पर हावी है, कोई गोशा और कोना भी उसके दायरा इकतिदार से अलग नहीं है।

अल्लाह तआला को इन दोनों अज़ीम मखलूकात यानी आसमान व ज़मीन की हिफाज़त कुछ भारी नहीं मालूम होती, क्योंकि इस कादिरे मुतलक की कुदरते कामला के सामने यह सब चीज़ें निहायत आसान हैं। किसी चीज़ का एसा भारी होना कि उसका संभालना मुश्किल हो जाए।

गुज़शता नौ जुमलों में अल्लाह तआला की ज़ात व सिफात के कमालात बयान किए गए हैं। इनको समझने के बाद हर अकलमंद आदमी यही कहने पर मजबूर है कि हर इज्ज़त व अज़मत और बुलंदी व बरतरी का मुसतहिक वही पाक ज़ात है।

इन दस जुमलों में अल्लाह तआला की सिफाते कमाल और उसकी तौहीद का मज़मून वज़ाहत और तफसील के साथ आ गया। अल्लाह तआला हम सबको कुरान करीम समझ कर पढ़ने वाला और उसपर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह तआला हम सबको शिर्क की तमाम शकलों से महफूज़ फरमाए।

कुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित (मुर्दा) को पहुंचने का हुकुम

रोज़मर्रा के तकरीबन 80 फीसद प्रैक्टिकल मसाइल में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है, क्योंकि शरीअत इस्लामिया का वाज़ेह हुकुम मौजूद है। अलबत्ता चंद असबाब की वजह से रोज़मर्रा के तकरीबन 20 फीसद प्रैक्टिकल मसाइल में जमाना-ए-कदीम से इखतिलाफ चला आ रहा है और उनमें से बाज़ असबाब यह हैं-

"**नस फहमी**" (यानी कुरान व हदीस की इबारत समझने में इखतिलाफ हो जाए) मसलन अल्लाह तआला का फरमान "**अवला मसतमुननिसा**" (सूरह अन निसा 43)। उलमा की एक जमाअत ने इस आयत से नवाकिज़े वजु (वजु को तोड़ने वाली चीजें) मुराद लिया है कि औरत को छूते ही वज़ु टूट जाता है। जबकि दूसरे मुफस्सेरीन व फुकहा मसलन इमाम अबू हनीफा (रहमतुल्लाह अलैहे) ने इस आयत से नवाकिज़े गुसल मुराद लिया है कि सोहबत करने से गुसल वाजिब होता है, औरत को सिर्फ छूने से वज़ु नहीं टूटता है। गरज़ ये कि नस फहमी में इखतिलाफ हुआ जिसकी वजह से बाज़ मसाइल में इखतिलाफ हो गया।

"**नासिख व मंसुख को तैय करने में इखतेलाफ**" (यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखरी अमल कौन सा है?) मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुकु में जाते और उठते वक्त रफे यदैन करना (हाथ का उठाना) दोनों अहादीस से साबित है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखरी अमल

क्या है, इस सिलसिला में इखतिलाफ है।

“**जदीद इसतिम्बाती मसाइल**” नए नए मसाइल में इखतिलाफ का होना बदीही है, क्योंकि हर मुजतहिद व फकीह को इखतियार है कि वह नए मसाइल का हल क़ुरान व सुन्न्त की रौशनी में तलाश करे। मिसाल के तौर पर अपने जिस्म के किसी हिस्सा (मसलन किडनी) को हिबा करने का मसअला।
किसी मोअैय्यन हदीस या किसी खास मौज़ू से मुतअल्लिक अहादीस को क़ाबिले क़बूल मानने में इखतिलाफ हो जाए (मसलन मौज़ू बहस मसअला)।
इन्हीं 20 फीसद मुख्तलफ फीह मसाइल में क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित को पहुंचने का मसअला भी है। इस मसअला में ज़माना कदीम से इखतिलाफ चला आ रहा है। उलमा व फुकहा की एक जमाअत की राय है कि क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित को नहीं पहुंचता, उन उलमा व फुकहा में से हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम मालिक भी हैं, जबकि दूसरी जमाअत की राय है कि क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित को पहुंचता है, उन उलमा व फुकहा में से हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल इसके अलावा हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम मालिक के बहुत से शागिर्द भी हैं।

अल्लामा क़ुर्तुबी ने अपनी किताब तज़केरा-फी-अहवालिल मौता में लिखा है कि इस बाब में असल सदका है जिसमें किसी का कोई इखतिलाफ नहीं है तो जिस तरह से सदका का सवाब मैयित को

पहुंचता है, कुरान करीम पढ़ने, दुआ और इस्तिगफार का सवाब भी मैयित को पहुंचेगा क्योंकि यह भी सदकात ही में हैं और जिन हज़रात ने इमाम शाफई के मुतअल्लिक गुमान किया है कि वह मैयित पर कुरान करीम पढ़ने को नाजाएज़ करार देते हैं, वह गलत है। क्योंकि सिर्फ इखतिलाफ इसमें है कि इसका सवाब मैयित को पहुंचता है या नहीं। इमाम शाफई और दूसरे जमहूर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित को पहुंचेगा अगर पढ़ने वाला अल्लाह तआला से पहुंचने की दुआ करता है और जिन हज़रात ने कहा कि कुरान करीम पढ़ने का सवाब नहीं पहुंचता तो यह उस वक्त है जबकि पढ़ने वाला अल्लाह तआला से पहुंचने की दुआ न करे, (तज़केरा फी अहवालिल मौता लिलकुर्तुबी)। गरज़ ये कि अल्लामा कुर्तुबी की तहक़ीक़ के मुताबिक अक्सर उलमा की राय में कुरान करीम पढ़ने का सवाब मैयित को पहुंचता है।

इस मौज़ू से मुतअल्लिक चंद अहादीस शरीफ

हज़रत आइशा, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू राफे, हज़रत अबू तलहा अंसारी और हज़रत हुज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) की मुत्तफिका रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे कुर्बान किए। एक अपनी तरफ से और दूसरा उम्मत की तरफ से, (बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, इब्ने माजा, तबरानी, मुसतदरक और इब्ने अबी शैबा)। उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि कुर्बानी का सवाब मुर्दों और ज़िन्दों को भी पहुंचता है।

एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि

मेरी माँ का अचानक इंतिकाल हो गया है। मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौक़ा मिलता तो वह जरूर सदक़ा करने के लिए कहतीं। अब अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उनके लिए सवाब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ! (बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, अबू दाऊद और नसई)। उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि सवाब जिन्दा और मुर्दा दोनों को भी पहुंचता है।

हज़रत साद बिन ओबादा (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का इंतिकाल हो गया है। क्या मैं उन की तरफ से सदका करू? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ! (मुसनद अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा और नसई)। इसी मज़मून की दूसरी रिवायत हज़रत आइशा, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बास से बुखारी, मुस्लिम, नसई, तिर्मीजी, अबूदाऊद और इब्ने माजा वगैरह में मौजूद हैं जिनमें रसूल्लुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयित की तरफ से सदका करने की इजाज़त दी है और उसे मैयित के लिए नाफे बताया है।

हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर बिन अलआस (रज़ियल्लाहु अन्हु) की रिवायत है कि उनके दादा आस इब्ने वाइल ने ज़माना जाहिलियत में सौ ऊंट ज़िबह करने की नज़र मानी थी, उनके चाचा हिशाम इब्ने आस ने अपने हिस्से के पचास ऊंट ज़िबह कर दिए। हज़रत उमर बिन आस ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मैं क्या करूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का इक़रार

कर लिया था तो तुम उनकी तरफ से रोज़ा रखो या सदक़ा करो, वह उनके लिए फायदेमंद होगा। (मुसनद अहमद)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया "**जब किसी आदमी का इंतिकाल हो जाए तो उसको दफन करने में जल्दी करो, उसके सरहाने की तरफ सूरह फातिहा और पैरों की तरफ सूरह अलबक़रा का आखिर पढ़ो**।" अल्लामा हाफिज़ इब्ने हजर ने बुखारी शरीफ की शरह में लिखा है कि यह हदीस तबरानी ने सही (हसन) सनद के साथ ज़िक्र किया है।

सहाबा-ए-कराम से भी नबी अकरम सल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किये हुए फरमान पर अमल करना साबित है, जैसा कि इमाम बैहकी (रहमतुल्लाह अलैह) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मुर्दे के सरहाने की तरफ सूरह फातिहा और पैरों की तरफ सूरह अलबक़रा का आखिरी रुकू पढ़ने का अमल ज़िक्र किया है। मुस्लिम की मशहूर शरह लिखने वाले इमाम नव्वी ने इस हदीस को सही करार दिया है। (अल अज़कार)

रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया "**सूरह यासीन क़ुरान करीम का दिल है, जो आदमी भी अल्लाह तआला का कुर्ब और आखिरत में भलाई हासिल करने की ग़रज़ से उसे पढ़ेगा वह उसको हासिल होगी, और इस सूरह को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो**।" (मुसनद अहमद, इब्ने अबी शैबा, अबू दाऊद, इब्ने माजा, सही इब्ने हब्बान, सुनन बैहकी, नसई)। मुहद्देसीन की एक जमाअत ने इस हदीस को सही करार दिया, उलमा कराम की एक बड़ी जमाअत ने

इसी और दूसरे अहादीस की बुनियाद पर क़ुरान करीम पढ़ने को जाएज़ कहा है, जबकि दूसरे मुहद्देसीन ने इस हदीस को कमज़ोर कहा है लेकिन मुहद्देसीन का उसूल है कि फजाइल के बारे में कमज़ोर हदीस पर भी अमल किया जा सकता है जैसा कि इमाम नव्वी (रहमतुल्लाह अलैह) ने जमहूर उलमा के कौल को लिखा है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि "**कोई आदमी मरने की हालत में हो और उसके पास सूरह यासीन पढ़ी जाए तो अल्लाह तआला उस पर मौत की हालत को आसान फरमा देता है**।" (मुसनद दैलमी, नैलुलअवतार शरह मुसकीयुल अख्बार मिन अहादीसिल अख्यिार लिलकाज़ी अलशौकानी)

हज़रत अनस (रज़ियल्लाहु अन्हु) से मरफुअन रिवायत है कि "**अगर कोई कब्रस्तिान में सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह तआला इस कब्रस्तिान के मुर्दों से अज़ाब कब्र को कम कर देता है**।" शैख अब्दुल अज़ीज़ (रहमतुल्लाह अलैह) ने इसकी तखरीज की है, इस हदीस को इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब अहकामे तमनीयूल मौत में, इमाम हाफिज़ अज़ैलई (रहमतुल्लाह अलैह) ने कंज़ुद्दकाइक की शरह में और इमाम इब्ने कुदामा हम्बली (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब अलमुगनी, किताबुल जानाइज़ में लिखा है। इमाम इब्ने कुदामा हम्बली (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी इस मशहूर किताब अलमुगनी, किताबुल जनाइज़ में एक और हदीस लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया "**जिस किसी ने अपने**

माँ, बाप या उनमें से किसी एक की कब्र पर सूरह यासीन पढ़ी तो मुर्दों की मगफिरत कर दी जाती है।"
मशहुर व मारूफ मुहद्दीस हज़रत अबू मुगीरा (रहमतुल्लाह अलैह) कहते हैं कि हज़रत सफवान (रहमतुल्लाह अलैह) ने बयान किया कि मशाइख कहा करते थे कि अगर मुर्दा पर सूरह यासीन पढ़ी जाती है तो उसकी बरकत से उसके साथ आसानी का मामला किया जाता है। (मुसनद अहमद) इमाम अहमद इब्ने हम्बल (रहमतुल्लाह अलैह) ने हज़रत अबू मुगीरा (रहमतुल्लाह अलैह) से बहुत सी अहादीस नकल की हैं। शैख मुहिब्बुद्दीन अलतबरी और अल्लामा अलशौकानी ने बयान किया है कि इससे मरने के बाद किसी की कब्र पर सूरह यासीन पढ़ना मुराद है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि "जिस आदमी का कब्रिस्तान पर गुजर हो और वह ग्यारह बार "**कुल हुवल्लाहु अहद**" पढ़कर उसका सवाब मरने वालों को बख़्श दे तो पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा।" (दारे क़ुतनी)

अल्लाह के रसूल सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि "जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल होकर सूरह फातिहा "**कुल हुवल्लाहु अहद**" और "अलहाकोमुत्तकासूर" पढ़े फिर कहे मैंने जो पढ़ा है उसका सवाब उन हज़रात को पहुंचाया जो इस कब्रिस्तान में दफन हैं तो वह कल क़यामत के दिन उस शख्स के लिए अल्लाह तआला से शिफाअत करेंगे।" (दारे क़ुतनी)

हज़रत अब्दुर रहमान बिन अल ऊला (रहमतुल्लाह अलैह) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने फरमाया कि जब मैं मर जाऊं तो बिसम्मिल्लाह व अला सुनन्ते रसूलिल्लाह कह कर लहद वाली कब्र में दफन कर देना और मेरे सरहाने सूरह फातिहा पढ़ना, इसलिए कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) को इस तरह फरमाते सुना है। (अखरजहुल खिलाल फील जामे, किताबुल किरात इंदल कबूर)

अल्लामा हाफिज़ इब्ने क़य्यिम (रहमतुल्लाह अलैह) ने इस हदीस को अपनी किताब "अररूह" में ज़िक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि सलफे सालेहीन की एक जमाअत ने किताबों में लिखा है कि उन्होंने वसीयत की कि दफन के वक्त उनकी कब्र पर कुरान करीम पढ़ा जाए।

एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत उनकी जिंदगी में तो करता रहा लेकिन उनके इंतिकाल के बाद कैसे खिदमत करूंगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उनके साथ नेकी यह है कि अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़ो और अपने रोज़ा के साथ उनके लिए भी रोज़ा रखो। (दारे कुतनी)

अल्लामा हाफिज़ अलजैली (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब "**शरह कंजुद्दकाएक**" में इमाम इब्ने अलहुमाम ने "**फतहुल कदीर**" में और शैख मोहम्मद अल अरबी इब्ने अत्तेबानी अलमालकी

अलमगरबी (रहमतुल्लाह अलैह) ने अपनी किताब "**इसआफुल मुस्लेमीन वलमुस्लेमात बेजवाज़ व वसुल सवाबेहल अमवात**" में इस हदीस को ज़िक्र किया है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप के साथ नेकी यह है कि अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए नमाज़ पढ़ो, अपने रोज़ा के साथ उनके लिए भी रोज़ा रखो, अपने सदका के साथ उनके लिए भी सदका करो। (अलमुसन्निफ लिलशैख इब्ने अबी शैबा) और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब (रहमतुल्लाह अलैह) ने इस हदीस को अपनी किताब "**अहकामे तमनेयिल मौत**" में ज़िक्र किया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजी़ अल्लाहु अन्हु) की रिवायत है कि कबीला खश्म की एक औरत ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि मेरे बाप पर हज ऐसी हालत पर फ़र्ज़ हुआ कि वह बहुत बुढ़े हो चुके हैं, ऊंट की पीठ पर बैठ भी नहीं सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उनकी तरफ से हज अदा करो। (बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, तिर्मीज़ी, नसई)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कबीला खश्म ही के एक मर्द का ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने अपने बुढ़े बाप के बारे में यही सवाल किया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारे बाप पर कर्ज हो और तुम उसको अदा कर दो तो वह उनकी तरफ से अदा हो जाएगा? उस शख्स ने कहा जी हाँ! तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बस इसी तरह तुम उनकी

तरफ से हज अदा करो। (मुसनद अहमद, नसई)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि कबीला जोहैना की एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी माँ ने हज करने की नज़र मानी थी मगर वह उससे पहले ही मर गईं। अब क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तेरी माँ पर अगर कर्ज होता तो किया तुम उसको अदा नहीं करती, इसी तरह तुम लोग अल्लाह का हक भी अदा करो और अल्लाह इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उसके साथ किए हुए अहद पूरे किए जाऐं। (बुखारी, नसई)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि कबीला जोहैना की एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी माँ ने रोज़ा की नज़र मानी थी मगर वह उससे पूरी किए बेगैर मर गईं। तो क्या मैं उनकी तरफ से रोज़ा रख सकती हूँ? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उनकी तरफ से रोज़ा रख लो। (बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद, नसई)
हज़रत बरीदा (रज़ियल्लाहु अन्हु) की एक रिवायत है कि एक औरत ने अल्लाह के रसूल से अपनी माँ के मुतअल्लिक पूछा कि उनके ज़िम्मे एक महीने (या दूसरी रिवायत के मुताबिक दो महीने) के रोज़े थे, क्या मैं यह रोज़े अदा कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी। (मुस्लिम, मुसनद अहमद, तिर्मीज़ी, अबू दाऊद)

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**जो शख्स इंतिकाल कर जाए और उसके ज़िम्मे कुछ रोज़े हों तो उसकी तरफ से उसका वली रोज़ा रख ले।**" (बुखारी, मुस्लिम, मुसनद अहमद)

(वज़ाहत) इन अहादीस में दूसरों की तरफ से नमाज़ और रोज़ा रखने का जो ज़िक्र आया है, उनसे नफली या नज़र की नमाज़ और रोज़ा मुराद हैं। क्योंकि दूसरे अहादीस में फ़र्ज़ नमाज़ या रमज़ान के रोज़े के मुतअल्लिक वाज़े हुकुम मौजूद है कि वह दूसरों की तरफ से अदा नहीं किए जा सकते हैं बल्कि उसके लिए फिदया ही अदा करना होगा।

रसूलूल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर वालों के मुर्दा पर (बुलंद आवाज़ के साथ) रोने की वजह से मुर्दा को अज़ाब दिया जाता है। (बुखारी व मुस्लिम) जिन उलमा व फुकहा की राय में क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मुर्दा को नहीं पहुंचता है वह आमतौर पर दो दलाइल बयान करते हैं।
"**कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, आदमी को वही मिलता है जो उसने कमाया।**" (सूरह अन नजम 38, 39)

अगर इस आयत के अमूम से क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मुर्दा को नहीं पहुंच सकता तो फिर इसाल सवाब, क़ुर्बानी और हज्जे बदल वगैरह करना सब नाजाइज़ हो जाऐंगे बल्कि दूसरे के हक में दुआए

इस्तिगफार यहां तक कि नमाज़े जनाज़ा भी बेमाना हो जाएंगी क्योंकि यह आमाल भी उस शख्स का अपना अमल नहीं है जिसके हक मे दुआ की जा रही है। बल्कि इससे मुराद यह है कि अमुमी तौर पर हर शख्स अपने ही अमल का बदला पाएगा। लेकिन बाप, बीवी या किसी करीबी रिशतेदार के इंतिकाल के बाद अगर कोई शख्स उनके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ता है या उनके लिए मगफिरत की दुआ करता है या उनकी तरफ से हज या उमरा करता है या क़ुर्बानी करता है या सदका करता है या अल्लाह तआला के पाक कलाम की तिलावत करके उसका सवाब मुर्दे को पहुंचाता है तो अल्लाह तआला इस अमल को कबूल फरमा कर मुर्दे को इसका सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, चाहे मुर्दा गुनहगार ही क्यों न हो, लेकिन अगर अल्लाह तआला के हुकुम से मुर्दा को सवाब नहीं मिला तो इंशाअल्लाह आमाल करने वाले की तरफ इसका अजर पलट कर आएगा, जिस तरह मनीआर्डर अगर पाने वाले को नहीं मिलता है तो भेजने वाले को वापस मिल जाता है।

रसूलूल्लाह सल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के इंतिकाल के बाद उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है मगर तीन अमल सदक़ा जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं और नेक लड़के की दुआ जो वह अपने वालिद के लिए करे। (इब्ने माजा, इब्ने ख़ुज़ैमा)

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद सिर्फ उन मज़कूरा तीन आमाल की खास अहमियत को बतलाने के लिए है, अगर इस

हदीस को आम रखा जाए तो बेटे की माँ के लिए या भाई की बहन के लिए या किसी शख्स की अपने मुतअल्लिकीन और रिशतेदारों के लिए दुआ, इस्तिगफार और जनाज़ा की नमाज़ सब बेमानी हो जाऐंगी। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में इस तरह की बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फजर और असर की नमाज़ पाबंदी के साथ अदा करली तो वह जन्नत में दाखिल हो गया। (बुखारी व मुस्लिम) इस हदीस का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ इन दो वक्तों की नमाज़ की पाबंदी करलें बाकी जो चाहे करें हमारा जन्नत में दाखिला यकीनी है। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद इन दो नमाज़ों की खास अहमियत को बतलाने के लिए है क्योंकि जो इन दो नमाज़ों की पाबंदी करेगा वह जरूर दूसरे नमाज़ों का भी इहतिमाम करने वाला होगा और नमाज़ों का वाकई इहतिमाम करने वाला दूसरे अरकान की अदाएगी करने वाला भी होगा, इंशाअल्लाह। इसी तरह इस हदीस में इन तीन आमाल की सिर्फ खास अहमियत बतलाई गई है।

(खुलासा) जैसा कि इब्तिदा में लिखा गया है कि शरीअते इस्लामिया का वाज़ेह हुकुम मौजूद होने की वजह से रोज़मर्रा के 80 फीसद प्रैक्टिकल मसाइल में उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है, जिसमें किसी तरह का कोई इशकाल ही नहीं है, लेकिन बाज़ बाला असबाब की वजह से रोज़मर्रा के 20 फीसद प्रैक्टिकल मसाइल में जमाना कदीम से इखतिलाफ चला आ रहा है, जिनका आज तक कोई हल नहीं हुआ

और न ही हल की बजाहिर कोई खास उम्मीद है और न ही हमें इन मुखतलफ फीह मसाइल को हल करने का मुकल्लफ बनाया गया है। इस का हल कल क़यामत के रोज़ ही होगा जैसा कि अरब के मशहूर अलिमे दीन शैख डाक्टर आइज़ अलकरनी ने हिन्दुस्तान के हालिया सफर के दौरान अपनी तकरीर के दौरान फरमाया था।

लिहाज़ा हमें इखतियार है कि हम जिन उलमा के साथ अकीदत रखते हैं या जिन से क़ुरान व हदीस का इल्म हासिल करते हैं उन्हीं उलमा की सरपरस्ती में उन 20 फीसद मसाइल पर दूसरी राय का इहतिराम करते हुए अमल करें। मगर यह कि दूसरी राय शरीअते इस्लामिया के वाज़ेह अहकामात के खिलाफ हो।

इन्हीं मुखतलफ फीह मसाइल में क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मुर्दे को पहुंचने का मसअला है। उलमा और फुकहा की एक जमाअत की राय है कि क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचता। जबकि दूसरी जमाअत की राय है कि हज, ज़कात, क़ूर्बानी और सदकात की तरह क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब भी मुर्दों को पहुंचता है, इन उलमा व फुकहा में से हज़रत इमाम अबू हनीफा और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। हज़रत इमाम शाफई और हज़रत इमाम मालिक के बाज़ असहाब की राय भी यही है कि मुर्दों को क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब पहुंचता है। जैसा के इमाम नववी ने अपनी किताबुल अज़कार और इमाम सियुती ने अपनी किताब शरहुस्सदर में लिखा है। इमाम हाफिज़ काज़ी अलकुज़ा तकीयुद्दीन अस्सबकी अशशाफई ने अपनी किताब "**कज़ाउल अरब फी असएला**

हल्ब” में क़ुरान करीम पढ़ने के सवाब को मुर्दा के लिए हिबा करने को जाएज़ करार दिया है।

अल्लामा इब्ने तैमिया ने भी क़ुरान करीम के सवाब मुर्दा के लिए हिबा करने को जाएज़ करार दिया है (मजमूआ फतावा इब्ने तैमिया जिल्द 24)। इमाम अहमद बिन हम्बल (रहमतुल्लाह अलैह) के शागिर्द इमाम अबू बकर अलमरूज़ी (रहमतुल्लाह अलैह) ने कहा है कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना है कि जब तुम कब्रस्तिान में दाखिल हो तो आयतल कुर्सी फिर तीन बार “**कुल हुवल्लाहु अहद**” पढ़ो। इसके बाद कहो कि या अल्लाह इसका सवाब कब्रस्तिान वालों को पहुंचा। (अलमकसदुल अरशद फी असहाबिल इमाम अहमद)

सऊदी अरब की मजिलस कज़ाए आला के साबिक सदर शैख अब्दुल्लाह बिन हमीद ने इस मौजु पर 16 सफहात पर मुशतमिल एक किताबचा लिखा है जिसमें उलमा के अकवाल दलाइल के साथ तहरीर फरमाए हैं कि अक्सर उलमा की राय यही है कि क़ुरान करीम पढ़ने का सवाब मुर्दा को पहुंचाया जा सकता है।

क्योंकि अहादीस से माली और बदनी इबादात में नयाबत का वाज़ेह सबूत मिलता है, जिस पर सारी उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक है। रही खालिस बदनी इबादत तो बहुत से अहादीस से इस में भी नयाबत का जवाज़ साबित होता है। नेकियों की बाज़ अकसाम को मुस्तसना करने की कोई माक़ूल वजह समझ में नहीं आती है। और क़ुरान व

हदीस में किसी भी जगह क़ुरान करीम की तिलावत करके मुर्दे को इसका सवाब पहुंचाने से मना नहीं किया गया है। जिस तरह आदमी मज़दूरी करके मालिक से यह कह सकता है कि उसकी उजरत मेरे बजाए फलां शख्स को दे दो, इसी तरह वह कोई नेक अमल करके अल्लाह तआला से यह दुआ भी कर सकता है कि इसका अजर मेरी तरफ से फलां शख्स को अता कर दिया जाए। लिहाज़ा हमें क़ुरान करीम की तिलावत करके अपने मुर्दों को इसका सवाब पहुंचाना चाहिए लेकिन उसके लिए किसी वक्त की तायीन करना गलत है बल्कि जब भी मौक़ा मिले और जितनी तौफीक हो क़ुरान करीम की तिलावत फरमाएं और मुर्दे को इसका सवाब पहुंचाएं और इसके लिए दुआए मगफिरत फरमाएं।
वल्लाहु आलम बिस्सवाब

क़ुरान करीन को छूने या छू कर पढ़ने के लिए वज़ु जरूरी है

क़ुरान करीम अल्लाह तआला का कलाम हे, यानी उसकी मख्लूक नहीं बल्कि सिफत है। कलाम इलाही लौहे महफ़ूज़ में हमेशा से है और यह हमेशा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कलामों में सबसे अफज़ल व आला अपना पाक कलाम यानी क़ुरान करीम क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की हिदायत व रहनुमाई के लिए सारे इंसानों में सबसे अफज़ल व आला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे ज्यादा मुकर्रब फ़रिश्ता के ज़रिया नाज़िल फरमाया है। इस पाक कलाम के नुज़ूल की इब्तिदा सबसे अफज़ल महीना यानी रमज़ानुल मुबारक की सबसे अफज़ल रात यानी लैलतुल कदर में हुई। अल्लाह तआला जन्नत में जन्नतियों के सामने खुद अपने पाक कलाम की तिलावत फरमाएगा। अल्लाह तआला के कलाम की तिलावत भी बेशुमार इंसानों की हिदायत का ज़रिया बनी है, अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस्लाम लाने का वाक़या तारीख की किताबों में लिखा है।

क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि हम जब भी क़ुरान करीम की तिलावत करें या उसको छूए तो कलाम-ए-इलाही की अज़मत का तकाज़ा है कि हम बावज़ू हों। यानी हमें इसका खास इहतिमाम करना चाहिए कि तिलावत क़ुरान के वक्त हदसे असगर व हदसे अकबर से पाक व साफ हों। अगर कोई शख्स क़ुरान करीम को छूए बेगैर ज़बानी पढ़ना चाहता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल की

रौशनी में उलमा का इत्तिफाक है कि वज़ू जरूरी नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स क़ुरान करीम सिर्फ छूना चाहता है या छूकर पढ़ना चाहता है जिस तरह हम ओमूमन क़ुरान की तिलावत करते हैं तो क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर उलमा की राय है कि वज़ु का होना शर्त है यानी हम बेवज़ू क़ुरान करीम को छू नहीं सकते हैं। बहुत से सहाबा-ए-कराम, ताबेईन एज़ाम यहां तक कि चारों अईम्मा (इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल) ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है। उलमा-ए-अहनाफ, बरसगीर के उलमा-ए-कराम और सउदी अरब के मशाइख ने भी यही लिखा है कि बेवज़ू क़ुरान करीम छूआ नहीं जा सकता। जमहूर उलमा ने इस के लिए क़ुरान व हदीस के बहुत से दलाइल पेश फरमाए हैं। यहां इखतिसार के मद्देनज़र सिर्फ एक आयत और एक हदीस पर इकतिफा कर रहा हूँ।

अल्लाह तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है। "**इसको (यानी क़ुरान करीम को) वही लोग छू सकते हैं जो पाक हों**" (सूरह अलवाक़ेआ आयत 79)। इस आयत से मुफस्सिरीन ने दो मफहूम मुराद लिए हैं।

(1) क़ुरान करीम को लौहे महफ़ूज़ में पाक फरिशतों के सिवा कोई और छू नहीं सकता है।

(2) जो क़ुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है यानी वह मुसहफ जो हमारे हाथों में है इसको सिर्फ पाकी की हालत में ही छूआ जा सकता है। इस आयत की दूसरी तफसीर के मुताबिक बगैर पाकी के क़ुरान को छूना या छूकर पढ़ना

जाएज़ नहीं है। हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) के इस्लाम लाने का वाक्या जो तारीख की किताबों में मौजूद है उन्होंने अपनी बहन को क़ुरान करीम पढ़ते हुए पाया तो क़ुरान करीम को देखना चाहा, उनकी बहन ने यही आयत पढ़कर क़ुरान करीम उनके हाथ में देने से इंकार कर दिया था कि इसको पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छू सकता। हज़रत उमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने मजबूर होकर गुसल किया फिर क़ुरान करीम को पढ़ा। इस वाक़या से भी इसी दूसरी तफसीर की तरजीह होती है और जिन अहादीस में गैर ताहिर को क़ुरान करीम छूने से मना किया गया है उन अहादीस को भी उलमा कराम ने इस दूसरी तफसीर के लिए पेश फरमाई है।

इस बाब में बहुत से अहादीस हैं लेकिन तिवालत से बचने के लिए एक हदीस आपके सामने पेश कर रहे हैं।

हज़रत उमर बिन हज़म (रज़ियल्लाहु अन्हु) फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों को लिखा कि क़ुरान करीम को पाकी के बेगैर न छूआ जाए। (मुअत्ता मालिक, दारमी) यह हदीस मुख्तलिफ सनदों से अहादीस की बहुत सी किताबों में आया है और जमहुर मुहद्देसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है।

हदीस की किताबों में बहुत से सहाबा-ए-कराम से भी यही मंकूल है कि क़ुरान करीम को छूने के लिए वज़ू शर्त है। हज़रत सलमान फारसी (रज़ियल्लाहु अन्हु) वज़ू के बेगैर क़ुरान करीम पढ़ने में मुजाएका नहीं समझते थे मगर बेवज़ू क़ुरान करीम को हाथ लगाने को जाएज़ नहीं समझते थे। यही राय हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) की भी है।

(अहकामुल क़ुरान लिलजिसास) हज़रत अता, हज़रत ताउस और हज़रत शाबी और हज़रत कासिम बिन मोहम्मद (रहमतुल्लाह अलैहिम) से भी यही मंक़ूल है। (अलमुगनी ले इबने कुदामा) लेकिन क़ुरान करीम को हाथ लगाए बेगैर यानी याद से पढ़ना उन सब के नज़दीक बेवज़ू जाएज़ था।

क़ुरान व हदीस की रौशनी में मशहूर व मारूफ चारों अईम्मा की रायें

मसलक-ए-हनफी की तशरीह इमाम अल्लामा अलाउद्दीन कासानी हनफी (रहमतुल्लाह अलैह) ने बदाए -अल- सनाए में यूं लिखा है कि "**जिस तरह बेवज़ू नमाज़ पढ़ना जाएज़ नहीं इसी तरह क़ुरान मजीद को हाथ लगाना भी जाएज़ नहीं। लेकिन किसी कपड़े के साथ क़ुरान करीम को छूआ जा सकता है।**"

मसलके शाफई के इमाम नव्वी ने अलमिनहाज में इस तरह ज़िक्र किया हे "**नमाज़ और तवाफ की तरह क़ुरान को हाथ लगाना और उसके वरक़ को छूना भी वज़ू के बगैर हराम है। इसी तरह क़ुरान पाक की जिल्द को छूना भी मना है।**" बच्चा अगर बेवज़ू हो तो वह क़ुरान करीम को हाथ लगा सकता है और बेवज़ू आदमी अगर क़ुरान पढ़े तो लकड़ी या किसी और चीज़ से वह उसका वरक़ पलट सकता है।

माल्किया का मसलक जो अलफेकहा अलमजाहिबिल अरबा में नकल किया गया है वह यह है कि जमहुर फुकहा के साथ वह इस मामला में मुत्तफिक हैं कि क़ुरान को हाथ लगाने के लिए वज़ू शर्त है।

शैख इबने कुदामा हम्बली ने लिखा है कि जनाबत और हैज व निफास की हालत में क़ुरान या उसकी पूरी आयत को पढ़ना जाएज़

नहीं है लेकिन बिसमिल्लाह, अलहमदुलिल्लाह वगैरह कहना जाएज है क्योंकि अगरचे यह भी किसी न किसी आयत का हिस्सा हैं मगर इनसे तिलावते क़ुरान मकसूद नहीं होती। रहा क़ुरान को हाथ लगाना तो वह किसी हाल में वज़ू के बेगैर जाएज़ नहीं।
अल्लामा इबने तैमिया (रहमतुल्लाह अलैह) ने भी यही लिखा है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम नहीं छूना चाहिए और यही हज़रत सलमान फारसी (रज़ी अल्लाह अन्हु) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) और दूसरे सहाबा-ए-कराम की राय यह थी और किसी एक सहाबी से इसके खिलाफ मंक़ूल नहीं। (मजमउल फतावा 226/21-288/21)

शैख हाफिज़ बिन अलबर (रहमतुल्लाह अलैह) ने लिखा है कि तमाम उलमा-ए-उम्मत का इत्तिफाक है कि क़ुरान छूने के लिए वज़ू जरूरी है। (अलइसतिजकार 10/8)
गर्जकि क़ुरान व हदीस की रौशनी में खैरूल कुरून से असर हाजिर तक के जमहूर मुहद्देसीन, मुफस्सेरीन, फुकहा व उलमा और चारों अईम्मा ने यही कहा है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज नहीं है। इस तरह उम्मत मुस्लिमा का तकरीबन 95 फीसद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि क़ुरान को छूने के लिए वज़ू का होना शर्त है। जिन चंद हज़रात ने बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम छूने की इज़ाजत दी है उन्होंने भी यही तरगीब दी है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम नहीं छूना चाहिए। गरज़ ये कि हमें बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम नहीं छूना चाहिए और नहीं मुसहफ से क़ुरान करीम की तिलावत बेगैर वज़ू के करनी चाहिए।

सउदी उलमा के फतावे

सउदी अरब के साबिक मुफती शैख अब्दुल अज़ीज़ इबने बाज़ ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज़ नहीं है।

शैख अब्दुल अज़ीज़ इबने बाज़ के कलाम का खुलासा यह है कि जमहूर उलमा के नजदीक जाएज नहीं कि मुस्लिमान बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम को छूए और चारों अईम्मा की भी यही राय थी। और सहाबा कराम भी यही फतवा दिया करते थे। इस बाब में हज़रत उमर बिन हिजम (रज़ियल्लाहु अन्हु) की एक सही हदीस मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों को लिखा का "**कोई शख्स बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम को न छूए**" यह सही हदीस और मुख्तलिफ सनदों से वारिद हुई है और एक सनद को दूसरी सनद से तक़वियत हासिल हुई है। गरज़ ये कि यह बात अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिमान के लिए जाएज नहीं कि वह हदसे असगर व अकबर (छोटी बड़ी नापाकी) से तहारत के बेगैर क़ुरान को छूए। इसी तरह अगर कोई क़ुरान करीम को एक जगह से दूसरी जगह मुनतकिल करना है तब भी वज़ू का होना शर्त है। हां अगर किसी कपड़े वगैरह से क़ुरान करीम को छू रहे हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं। अपनी याद से क़ुरान करीम बेगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं लेकिन अगर किसी को गुसल की जरूरत पड़ गई तो फिर वह अपनी याद से भी क़ुरान करीम नहीं पढ़ सकता है।

सउदी अरब के एक बड़े आलिमे दीन शैख मोहम्मद सालेह बिन उसैमीन ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है कि

बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज नहीं है।

क़ुरान करीम पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है लेकिन क़ुरान करीम को छूने के लिए वज़ू जरूरी हैं। हां रूमाल वगैरह के जरिया बेगैर वज़ू के क़ुरान को छूआ जा सकता है। जहां तक बच्चों का तअल्लुक है तो अक्सर उलमा ने बच्चों के लिए इजाजत दी है कि वह बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम को छू कर पढ़ सकता है। जबकि बाज़ उलमा की राय में बच्चों के लिए भी जरूरी है कि वह बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम न छूएं। क्योंकि यह क़ुरान करीम का एहतिराम है जो हर एक के लिए जरूरी है। हम कहते हैं कि अगर बच्चे भी बावज़ू क़ुरान करीम छूऐ तो बेहतर व अफजल है लेकिन अगर कोई बच्चा बेगैर वज़ू के छू ले तो कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह।
सउदी अरब के एक जैयिद आलीम डाक्टर मोहम्मद इबन अब्दुर रहमान अलओरैफी ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज़ नहीं।
डाक्टर मोहम्मद इबन अब्दुर रहमान अलओरैफी के कलाम का खुलासा यह है कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम के मुतअल्लिक अपने कलाम में इरशाद फरमाया "**इस को न छूओ मगर पाकी की हालत में**" बाज़ उलमा ने फरमाया है कि क़ुरान करीम की इस आयत में मुत्तहेरून से मुराद फ़रिश्ते हैं सही भी यही है लेकिन मोमिनीन को भी चाहिए कि वह फ़रिश्तों की मुशाबहत करके बेगैर पाकी के क़ुरान करीम को न छूऐं। शेख इबने अब्दुबर ने फरमाया कि चारों अईम्मा (इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल) ने क़ुरान करीम के छूने के लिए वज़ू को

जरूरी करार देने का फतवा दिया है। यानी पाकी के बेगैर क़ुरान करीम का छूना जाएज नहीं है। इसी तरह हज़रत उमर बिन हिजम की हदीस में वारिद है जिसको नसई और दूसरे मुहद्देसीन ने रिवायत किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरान करीम को बगैर पाकी के न छूआ जाए यानी क़ुरान करीम को छूने के लिए वज़ू जरूरी है। जहां तक क़ुरान को छूए बेगैर क़ुरान के पढ़ने का मामला है तो बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम को पढ़ा जा सकता है लेकिन गुसल की जरूरत हो गई तो फिर क़ुरान करीम किसी भी हालत में नहीं पढ़ा जा सकता है।

सउदी अरब के एक मशहूर आलिमे दीन खालिद बिन अब्दुल्लाह मसलेह (अलकसीम) ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज नहीं है।

खुलासा कलाम पेश है कि मसला में उलमा के दरमायान इख्तिलाफ है। जमहुर उलमा खास कर चारों अइम्मा की राय है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान नहीं छूआ जा सकता है जैसा कि उमर बिन हिजम की हदीस आई है। हाफिज़ इबन अब्दुलबर ने कहा कि इस हदीस की बहुत शोहरत की वजह से मुहद्देसीन ने इसे कबूल किया है। बाज़ फुकहा ने क़ुरान करीम की आयत से इसतिदलाल किया है। लेकिन यह महल्ले नज़र है लेकिन फिर भी फ़रिश्तों की तरह मोमेनीन को भी बावज़ू ही क़ुरान करीम छूना चाहिए।

गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में खैरूल कुरून से असर हाजिर तक के जमहुर मुहद्देसीन, मुफस्सेरीन, फुकहा और चारों अइम्मा ने यही कहा है कि बेगैर वज़ू के क़ुरान करीम का छूना जाएज़ नहीं है।

जुनबी और हाइज़ा औरत के लिए क़ुरान की तिलावत नाजाएज़

अगर किसी मर्द या औरत को गूसल की जरूरत पड़ जाए यानी औरत हैज (माहवारी) की हालत में हो तो क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर मुहद्देसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा और उलमा-ए-कराम का इत्तिफाक है कि उसके लिए जाएज़ नहीं कि वह क़ुरान करीम को छुए या छू कर तिलावत करे। बहुत से सहाबा-ए-कराम, ताबेईन-ए-एज़ाम और चारों अईम्मा (इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हमबल) ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही फरमाया है। उलमा-ए-अहनाफ, उलमा-ए-कराम और सउदी अरब के मशाइख ने भी यही लिखा है कि नापाक मर्द व औरत इसी तरह वह औरत जिसको माहवारी आ रही हो उसके लिए जाएज़ नहीं कि वह क़ुरान करीम छुए या क़ुरान छू कर इसकी तिलावत करे। जमहूर उलमा ने इसके लिए क़ुरान व हदीस से बहुत सी दलीलें पेश की हैं। इन दलीलों में क़ुरान करीम में अल्लाह तआला का इरशाद है "**इसको (यानी क़ुरान करीम को) वही लोग छू सकते हैं जो पाक हों**।" (सूरह अलवाकिआ आयत 79) इस आयत से मुफस्सिरीन ने दो मफ़हूम मुराद लिए हैं।

(1) क़ुरान करीम को लौहे महफूज़ में पाक फरिशतों के सिवा कोई और छू नहीं सकता है।

(2) जो क़ुरान करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है यानी वह मुसहफ जो हमारे हाथों में है इसको सिर्फ पाकी की हालत में ही छूआ जा सकता है।

दूसरी तफसीर के मुताबिक वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि नापाकी (यानी ऐसी नापाकी जो बड़ी और छोटी दोनों हों) की हालत में क़ुरान छूना जाएज़ नहीं है। पहली तफसीर में जिसको मुफस्सिरीन ने राजेह करार दिया है अगरचे एक खबर दी जा रही है कि क़ुरान करीम को लौहे महफ़ूज़ में पाक फरिशतों के सिवा कोई और छू नहीं सकता मगर हमारे लिए वाज़ेह तौर पर यह पैगाम है कि जब लौहे महफ़ूज़ में पाक फरिशते ही इसको छू सकते हैं तो हम दुनिया में नापाकी की हालत में क़ुरान करीम को कैसे छू सकते हैं। नीज़ क़ुरान करीम के पहले मुफस्सिर और सारी इंसानियत में सबसे अफ़ज़ल व आला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी यही तालीम मिलती है कि नापाकी की हालत में वज़ू के बेगैर क़ुरान करीम को न छुए और न छूकर तिलावत करें।

हज़रत उमर बिन हज़म (रज़ी अल्लाहु अन्हु) ने यमन वालों को लिखा कि क़ुरान करीम को पाकी के बेगैर न छुआ जाए। (मुअत्ता मालिक) और (दारमी में) यह हदीस मुख्तलिफ सनदों से अहादीस की बहुत सी किताबों में लिखी हुई है और जमहूर मुहद्देसीन ने इसको सही करार दिया है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी अल्लाहु अन्हु) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "**हाइज़ा (वह औरत जिसको माहवारी आ रही हो) और जुंबी (जिसपर गुसल वाजिब हो गया है) क़ुरान करीम से कुछ भी न पढ़े**। (तिर्मीज़ी 131, इबने माजा 595, दारे कुतनी 1/117 और बैहिकी 1/89)

सहाबा-ए-कराम व ताबेईन के दरमायान यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि नापाकी की हालत में और बेवज़ू क़ुरान करीम को नहीं छुआ जा सकता है। चुनांचे बाज़ सहाबा-ए- कराम और ताबेईन के अकवाल हदीस की मशहूर किताबों में लिखी हुई है। गरज़ ये कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में खैरूल कुरून से असरे हाज़िर तक के जमहूर मुहद्देसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा व उलमा-ए-कराम और चारों अईम्मा ने यही कहा है कि बेगैर वजू, इसी तरह नापाकी की हालत में क़ुरान करीम का छूना दुरुस्त नहीं है। हाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की रौशनी में फुकहा व उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स क़ुरान करीम को छुए बेगैर सिर्फ ज़बानी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वजू जरूरी नहीं है। लेकिन नापाकी की हालत में यानी अगर किसी मर्द या औरत पर गुसल वाजिब हो गया है तो क़ुरान व हदीस की रौशनी में जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि फिर क़ुरान करीम की ज़बानी भी तिलावत नहीं की जा सकती है।

हाइज़ा (वह औरत जिसको माहवारी आ रही हो) के बारे में 80 हिजरी में पैदा हुए मुहद्दिस व फकीह शैख नोमान बिन साबित (रहमतुल्लाह अलैह) (इमाम अबु हनिफा), उलमा-ए-अहनाफ, हिन्द व पाक के उलमा और दूसरे मुहद्देसीन व मुफस्सिरीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान (हाइज़ा और जुनबी क़ुरान करीम से कुछ भी नह पढ़े) और दूसरे दलिलों की रौशनी में फरमाया है कि जुनबी या हाइज़ा भी क़ुरान करीम को ज़बानी नहीं पढ़ सकती

है। बाज़ उलमा-ए-कराम ने जिक्र किए हुए हदीस को कमज़ोर कहकर इज़ाजत दी है कि हाइज़ा औरत सिर्फ ज़बानी कुरान करीम की तिलावत कर सकती है मगर गौर तलब बात यह है कि जुनबी और हाइज़ा औरतों के बहुत से मसलों में एक ही हुकुम है। मसलन मस्जिद में दाखिल होना या बैठना, नमाज़ पढ़ना और तवाफ करना और कुरान करीम छूकर तिलावत करना दोनों के लिए जाएज़ नहीं हैं वगैरह वगैरह तो इस मज़कूरह हदीस को कमज़ोर करार देकर हाइज़ा औरत के लिए ज़बानी तौर पर लितावत की इजाजत देना महल्ले नज़र है। हाँ अगर कोई औरत कुरान की आयत को दुआ के तौर पर पढ़ रही है तो जाएज़ है।

खुलासा कलाम खैरूल कुरून से असर हाज़िर तक जमहूर मुहद्देसीन, मुफस्सिरीन व फुकहा व उलमा-ए-कराम का इत्तिफाक है कि जुनबी की तरह हाइज़ा औरत के लिए कुरान करीम की छूकर लितावत करना जाएज़ नहीं है बल्कि बेगैर वजू के किसी भी मर्द या औरत के लिए कुरान करीम को छूना या छूकर तिलावत करना जाएज़ नहीं है। इमाम अबु हनीफा और दूसरे उलमा की राय में हदीस की मशहूर व मारूफ किताबों (तिर्मीज़ी, इबने माजा, दारे कुतनी, बैहिकी और दूसरे कूतूबे हदीस) में वारिद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि विसल्लम के फरमान (हाइज़ा और जुनबी कुरान करीम से कुछ भी नह पढ़े) की रौशनी में जुनबी और हाइज़ा औरत के लिए ज़बानी भी कुरान करीम की तिलावत करना जाएज़ नहीं है।

हकीम लुक़मान (रहमतुल्लाह अलैह) और उनकी क़ीमती नसीहतें

हकीम लुक़मान (रहमतुल्लाह अलैह) का नाम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके नाम से क़ुरान करीम में एक सूरत नाज़िल फरमाई है। जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि हज़रत लुक़मान कौन थे। अल्लाह तआला ने उनके नसब, खानदान और ज़माना के बारे में तो अपने कलाम पाक में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अकवाल का ज़िक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारिख इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था, लेकिन उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाज़ाद भाई जबकि दूसरी रिवायत से हज़रत दाउद अलैहिस्सलाम का हमज़माना मालूम होता है।

अकसर तारीखदाँ की राय है कि हकीम लुक़मान अफरिकी नसल थे और अरब में उनकी आम्द बहैसियत गुलाम हुई थी। बहुत से उलमा का कहना है कि हकीम लुक़मान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाज़िल हुई। क्योंकि क़ुरान व हदीस में किसी भी जगह कोई एसा इशारा मौजूद नहीं है जो हकीम लुक़मान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने हकीम लुक़मान को नबूवत अता नहीं की मगर हिकमत व दानाई अता फरमाई।

रिवायात में आता है कि आप सूरत व शकल के एतेबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसैयिब (रमतुल्लाह अलैह) ने एक हबशी से कहा था कि तु इस बात से दिलगीर न हो कि तु काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में तीन आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी (रज़ियल्लाहु अन्हु), हज़रत ऊमर फारूक (रज़ियल्लाहु अन्हु) का गुलाम मेहजा और हकीम लुक़मान (रहमतुल्लाह अलैह)। गरज़ ये कि हकीम लुक़मान के हालाते ज़िन्दगी और ज़माना में इख्तिलाफ के बावजूद पूरी दुनिया को एक मशहूर शख्सियत तसलीम करती है। जाहेलियत के चंद शोरा ने भी इनका तजकिरा किया है।

अल्लाह तआला ने सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान की उन क़ीमती नसीहतों का ज़िक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातब करके बयान फरमाई थीं। यह हकीमाना अक़वाल अल्लाह तआला ने इसलिए क़ुरान करीम में नक़ल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फायदा उठाकर अपनी ज़िन्दगी को खूब से खूबतर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आसके।

पहली नसीहत, शिर्क से दूरी

सबसे पहली हिकमत अक़ाएद की दुरूस्तगी के बारे में है। ऐ मेरे बेटे! अल्लाह के साथ शिर्क न करना, यक़ीन जानो शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है। यानी अल्लाह तआला ही पूरी कायनात का खालिक़ व मालिक व राज़िक़ है और उसके साथ किसी गैरूल्लाह को शरीके इबादत न करना। इस दुनिया में इससे बड़ा ज़ुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह

तआला किसी मखलूक को उसके बराबर ठहराया जाए। यही वह पैगाम है जिसकी दावत तमाम अम्बिया और रसूल ने दी कि माबूदे हक़ीक़ी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला है, वही पैदा करने वाला वही रिज़्क़ देने वाला और पूरी दुनिया के निज़ाम को तनहा वही चलाने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं है। हम सब उसके बन्दे हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किलकुशा, हाजतरवा और जरूरतों को पूरा करने वाला है।

दूसरी नसीहत, अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहीत है

हकीम लुक़मान की दूसरी नसीहत अपने बेटे को यह थी कि इस बात का यक़ीन रखा जाए कि आसमान व ज़मीन और उसके अन्दर जो कुछ है उसके एक एक ज़र्रा से अल्लाह तआला अच्छी तरह वाकिफ है, कोई चीज़ भी उससे पोशीदा नहीं है और इसपर उसकी कुदरत भी कामिल है। कोई चीज़ कितनी भी छोटी से छोटी हो जो आम नज़रों में न आसकती हो, इसी तरह कोई चीज़ कितनी ही दूर दराज़ पर हो, इसी तरह कोई चीज़ कितने ही अंधेरों और पर्दा में हो अल्लाह तआला के इल्म व नज़र से नहीं छुप सकती। गरज़ ये कि हम दुनिया के किसी भी मैदान में हों, तिजारत कर रहे हों, दरस व तदरीस की खिदमात अंजाम दे रहे हों, मुलाज़मत कर रहे हों, क़ौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हों, लेकिन हमें हमारे माँ बाप और कायनात को पैदा करने वाला हमारी ज़िन्दगी के एक एक लमहे से पूरी तरह वाक़िफ है और हमें मरने के बाद उसके सामने खड़े होकर ज़िन्दगी के एक एक पल का हिसाब देना है। अगर हमने किसी से छुपकर रिश्वत ली है या किसी शख्स पर ज़ुल्म किया है या किसी

गरीब को सताया है या किसी का हक मारा है तो मुमकिन है कि हम दुनिया वालों से बच जाएं लेकिन अल्लाह तआला की अदालत में अंधेर नहीं है और हमें इसका जरूर हिसाब देना होगा।

तीसरी नसीहत, नमाज़ पढ़ना

हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए यह भी फरमाया, बेटे नमाज़ कायम करो। नमाज़ ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रूकन है। नमाज़ खुद अहम होने के साथ वह दूसरे आमाल की दुरूस्तगी का ज़रिया भी है जैसा कि इरशाद बारी है, “**जो किताब आप पर उतारी गई है उसे पढ़िए और नमाज़ कायम कीजिए, यक़ीनन नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है**” (सूरह अलअनकबूत 45) नमाज़ में अल्लाह तआला ने यह खासियत व तासीर रखी है कि वह नमाज़ी को गुनाहों और बुराईयों से रोक देती है मगर ज़रूरी है कि उसपर पाबन्दी से अमल किया जाए और नमाज़ को उन शराएत व आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज़ की क़बूलियत के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि एक शख्स रातों को नमाज़ पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नमाज़ अनक़रीब उसको बुरे काम से रोक देगी (मुसनद अहमद, सही इब्ने हिब्बान) लिहाज़ा हमें नमाज़ों का इहतिमाम करना चाहिए।

चौथी नसीहत, इसलाहे मुआशरा के लिए कोशिश करना

हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए आगे फरमाते हैं,

अच्छी बातों का हुकुम करो और बुरी बातों से रोको। यानी अपनी ज़ात से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ मुआशरा की इसलाह की कोशिश करते रहना यानी इस बात की फिक्र करना कि सारे इंसान अल्लाह को मान कर, अल्लाह की मान कर ज़िन्दगी गुजारने वाले बन जाएं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुंकर (अच्छाईयों का हुकुम करना और बुराईयों से रोकना) की जिम्मेदारी को अल्लाह तआला ने कुरान पाक में बार बार बयान किया है। सूरह तौबह की आयत नं॰ 71 में अल्लाह तआला ने बयान किया है कि **"इमान वाले मर्द और इमान वाली औरतें एक दूसरे के मुआविन व मददगार हैं"** उनके चार औसाफ ये हैं कि वह अच्छाइयों का हुकुम करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात अदा करते है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यानी जिस तरह हर मोमिन पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, नमाज़ कायम करना और ज़कात अदा करना (अगर माल पर ज़कात फर्ज है) ज़रूरी है, इसी तरह अच्छाईयों का हुकुम करना और बुराईयों से रोकना हर ईमान वाले के लिए ज़रूरी है, अगरचे हर शख्स इस्तिताअत के मुताबिक़ ही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुंकर का मुकल्लफ है।

पांचवीं नसीहत, हालात पर सब्र करना

अपने साथ दूसरों की इसलाह की कोशिश करना एसा अमल है कि उसकी पाबंदी में खासी मशक़्क़त बर्दाशत करनी पड़ती है। उस पर साबित क़दम रहना आसान नहीं है खासकर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुंकर की खिदमत का सिला दुनिया में उमूमन अदावतों

और मुखालिफतों से मिलता है, इसलिए हकीम लुक़मान ने इसके साथ यह भी वसीयत फरमाई कि दीन पर चलने और इसको दूसरों तक पहुचाने में जो मुश्किलात सामने आएं उन पर सब्र करें, जैसा कि सूरह अलअसर में अल्लाह तआला जमाने की कसम खाकर इरशाद फरमाता है कि "**तमाम इंसान खसारे और नुकसान में है मगर वह लोग जो अपने अन्दर चार सिफात पैदा करलें।**" इमान लाएं, नेक आमाल करें, महज़ अपनी इनफेरादी इसलाह व फलाह पर किनाअत न करें बल्कि उम्मत के तमाम अफराद की भी कामयाबी की फिक्र करें। दीन पर चलने और इसको दूसरों तक पहुचाने में जो मुश्किलात आएं उन पर सब्र करें।

हकीम लुक़मान की चन्द दूसरी नसीहतें आदाब-ए-मुआशरत के मुतअल्लिक

हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं- लोगों के सामने (तकब्बुर से) अपने गाल मत फैलाओ। यानी लोगों से मुलाकात और उनसे गुफतगू के वक्त उनसे मुंह फेर कर बात न करो जो उनसे एराज करने और तकब्बुर करने की अलामत और अखलाके शरीफाना के खिलाफ है। अल्लाह तआला अपने नबी के मुतअल्लिक क़ुरान पाक (सूरह अल कलम 4) में इरशाद फरमाता है "**और यक़ीनन तुम अखलाक के आला दर्जा पर हो**।" हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतअल्लिक सवाल किया गया तो हज़रत आइशा ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क़ुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक था (सही बुखारी व सही मुस्लिम)। हुज़ूर

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है (मुसनद अहमद) गरज़ ये कि हकीम लुक़मान की अपने बेटे की नसीहत को अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में ज़िक्र करके पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया कि तमाम इंसानों के साथ अच्छे अखलाक पेश करने चाहिए। और साथ में यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बन्दा दरगुजर करता है अल्लाह तआला उसकी इज्ज़त बढ़ाता है और जो बन्दा अल्लाह के लिए आजज़ी इखतियार करता है अल्लाह तआला उसका दर्जा बुलंद करता है। (सही मुस्लिम)

हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि ज़मीन पर इतराते हुए मत चलो। यानी ज़मीन को अल्लाह तआला ने सारे अनासिर से पस्त उफतादा बनाया है, तुम इसी से पैदा हुए, इसी पर चलते फिरते हो, अपनी हक़ीक़त को पहचानो, इतराकर न चलो जो काफिरों का तरीक़ा है, इसके बाद अल्लाह तआला फरमाता है यक़ीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शैखी बाज़ को पसंद नहीं करता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आदमी चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और जूता अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला जमील है, जमाल को पसंद करता है। किब्र और गुरूर तो हक नाहक करना और लोगों को छोटा समझना है। (मुस्लिम किताब अल इमान, बाब तहरीम अलकबीर) यानी अपनी वुसअत के मुताबिक अच्छा कपड़ा पहनना

किब्र और गुरूर नहीं बल्कि लोगों को हकीर समझना तकब्बुर और गुरूर है।

हकीम लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं "**और अपनी चाल में मयाना रवी इखतियार करो**" यानी इंसान को दरमियानी रफतार से चलना चाहिए, रफतार न इतनी तेज़ हो कि भागने के करीब पहुंच जाए और न इतनी आहिस्ता कि सुस्ती में दाखिल हो जाए। यहां तक कि अगर कोई शख्स जमाअत की नमाज़ को हासिल करने के लिए जा रहा हो तो उसको भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागने से मना फरमा कर इतमिनान व सुकून के साथ चलने की ताकीद फरमाई है।

हकीम लुक़मान की अपने बेटे को एक और अहम नसीहत "**अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो**" आहिस्ता से मुराद यह नहीं कि इंसान इतना अहिस्ता बोले कि सुनने वाले को दिक्कत पेश आए बल्कि मुराद यह है कि जिनको सुनाना मकसूद है, उन तक आवाज़ वज़ाहत के साथ पहुंच जाए लेकिन इससे ज्यादा चीख चीख कर बोलना इस्लामी आदाब के खिलाफ है। गरज़ ये कि हमें इतनी ही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जितनी उसके मुखातिबों को सुनने और समझने के लिए ज़रूरी है, "**बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है।**"

आखिर में आदाबे मुआशरत से मुतअल्लिक चार नसीहतें ज़िक्र की गई। पहला "लोगों से गुफतगू और मुलकात में मुतकब्बिराना अंदाज से रूख फेर कर बात करने से मना किया गया है।" दूसरा "ज़मीन

पर इतराकर चलने से मना किया गया है।” तीसरा “दरमयानी रफतार से चलने की हिदायत दी गई।” और चौथा “बहुत ज़ोर से शोर मचाकर बोलने से मना किया गया है।” इन तमाम ही नसीहतों का खुलासा यह है कि हर वक्त हम दूसरों का ख्याल रखें, किसी शख्स को भी चाहे वह मुसलमान हो या काफिर हम उसको जानते हों या न जानते हों लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ किसी भी इंसान को नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर हम इन उमूर में कोताही से काम लेते हैं, हालांकि इन उमूर का तअल्लूक हुक़ूक़ुल इबाद से है और हुक़ूक़ुल इबाद में हक तलफी इंसान के बड़े बड़े नेक आमाल को खत्म कर देगी। लिहाज़ा हमें चाहिए कि हम हकीम लुक़मान (रहमतुल्लाह अलैह) की इन क़ीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुआशारा की तशकील दें।

और हम ख्वार हुए तारिके कुरान हो कर

कुरान क्या है?

कुरान करीम अल्लाह तआला का पाक कलाम है, जो अल्लाह तआला ने क़यामत तक आने वाले इंसान व जिन्नात की रहनुमाई के लिए आखरी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिया अरबी ज़बान में 23 साल के अरसा में नाज़िल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह तआला की सिफत है, मखलूक नहीं और वह लौहे महफूज़ में हमेशा से है।

कुरान के नुज़ूल का मकसद?

अल्लाह तआला ने कुरान करीम को क़यामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है मगर अल्लाह तआला से डरने वाले ही इस किताब से फायदा उठाते हैं। जैसा कि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**यह किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, यह हिदायत है (अल्लाह से) डर रखने वालों के लिए**।" (सूरह अलबकरा आयत 2)

कुरान करीम किस तरह और कब नाज़िल हुआ?

रमज़ान के महीने की एक बाबरकत रात "**लैलतुल कदर**" में अल्लाह तआला ने लौहे महफूज़ से आसमने दुनिया (ज़मीन से करीब वाला आसमान) पर कुरान करीम नाज़िल फरमाया और इसके बाद हस्बे जरूरत थोड़ा-थोड़ा हूज़ुर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता रहा और लगभग 23 साल के अरसा में कुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ। कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल उस वक्त

शुरू हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक चालीस साल थी। कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें ग़ारे हिरा में उतरी वह सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात हैं, "**पढ़ो अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है।**" इस पहली वही के नुज़ूल के बाद तीन साल तक वही के नुज़ूल का सिलसिला बन्द रहा। तीन साल के बाद वही फरिश्ता जो ग़ारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सूरह अलमुदस्सिर की इब्तिदाई चंद आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई "**ऐ कपड़े में लिपटने वाले उठो और लोगों को खबरदार करो और अपने परवरदिगार की तकबीर कहो और अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से किनारा करलो।**" इस के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वही के नुजूल का आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जारी रहा। ग़रज कि 23 साल के अरसा में कुरान करीम पूरा नाज़िल हुआ।

कुरान करीम किस तरह हमारे पास पहुंचा?

कुरान करीम एक ही दफा में नाज़िल नहीं हुआ बल्कि ज़रूरत और हालात के एतबार से मुख्तलिफ आयात नाज़िल होती रहीं। कुरान करीम की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े कुरान पर ज़ोर दिया गया, चुनांचे खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज़ को उसी वक्त दोहराने लगते थे ताकि वह अच्छी तरह याद हो जाएं। इस पर अल्लाह तआला की जानिब से वही नाज़िल हुई कि, वही के

नुज़ूल के वक्त जल्दी जल्दी अल्फाज़ दोहराने की जरूरत नहीं है बल्कि अल्लाह तआला खुद आप में एसा हाफ्ज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मर्तबा नुजूले वही के बाद आप उसे भुल नहीं सकेंगे। इस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफ़िज़े कुरान हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा-ए-कराम को कुरान के माना की तालीम ही नहीं देते थे बल्कि उसके अल्फाज़ भी याद कराते थे। खुद सहाबा-ए-कराम को कुरान करीम याद करने का इतना शौक था कि हर शख्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र में रहता था। चुनांचे हमेशा सहाबा-ए-कराम में एक अच्छी खासी जमाअत ऐसी रहती जो नाज़िलशुदा कुरान की आयात को याद कर लेती और रातों को नमाज़ में उसे दोहराती थी। गरज़ कि कुरान की हिफाज़त के लिए सबसे पहले हिफ्ज़े कुरान पर ज़ोर दिया गया और उस वक्त के लिहाज़ से यही तरीका ज्यादा महफूज़ और काबिले एतेमाद था।

कुरान करीम की हिफाज़त के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को लिखवाने का भी खास इहतिमाम फरमाया चुनांचे नुज़ूले वही के बाद आप कातेबीने वही को लिखवा दिया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि जब कुरान करीम का कोई हिस्सा नाज़िल होता तो आप कातिबे वही को यह हिदायत भी फरमाते थे कि इसे फ्लाँ सूरत में फ्लाँ आयात के बाद लिखा जाए। उस ज़माने में कागज नहीं होता था इसलिए यह कुरानी आयात ज्यादातर पत्थर की सिलों, चमड़े के पारचों, खजूर की शाखों, बांस के टुकड़ों, पेड़ के पत्तों और जानवरों की हडिडयों पर लिखी जाती थीं। कातेबीने वही में हज़रत जैद बिन

साबित, खुल खुलफाए राशेदीन, हज़रत ओबय बिन काब, हज़रत जुबैर बिन अव्वाम और हज़रत मुआविया (रज़ी अल्लाहु अन्हुम) के नाम खास तौर पर ज़िक्र किए जाते हैं।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम के ज़माने में जितने कुरान करीम के नुसखे लिखे गए थे वह अमूमन मुख्तलिफ चीजों पर लिखे हुए थे। हज़रत अबु बकर सिद्दीक (रज़ी अल्लाहु अन्हु) के अहदे खिलाफत में जब जंगे यमामा के दौरान हुफ्फाज़े कुरान की एक बड़ी जमात शहीद हो गई तो हज़रत उमर फारूक (रज़ी अल्लाहु अन्हु) ने हज़रत अबु बकर सिद्दीक (रज़ी अल्लाहु अन्हु) को कुरान करीम एक जगह जमा करवाने का मशविरा दिया। हज़रत अबु बकर सिद्दीक (रज़ी अल्लाहु अन्हु) शुरू में इस काम के लिए तैयार नहीं थे लेकिन शरहे सद्र के बाद वह भी इस अज़ीम काम के लिए तैयार हो गए और कातिबे वही हज़रत जैद बिन साबित को इस अहम व अज़ीम अमल का ज़िम्मेदार बनाया। इस तरह कुरान करीम को एक जगह जमा करने का अहम काम शुरू हो गया।

हज़रत जैद बिन साबित खुद कातिबे वही होने के साथ पूरे कुरान करीम के हाफिज़ थे। वह अपनी याददाशत से भी पूरा कुरान लिख सकते थे, उनके अलावा उस वक्त सैकड़ों हुफ्फाज़े कुरान मौजूद थे मगर उन्होंने एहतियात के पेशेनज़र सिर्फ एक तरीका पर बस नहीं किया बल्कि उन तमाम ज़राए से बयकवक्त काम लेकर उस वक्त तक कोई आयत अपने सहीफे में दर्ज नहीं की जब तक उसके मोतवातिर होने की तहरीरी और ज़बानी शहादतें नहीं मिल गईं।

इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जो आयात अपनी निगरानी में लिखवाई थी वह मुख्तलिफ सहाबा-ए-कराम के पास महफूज़ थीं। हज़रत जैद बिन साबित ने उन्हें यकजा फरमाया ताकि नया नुसखा उन्ही से नकल किया जाए। इस तरह खलीफा अव्वल हज़रत अबु बकर सिद्दीक के अहदे खिलाफत में कुरान करीम एक जगह जमा कर दिया गया।

जब हज़रत उसमान ग़नी (रज़ी अल्लाहु अन्हु) खलीफा बने तो इस्लाम अरब से निकल कर दूर दराज़ अजमी इलाकों तक फैल गया था। हर नए इलाका के लोग इन सहाबा व ताबेईन से कुरान सिखते जिनकी बदौलत उन्हें इस्लाम की नेमत हासिल हुई थी। सहाबा ने कुरान करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किरातों के मुताबिक सिखा था। इसलिए हर सहाबी ने अपने शागिर्दों को उसी किरात के मुताबिक कुरान पढ़ाया जिसके मुताबिक खुद उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था। इस तरह किरातों का यह इख्तिलाफ दूरदराज़ मुल्कों तक पहुंच गया। लोगों ने अपनी किरात को हक और दूसरी किरातों को गलत समझना शुरू कर दिया हालांकि अल्लाह तआला ही की तरफ से इजाज़त है कि मुख्तलिफ किरातों में कुरान करीम पढ़ा जाए। हज़रत उसमान ग़नी ने हज़रत हफसा के पास पैग़ाम भेजा कि उनके पास (हज़रत अबू बकर के तैयार कराये हुए) जो सहीफे मौजूद हैं, वह हमारे पास भेज दें। चुनांचे हज़रत जैद बिन साबित की सरपरस्ती में एक कमेटी तशकील देकर उनको मुकल्लफ किया गया कि वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सहीफे से नकल करके कुरान करीम के

चंद एसे नुसखे तैयार करें जिनमें सूरतें भी मुरत्तब हों। चुनांचे कुरान करीम के चंद नुसखे तैयार हुए और उनको मुख्तलिफ जगहों पर भेज दिया गया ताकि इसी के मुताबिक नुसखे तैयार करके तकसीम कर दिए जाएं। इस तरह उम्मते मुस्लिमा में इख्तिलाफ बाकी न रहा और पूरी उम्मते मुस्लिमा इसी नुसखे के मुताबिक कुरान करीम पढ़ने लगी। बाद में लोगों की सहूलत के लिए कुरान करीम पर नुकते व हरकात (यानी ज़बर, जेर और पेश) भी लगाए गए और बच्चों को पढ़ाने की सहूलत के मद्देनज़र कुरान करीम को तीस पारों में तकसीम किया गया। नमाज़ में तिलावत कुरान की सहूलत के लिए रूकू की तरतीब भी रखी गई।

कुरान करीम का हमारे ऊपर क्या हक है?

(1) "तिलावते कुरान" अहादीस में तिलावते कुरान की बड़ी फज़ीलत लिखी हुई है, चुनांचे हज़रत अबदुल्लाह बिन मसूद (रज़ी अल्लाहु अन्हु) की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्ललाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया "**जिसने कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी दस नेकियों के बराबर होती है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है।**" (तिर्मीज़ी)

(2) "हिफ्ज़े कुरान" हज़रत अबदुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जो पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तु

दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। और तेरा मर्तबा वही है जहां आखरी आयत पर पहुंचे। (सही मुस्लिम)

(3) "कुरान फहमी" चूंकि कुरान करीम के नुज़ूल का एक अहम मकसद बनी नौऐ इंसान की हिदायत है और अगर समझे बेगैर कुरान पढ़ा जाएगा तो इसका अहम मकसद ही खत्म हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उलमा जिन्होंने कुरान व हदीस को समझने और समझाने में अपनी जिन्दगी का कीमती हिस्सा लगाया, उनकी सरपरस्ती में कुरान करीम को समझ कर पढ़े। कुरान व हदीस की रौशनी में यह बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह है कि जिस ज़ात आली पर कुरान करीम नाज़िल हुआ उसके अकवाल व अफआल के बेगैर कुरान करीम को कैसे समझा जा सकता है? खुद अल्लाह तआला ने कुरान करीम में जगह जगह इस हकीकत को ब्यान फरमाया है, "**यह किताब हमने आप की तरफ उतारी है ताकि लोगों की जानिब जो हुकुम नाज़िल फरमाया गया है, आप उसे खोल खोल कर बयान करदें, शायद कि वह गौर व फिक्र करें**" (सूरह अल नहल 44)। लिहाज़ा हम रोज़ाना तिलावते कुरान के एहतिमाम के साथ साथ कम से कम उलमा और अइम्मा मसाजिद के दरसे कुरान में पाबंदी से शरीक हों।

(4) "अल-अम्ल बिल कुरान" यह कुरान करीम में अल्लाह तआला की दी हुई हिदायत की ततबीक है और इसी बनी नौए इंसानी की दुनियावी व उखरवी सआदत पोशिदा है, और नुजूले कुरान की गायत है। अगर हम कुरान करीम के अहकाम पर अमल पैरा नहीं हैं तो

गोया हम कुरान करीम के नुज़ूल का सबसे अहम मकसद ही छोड़ रहे हैं। लिहाज़ा जिन उमूर का अल्लाह तआला ने हुकुम दिया है उनको बजा लाएं और जिन चीजों से मना किया है उनसे रूक जाएं।

(5) "कुरानी पैगाम दूसरों तक पहुंचाना" उम्मते मुस्लिमा पर यह जिम्मेदारी आएद की गई है कि अपनी ज़ात से कुरान व हदीस पर अमल करके इस बात की कोशिश व फिक्र की जाए कि हमारे बच्चे, खानदान वाले, मुहल्ला वाले, शहर वाले बल्कि इंसानियत का हर हर आदमी अल्लाह को माबूदे हकीकी मान कर कुरान व हदीस के मुताबिक जिन्दगी गुजारने वाला बन जाए। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर (अच्छाईयों का हुकुम करना और बुराईयों से रोकना) की जिम्मेदारी को अल्लाह तआला ने कुरान करीम में बार बार बयान किया है। सूरह अलअसर में अल्लाह तआला ने इंसानों की कामयाबी के लिए चार सिफात में से एक सिफत दूसरों को हक बात की तलकीन करना जरूरी करार दिया। लिहाज़ा हम अहकाम-ए-इलाही पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी उन पर अमल करने की दावत दें।

अगर हम हकीकी मानों में दोनों जहां में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुरान व हदीस की तरफ लौट कर आना होगा, हमें कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ना होगा, जो तिलावत, हिफ्ज़, तदब्बुर और अमल बिलकुरान से ही मुमकिन है।

हदीस की हुज्जियत

हदीस की तारीफ

उस कलाम को हदीस कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल या अमल या किसी सहाबी के अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकूत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से किसी सिफत का ज़िक्र किया गया हो। हदीस के दो अहम हिस्से होते हैं:

(सनद) जिन वास्तों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल या अमल या तक़रीर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफत उम्मत तक पहुंची हो।

(मतन) वो कलाम जिसमे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल या अमल या तक़रीर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफत ज़िक्र की गयी हो।

मिसाल के तौर पर "**फलां शख्स ने फलां शख्स से और उन्होने हज़रत उमर से रिवायत किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया**" ये हदीस की सनद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि "**आमाल का दार व मदार नियत पर है**" ये हदीस का मतन है।

हुज्जियत का मतलब हुज्जीयत का मतलब इस्तिदलाल (किसी हुकुम का साबित करना) करने के हैं, यानी क़ुरान की तरह हदीसे नबवी से भी अक़ाएद व अहकाम व फज़ाइले आमाल साबित होते हैं, अलबत्ता इसका दर्जा क़ुरान करीम के बाद है, जिस तरह ईमान के मामले में अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क़ नही किया जा सकता है

कि एक को माना जाए और दूसरे को न माना जाए, ठीक इसी तरह कलामुल्लाह और कलामे रसूल के दरमियान तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक को वाजिबुल इताअत माना जाए और दूसरे को न माना जाए, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के इंकार पर दूसरे का इंकार खुद बखुद लाज़िम आएगा, खुदाई गैरत गवारा नहीं करती कि उसके कलाम को तसलीम करने का दावा किया जाए मगर उसके नबी के कलाम को तसलीम न किया जाए, अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में साफ साफ बयान फरमा दिया "**पस ऐ नबी यह लोग आपके कलाम को नहीं ठुकराते बल्कि यह ज़ालिम अल्लाह की आयतों के मुंकिर है**" (सूरह इनाम 33) गरज़ ये कि क़ुरान करीम पर ईमान और उसके मुताबिक़ अमल करने की तरह अहादीसे नबविया पर ईमान लाना और उनके मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तआला ने आपको यह ओहदा दिया है कि आपकी ज़बाने मुबारक से जिस चीज़ की हिल्लत का एलान हो गया वह हलाल है और जिसको आप सल्लल्लह अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया वह हराम है, नीज़ अल्लाह तआला ने वाज़ेह तौर पर अपने पाक कलाम में बयान फरमा दिया कि क़ुरान करीम के पहले मुफस्सीर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी इताअत क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है और हुज़ूर अकरम सल्ल्ल्लाह अलैहि वसल्लम की इताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना ही तो है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल हमें हदीस के ज़ख़ीरे में ही तो मिलते हैं।

हुज्जीयते हदीस क़ुरान करीम से

अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम क़ुरान करीम में बहुत बार हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कतई दलील होने को बयान फरमाया है, जिनमें से चंद आयात नीचे लिखे जा रही हैं।

"**यह किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि लोगों की जानिब जो हुकुम नाज़िल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वह गौर व फिक्र करें**" (सूरह नहल 44)

"**यह किताब हमने आप पर इसलिए उतारी है कि आप उनके लिए हर चीज़ को वाज़ेह करदें जिसमें वह इख्तिलाफ कर रहे हैं**" (सूरह नहल 64)

अल्लाह तआला ने इन दोनों आयात में वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि क़ुरान करीम के मुफस्सीरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ज़िम्मेदारी आएद की गई है कि आप उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल खोल खोल कर बयान करें, इन दोनों मज़कूरा आयात के अलावा अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम की सैकड़ो आयात में अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत का भी हुकुम दिया है, कहीं फरमाया "**अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो**" और फरमाया "**अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो**" इन सब जगहों पर अल्लाह तआला की तरफ से बंदों से एक ही मुतालबा है कि फरमाने इलाही की तामील करो और इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में बहुत सी जगहों पर यह बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी

कि अल्लाह तआला की इताअत के साथ रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी ज़रूरी है और अल्लाह तआला की इताअत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बेगैर मुमकिन नहीं है, अल्लाह तआला ने हमें रसूल की इताअत का हुकुम दिया और रसूल की इताअत जिन वास्ते से हम तक पहुंची है यानी अहादीस का ज़खीरा अगर उन पर हम शक व शुबहा करें तो गोया हम कुरान करीम की सैकड़ों आयात के मुंकिर हैं या ज़बाने हाल से यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने ऐसी चीज़ का हुकुम दिया यानी इताअते रसूल का जो हमारे इख्तियार में नहीं है।

इसी तरह अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इताअते इलाही क़रार देते हुए फरमाया "**जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह तआला की इताअत की।**" (सूरह निसा 80)

इस आयत में अल्लाह तआला ने इताअते रसूल को हुब्बे इलाही का मेयार क़रार दिया, यानी अल्लाह तआला से मोहब्बत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, चुनांचे अल्लाह तआला का इरशाद है "**ऐ नबी लोगों से कह दें कि अगर तुम हक़ीक़त में अल्लाह तआला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा**"। (सूरह आले इमरान 31)

"जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह तआला ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी और इन बागों में वह हमेशा रहेंगे और यही बड़ी कामयाबी है और जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की

नाफरमानी करेगा और उसकी मुक़र्रर हदों से आगे निकलेगा, उसे जहन्नम में डाल देगा जिसमें वह हमेशा रहेगा, ऐसों ही के लिए रुसवाकुन अज़ाब है।" (सूरह निसा 13, 14)

गरज़ ये कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत न करने वालों का ठिकाना जहन्नम है।

"**जो अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह तआला ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होगीं, और जो मुंह फेरेगा उसे दर्दनाक अज़ाब देगा**" (सूरह फतह 17)

इन दो आयात में अल्लाह तआला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर हमेशा हमेशा की जन्नत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर हमेशा हमेशा के अज़ाब का फैसला फरमाया है।

"**जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत करेंगे वह उन लोगों के साथ होगें जिन पर अल्लाह तआला ने इनाम नाज़िल फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शोहदा और सालेहीन, कैसे अच्छे हैं यह रफीक़ जो किसी को मुयस्सर आएं**" (सूरह निसा 69)

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालों का हशर अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शोहदा और नेक लोगो के साथ होगा।

"**किसी मोमिन मर्द व मोमिना औरत को यह हक़ नही है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो फिर उसे इस मामला में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल है और**

जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वह खुली गुमराही में पड़ेगा" (सूरह अहज़ाब 36)
"**तेरे रब की कसम यह कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपसी इख्तिलाफ में आपको फैसला करने वाला न मान लें, फिर जो कुछ तुम फैसला करो उसपर अपने दिलों में तंगी भी न महसूस करें बल्कि सर झुका कर तसलीम कर लें**" (सूरह निसा 65)
इस आयत मे अल्लाह तआला ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों की नाफरमानी को अदमे ईमान की निशानी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ईमान की अलामत क़रार दिया है।
"**हकीकत यह है कि अल्लाह ने मोमिन पर बड़ा इहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने आयतों की तिलावत करे, उन्हें पाक साफ बनाए और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे**" (सूरह आले इमरान 164) इस आयत से वाज़ेह तौर पर मालूम हआ कि रसूल का काम सिर्फ किताब पहुंचाना नहीं था, बल्कि अल्लाह की किताब सुना कर उसके अहकाम को सिखाना भी था, नीज़ लोगों का तज़किया करना भी आपको भेजने का मक़सद भी था, तज़किया सिर्फ किताब हाथ में देने से नहीं होता बल्कि उसके लिए क़ौल व अमल से रहनुमाई ज़रूरी है जिसको अल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि वह नबी लोगों को किताब और हिकमत सिखाता है, किताब से मुराद क़ुरान करीम और हिकमत से मुराद क़ौल व अमल से लोगो की रहनुमाई यानी हदीस नबवी है।

“**रसूल उम्मी उनको नेकियों का हुकुम देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और पाकिज़ा चीज़ों को उनके लिए हलाल क़रार देते हैं और गन्दी चीज़ को उन पर हराम क़रार देते हैं**” (सूरह आराफ 157)
इस आयत में अल्लाह तआला ने हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल क़रार देने वाला और हराम क़रार देने वाला बताया है, गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने आपको यह ओहदा दिया कि आपकी ज़बाने मुबारक से जिस चीज़ के हलाल का एलान हो गया वह हलाल है और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमा दिया वह हराम है।
“**यक़ीनन तुम्हारे लिए रसूलल्लाह में उमदा नमूना मौजूद है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह तआला की और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है और कसरत के साथ अल्लाह को याद करता है**” (सूरह अहज़ाब 21)
यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी जो अहादीस के ज़खीरा की शकल में हमारे पास महफूज़ है कल क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है कि हम अपनी ज़िन्दगियाँ इसी नमूना के मुताबिक़ गुजारें।
इस आयत में हुक्मे रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वालों को अल्लाह जहन्नम की सज़ा सुनाते हुए फरमाता है “**जो शख्स रसूल की मुखालफत करे और अहले ईमान की रविश के सिवा किसी और के रास्ते पर चले जबकि हिदायत इस पर वाज़ेह हो चुकी है तो इसको हम इसी तरफ चलाएंगे जिधर वह फिर गया और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो बदतरीन ठिकाना है।**” (सूरह निसा 115)

गरज़ ये कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम में बहुत सी जगहों पर यह बात बतलाई है कि अल्लाह तआला की इताअत के साथ रसूल की इताअत भी ज़रूरी है यानी अल्लाह तआला की इताअत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बेगैर मुमकिन नहीं है, अल्लाह तआला ने हमें रसूल की इताअत का हुकुम दिया और रसूल की इताअत जिन वास्तों से हम तक पहचीं है यानी अहादीस का ज़खीरा उनपर अगर हम शक व शूबहा करने लगे तो हम क़ुरान करीम की इन मज़कूरा तमाम आयात के मुंकिर या ज़बाने हाल से यह कह रहे हैं कि अल्लाह तआला ने ऐसी किसी चीज़ का हुकुम दिया है यानी इताअते रसूल जो हमारे इख्तियार में नही है।

हुज्जीयते हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से

सारे अम्बिया के सरदार व आखिरी नबी हूज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़ुरान करीम के साथ सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को ज़रूरी क़रार दिया है, हदीस की तक़रीबन हर किताब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तवातुर के साथ मौजूद हैं, इनमें से सिर्फ तीन अहादीस पेशे खिदमत हैं।

रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोकूं तो उससे रूक जाओ और जब मै तुम्हें किसी काम का हुकुम करूं तो हसबे इस्तिाअत उसकी तामील करो। (बुखारी व मुस्लिम)
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के तमाम अफराद जन्नत में दाखिल होंगे सिवाए उन लोगों के जिन्होनें इंकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! दुखूले जन्नत से कौन इंकार कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने (दुखूले जन्नत से) इंकार किया। (बुखारी व मुस्लिम)

हुज्जीयते हदीस इजमा से

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में और इन्तिकाल के बाद साहाबा-ए- किराम किसी भी मसअला का हल पहले क़ुरान करीम में तलाश किया करते थे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, इसी वजह से जमहूर उलमा ने वही की दो किसमें की है, जैसा कि सूरह नज्म की इब्तिदाई आयात से मालूम होता है जिसमे अल्लाह ताआला इरशाद फरमाता है कि “**और न वह अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वह तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है।**”
(1) **वही मतलू** - वह वही जिसकी तिलवात की जाती है यानी क़ुरान करीम जिसका एक एक हर्फ कलामे इलाही है।

(1) **वही गैर मतलू** - वह वही जिसकी तिलवात नहीं की जाती है यानी सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अल्फ़ाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, अलबत्ता बात अल्लाह तआला की है।

बाज़ हज़रात क़ुरान करीम की चंद आयात मसलन "**तिबयानन लिकुल्ले शैय**" (सूरह नहल 89) और "**तफसीलन लिकुल्ले शैय**" (सूरह इनाम 154) से गलत मफहूम ले कर यह बयान करने की कोशिश करते हैं कि क़ुरान करीम में हर मसअला का हल है और क़ुरान करीम को समझने के लिए हदीस की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हालांकि हदीसे रसूल भी क़ुरान करीम की तरह शरीअते इस्लामिया में कतई दलील और हुज्जत है, जैसा कि अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में बहुत सी जगहों पर पूरी वज़ाहत के साथ ज़िक्र किया है यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल व अमल से भी अहकामे शरीया साबित होते हैं।

क़ुरान करीम में उमूमन अहकाम की तफसील मज़कूर नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला के हुकुम के मुताबिक़ अपने अक़वाल व आमाल से इन मुजमल अहकाम की तफसील बयान की है, इसी लिए तो अल्लाह तआला नबी व रसूल को भेजता है कि वह अल्लाह तआला के अहकाम अपने अक़वाल व आमाल से उम्मतियों के लिए बयान करें, मसलन अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम मे बेशुमार जगह पर नमाज़ पढ़ने, रुकू और सजदे करने का हुकुम दिया है, लेकिन नमाज़ की तफसील क़ुरान करीम में मज़कूर नहीं है कि एक दिन में कितनी नमाज़ अदा करनी है? क़याम या रुकू या सजदा कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा

और उसमें क्या पढ़ा जाएगा? एक वक़्त में कितनी रिकात अदा करनी है?

इसी तरह क़ुरान करीम में ज़कात की अदाएगी का तो हुकुम है, लेकिन तफसीलात मज़कूर नहीं है कि ज़कात की अदाएगी रोज़ाना करनी है या साल भर में या पांच साल में या ज़िन्दगी में एक मरतबा? फिर यह ज़कात किस हिसाब से दी जएगी? किस माल पर ज़कात वाजिब है और इसके लिए क्या क्या शरायत हैं?

गरज़ ये कि अगर हदीस की हुज्जीयत पर शक करें तो क़ुरान करीम की वह सैकड़ों आयात जिनमें नमाज़ पढ़ने, रुकू करने या सजदा करने का हुकुम है या ज़कात की अदाएगी का हुकुम है वह सब अल्लाह की पनाह बेमानी हो जाएंगी।

इसी तरह क़ुरान करीम (सूरह माइदा 38) में हुकुम है कि चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ को काट दिया जाए, अब सवाल पैदा होता है कि दोनों हाथ काटें या एक हाथ? और अगर एक हाथ काटें तो दाहिना काटे या बायां? फिर उसे काटें तो कहाँ से? बगल से या कोहनी से? या कलाई से? या उनके बीच में किसी जगह से? फिर कितने माल की क़ीमत की चोरी पर हाथ काटें? इस मसअला की वज़ाहत हदीस में ही मिलती है, मालूम हुआ कि क़ुरान करीम हदीस के बेगैर नही समझा जा सकता है।

इसी तरह क़ुरान करीम (सूरह जुमा) में यह इरशाद है कि जब जुमा के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह तआला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, सवाल यह है कि जुमा का दिन कौन सा है? यह अज़ान कब दी जाए? उसके अल्फ़ाज़ क्या हों? जुमा की नमाज़ कब अदा की जाए? उसको कैसे पढ़ें? खरीद व फरोख्त की

क्या क्या शराएत हैं? इस मसअला की पूरी वज़ाहत अहादीस में ही मज़कूर है।
बाज़ हज़रात सनद हदीस की बुनियाद पर हुई अहादीस की अक़साम या रावियों को सिक़ह क़रार देने में मुहद्दिसीन व फुक़हा के इख्तिलाफ की वजह से हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शक व शुबहा की निगाह से देखते हैं, हालांकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम क़यामत तक आने वाले तमाम अरब व अजम की रहनुमाई के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और क़यामत तक उसकी हिफाज़त का वादा किया है और इसी क़ुरान करीम में अल्लाह तआला ने बहुत सी जगह (मसलन सूरह नहल 44, 64) पर इरशाद फरमाया है कि "**ऐ नबी! यह किताब हमने आप पर नाज़िल फरमाई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलाम को खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दें**" तो जिस तरह अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम के अल्फ़ाज़ की हिफाज़त की है, उसके मानी व मफ़हूम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं वह भी कल क़यामत तक महफूज़ रहेंगे इन्शाअल्लाह, क़ुरान करीम के अल्फ़ाज़ के साथ साथ उसके मानी व मफहूम की हिफाज़त भी मतलूब है, वरना नुज़ूले क़ुरान का मक़सद ही फौत हो जाएगा।
इसमें कोई शक नहीं कि अहादीस के ज़खीरे में बाज़ बातें गलत तरीक़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई हैं, लेकिन मुहद्दिसीन व उलमा की बेलौस क़ुर्बानियों से तक़रीबन तमाम ऐसे गलत अक़वाल की तहदीद हो गई है जो हदीस के कामिल ज़खीरा का अदना सा हिस्सा है? जहां तक रावियों के

सिलसिला में मुहद्दिसीन व उलमा के इख्तिलाफात का तअल्लुक़ है तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर हदीस की हुज्जीयत पर शक व शुबहा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इख्तिलाफ का असल मक़सद खुलूस के साथ अहादीस के ज़खीरा में मौज़ूआत को अलग करना और अहकामे शरीआ में इन्ही अहादीस को क़ाबिले अमल बनाना है जिस पर किसी तरह का कोई शक व शुबहा न रहे, जहाँ कोई शक व शुबहा हो तो उन अहादीस को अहकाम के बजाए सिर्फ आमाल की फज़ीलत की हद तक महदूद रखा जाए।

मसलन मरीज़ के इलाज में डाक्टरों का इख्तिलाफ होने की सूरत में डाक्टरी पेशा को ही रद्द नहीं किया जाता है, इसी तरह मकान का नक्शा तैयार करने में इंजीनियरों के इख्तिलाफ की वजह से इंजीनियरों के बजाए मज़दूर से नक्शा नहीं बनवाया जाता है, मौजूदा तरक़्क़ी याफ्ता दौर में भी तालीम व तअल्लूम के लिए एक ही कोर्स के मुख्तलिफ तरीक़े राएज हैं, हर इलाका में ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीक़े मुख्तलिफ हैं, गरज़ ये कि ज़िन्दगी के तक़रीबन हर शोबे में इख्तिलाफ मौजूद है, इन इख्तिलाफात के बावज़ूद हम ज़िन्दगी के ही मुंकिर नहीं बन जाते हैं तो अहादीस की तक़सीम और रावियों को सिक़ह क़रार देने में इख्तिलाफ की वजह से हदीस का ही इंकार क्यों? बल्कि यह इख्तिलाफ कभी उम्मत के लिए रहमत बनते है कि ज़माने के बदलाव के एतबार से मसअला का फैसला किसी एक राय के मुताबिक़ कर दिया जाता है, नीज़ इन इख्तिलाफात की वजह से तहक़ीक़ का दरवाजा भी खुला रहता है।

खुलासा कलाम

सहाबा-ए-किराम, ताबेइन, तबेताबेइन, मुहद्दिसीन, मुफस्सेरीन व फ़ुक़हा व उलमा व मुअर्रेखीन गरज़ ये कि इब्तिदाए इस्लाम से असरे हाज़िर तक उम्मते मुस्लिमा के तमाम मकातिबे फिक्र ने तसलीम किया है कि क़ुरान के बाद हदीस इस्लामी क़ानून का दूसरा अहम बुनियादी माखज़ है और हदीसे नबवी भी क़ुरान करीम की तरह शरीअते इस्लामिया में क़तई दलील और हुज्जत है जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान में बहुत सी जगहों पर ज़िक्र फरमाया, नीज़ क़ुरान करीम में एक जगह भी यह मज़कूर नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क़ुरान करीम पर अमल करो, गरज़ ये कि अहकामे क़ुरान पर अमल के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल यानी हदीसे नबवी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुजारना ज़रूरी है, हक़ तो यह कि क़ुरान फहमी हदीस नबवी के बेगैर मूमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ज़िम्मेदारी आएद की गई है कि आप उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल खोल खोल कर बयान करें और हमारा यह ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी बहुस्ने खूबी अंजाम दी है, मगर असरे हाज़िर में मुस्तशरेक़ीन ने तौरेत व इंजील की हिफाज़त व तदवीन के तरीकों पर चश्म पोशी करके हदीस नबवी के हिफाज़त व तदवीन पर एतेराज़ात किए हैं, मगर वह हक़ाएक़ के बजाए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुशमनी पर मबनी है।

अल्लाह तआला हम सबको क़ुरान व सुन्नत के मताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने वाला बनाए, आमीन।

शरीअते इस्लामिया में हदीस का मक़ाम

हदीस वह कलाम है जिसमें नबी अकरम के क़ौल या अमल या किसी सहाबी के अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकूत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से किसी सिफत का ज़िक्र किया गया हो। सहाबा किराम व ताबेईन व तबे ताबेईन व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व फुक़हा व उलमा व मुअर्रिखीन गरज़ ये कि इब्तिदाये इस्लाम से असरे हाज़िर तक उम्मते मुस्लिमा के तमाम मकातिबे फिक्र ने तसलीम किया है कि क़ुरान के बाद हदीस इस्लामी क़ानून का दूसरा अहम व बुनियादी माखज़ है और हदीसे नबवी भी क़ुरान करीम तरह शरीअते इस्लामिया में क़तई दलील और हुज्जत है जैसा कि अल्लाह तआला ने क़ुरान में कई बार ज़िक्र फरमाया है मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है "वअनजलना ऐलैकज़ ज़िकरा आखिर तक" (सूरह नहल) अल्लाह तआला ने क़ुरान की सैकड़ों आयात में अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत का हुकुम दिया है और रसूल की इताअत पर अमल अहादीस पर अमल करना ही तो है। गरज़ ये कि अहकामे क़ुरान पर अमल के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल यानी हदीसे नबवी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना ज़रूरी है। हक़ तो ये है कि क़ुरान फहमी हदीसे नबवी के बेगैर मुमकिन ही नहीं है, क्यूंकि अल्लाह की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि आप उम्मते मुस्लिमा के सामने क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल खोल खोल कर बयान करें। नबी व रसूल के

भेजने का बुनियादी मक़सद अहकामे इलाही को अपने क़ौल व अमल के ज़रिये इंसानों की रहनुमाई के लिए लोगों के सामने पेश करना होता है।

जिस तरह ईमान के मामला में अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान तफरीक़ नहीं की जा सकती है कि एक को माना जाए और दूसरे को न माना जाए, ठीक इसी तरह कलामुल्लाह और कलामे रसूल के दरमियान भी किसी तफरीक़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि एक को वाजिबुल इताअत माना जाए और दूसरे को न माना जाए, क्यूंकि इन दोनों में से किसी एक के इंकार पर दूसरे का इंकार खुद बखुद लाज़िम आएगा।

हदीस मज़कूरा मक़ासिद में से किसी एक मक़सद के लिए होती है:

1) कुरान करीम में वारिद अक़ाएद व अहकाम व मसाइल की ताकीद।

2) कुरान करीम में वारिद अक़ाएद व अहकाम व मसाइल के इजमाल की तफसील

3) कुरान करीम के इबहाम की वज़ाहत।

4) कुरान करीम के उमूम की तखसीस।

5) बाज़ दूसरे अक़ाएद व अहकाम व मसाइल का ज़िक्र, जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह हशर, आयत 7 में इरशाद फरमाया "जिसका हुकुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको बजा लाओ और जिस काम से मना करें उससे रूक जाओ।"

हदीस की क़िस्में

सनदे हदीस (जिन वास्तों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ौल या अमल या तक़रीर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफत उम्मत तक पहुंची है) के एतेबार से हदीस की मुख्तलिफ क़िस्में बयान की गई हैं, जिनमें से तीन अहम अक़साम नीचे लिखे हैं।

सही - वह हदीसे मरफ़ू जिसकी सनद में हर रावी इल्म व तक़वा दोनों में कमाल को पहुंचा हुआ हो और रह रावी ने अपने शैख से हदीस सुनी हो, नीज़ हदीस के मतन में से किसी दूसरे मज़बूत रावी की रिवायत से कोई तआरूज़ न हो और कोई दूसरी इल्लत (नुक़्स) भी न हो।

सही का हुकुम - जमहूर मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व फुक़हा व उलमा का इन अहादीस से अक़ाएद व अहकाम साबित करने में इत्तिफाक़ है।

हसन - वह हदीसे मरफ़ू जिसकी सनद में हर रावी तक़वा में तो कमाल को पहुंचा हुआ हो और हर रावी ने अपने शैख से हदीस भी सुनी हो, नीज़ हदीस के मतन में किसी दूसरे मज़बूत रावी की रिवायत से कोई तआरूज़ भी न हो, लेकिन कोई एक रावी इल्म में आला पैमाने का न हो।

हसन का हुकुम - जमहूर मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व उलमा का इन अहादीस से अक़ाएद व अहकाम साबित करने में इत्तिफाक़ है, अलबत्ता इसका दर्जा सही से कम है।

ज़ईफ - हदीसे हसन की शराएत में से कोई एक शर्त मफक़ूद हो।
ज़ईफ का हुकुम - अहादीस ज़ईफा से अहकाम व फज़ाइल में इस्तिदलाल के लिए फुक़हा व उलमा व मुहद्दिसीन की तीन राय हैं।
1) अहादीसे ज़ईफा से अहकाम व फज़ाइल दोनों में इस्तिदलाल किया जा सकता है।
2) अहादीसे ज़ईफा से अहकाम व फज़ाइल दोनों में इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है।
3) अक़ाएद या अहकाम तो साबित नहीं होते, अलबत्ता क़ुरान या आहादीसे सहीहा से साबित शुदा आमाल की फज़ीलत के लिए अहादीसे ज़ईफा क़बूल की जाती हैं। जमहूर मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व फुक़हा व उलमा की यही राय है, मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी ने उलमा उम्मत का इस पर इजमा होने का ज़िक्र किया है।

(नोट) हदीस की इस्तिलाह में सही, गलत या बातिल के मुक़ाबला में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि सही का मतलब ऐसी हदीस जिसकी सनद में ज़र्रा बराबर किसी क़िस्म की कोई कमी न हो और तमाम रावी इल्म व तक़वा में कमाल को पहुंचे हुए हों, जबकि हदीस हसन का मतलब है कि जो सही के मुक़ाबले दर्जा में कुछ कम हो, ज़ईफ का मतलब यह है कि उसकी सनद के किसी रावी में कुछ ज़ोफ हो जैसा कि ऊपर बयान किया गया। गरज़ ये कि ज़ईफ हदीस सही

हदीस की एक क़िस्म है। ज़ईफ हदीस में ज़ोफ आम तौर पर मामूली दर्जा का ही होता है। हदीस के ज़ख़ीरे में अगरचे कुछ मौज़ूआत भी शामिल हो गई हैं, लेकिन वह तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं हैं, नीज़ मुहद्दिसीन व उलमा ने दिन रात की कोशिश से इनकी निशानदही भी कर दी है।

ज़ईफ हदीस भी सही हदीस की एक क़िस्म है

खैरुल कुरून से आज तक इस्तिलाहे हदीस में सही के मुक़ाबले में मौज़ू इस्तेमाल होता है, यानी वह मनघड़त बात जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत मनसूब कर दी गई हो, मुहद्दिसीन व उलमा ने दिन रात की कोशिश से उनकी निशानदही भी कर दी है और हदीस के ज़ख़ीरे में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि ज़ईफ हदीस सही हदीस की ही एक क़िस्म है, लेकिन इसकी सनद में कुछ कमज़ोरी की वजह से जमहूर उलमा इसको फज़ाइल के बाब में क़बूल करते हैं। मसलन सनद में अगर कोई रावी गैर मारूफ साबित हुआ, यानी यह मालूम नहीं कि वह कौन है या उसने किसी एक मौक़ा पर झूट बोला है या सनद में इंक़िताअ है (यानी दो रावियों के दरमियान किसी रावी का ज़िक्र न किया जाए मसलन, ज़ैद ने कहा कि अमर ने रिवायत की है, हालांकि ज़ैद ने अमर का ज़माना नहीं पाया, मालूम हुआ कि यक़ीनन इन दोनों के दरमियान कोई वास्ता छूटा हुआ है) तो इस क़िस्म के शक व शुबहा से मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा इहतियात के तौर पर उस रावी की हदीस को अक़ाएद और अहकाम में क़बूल नहीं करते हैं, बल्कि जो अक़ाएद या अहकाम कुरान करीम या सही अहादीस से साबित हुए हैं

उनके फज़ाइल के लिए क़बूल करते हैं, चुनांचे बुखारी व मुस्लिम के अलावा हदीस की मशहूर व मारूफ तमाम ही किताबों में ज़ईफ अहादीस की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और उम्मते मुस्लिमा इन किताबों को क़दीम ज़माने से क़बूलियत का शरफ दिए हुए है, हत्ताकि बाज़ उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक़ बुखारी की तआलीक़ और मुस्लिम की शवाहिद में भी चंद ज़ईफ अहादीस मौजूद हैं। इमाम बुखारी ने हदीस की बहुत सी किताबें लिखी हैं, बुखारी के अलावा उनकी भी तमाम किताब में ज़ईफ अहादीस कसरत से मौजूद हैं। सही बुखारी व सही मुस्लिम से पहले और बाद में अहादीस पर मुशतमिल किताबें लिखी गईं, मगर हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में ज़ईफ हदीसें ज़िक्र फरमाई हैं। इसी तरह बाज़ मुहद्दिस ने सिर्फ सही अहादीस को ज़िक्र करने का अपने ऊपर इल्तिज़ाम किया, मसलन सही इब्ने खुज़ैमा और सही इब्ने हिब्बान वगैरह, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी किताब में अहादीसे ज़ईफा भी ज़िक्र फरमाई हैं जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि खैरुल कुरून से आज तक तमाम मुहद्दिसीन ने अहादीस ज़ईफा को क़बूल किया है। सबसे मशहूर व मारूफ तफसीरे कुरान (तफसीर इब्ने कसीर) में अच्छी खासी तादाद में ज़ईफ अहादीस हैं, लेकिन उसके बावजूद तक़रीबन 700 साल से पूरी उम्मते मुस्लिमा ने इसको क़बूल किया है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली तफसीर है और इसके बाद में लिखी जाने वाली तफसीरों के लिए मम्बा व माखज़ है।

अगर ज़ईफ हदीस क़ाबिले एतेबार नहीं है तो सवाल यह है कि मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन्हें क्यूं जमा क्या? और उनके

लिए तवील सफर क्यूं किए? नीज़ यह बात भी ज़ेहन में रखें कि अगर ज़ईफ हदीस को क़ाबिले एतेबार नहीं समझा जाएगा तो सीरते नबवी और तारीखे इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा दफन करना पड़ेगा, क्यूंकि सीरत और तारीखे इस्लाम का वाफिर हिस्सा ऐसी रिवायत पर मबनी है जिसकी सनद में ज़ोफ हो। क़दीम ज़माने से जमहूर मुहद्दिसीन का उसूल यही है कि ज़ईफ हदीस फज़ाइल में मोतबर है और उन्होंने ज़ईफ हदीस को सही हदीस के अक़साम के ज़िम्न में ही शुमार किया है। मुस्लिम शरीफ की सबसे ज़्यादा मक़बूल शरह लिखने वाले इमाम नववी (मुअल्लिफ रियाजुस सालेहीन) फरमाते हैं: "मुहद्दिसीन, फुक़हा, और जमहूर उलमा ने फरमाया है कि ज़ईफ हदीस पर अमल करना फज़ाइल और तरगीब व तरहीब में जाएज़ और मुस्तहब है।" (अल अज़कार पेज 7,8) इसी उसूल को दूसरे उलमा व मुहद्दिसीन ने लिखा है जिन में से बाज़ के नाम यह हैं, शैख मुल्ला अली क़ारी (मौज़ूआते कबीरा पेज 5, शरहुल अक़ारिया जिल्द 1 पेज 9, फतहु बाबिल इनाया 1/49), शैख इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह नीशापूरी (मुस्तदक हाकिम जिल्द1 पेज 490), शैख इब्ने हजर अलहैसमी (फतहुल मुबीन पेज 32), शैख अबू मोहम्मद बिन क़ुदामा (अलमुगनी 1/1044), शैख अल्लामा शौकानी (नैलुल औतार 3/48), शैख हाफिज इब्ने रजब हमबली (शरह इलल अत तिर्मिज़ी 1/72,74), शैख अल्लामा इब्ने तैमिया हमबली (फतावा 1 पेज 39), शैख नवाब सिद्दीक़ हसन खां (दलीलुत तालिब अलल मतालिब पेज 889)।

असरे हाज़िर में बाज़ हज़रात जो मुसलमानों की आबादी का एक फीसद भी नहीं हैं अपनी राय को उम्मते मुस्लिमा के सामने इस तरह पेश करते हैं कि वह जो कहते हैं वही सिर्फ अहादीसे सहीहा पर मबनी है और पूरी उम्मते मुस्लिमा के अक़वाल अहादीसे ज़ईफा पर मबनी हैं। उनके नुक़तए नज़र में हदीस के सही या ज़ईफ होने का मेयार सिर्फ यह है कि जो वह कहें वही सिर्फ सही है, हालांकि अहादीस की किताबें लिखने के बाद हदीस बयान करने वाले रावियों पर बाक़ाएदा बहस हुई, जिसको असमाउर रिजाल की बहस कहा जाता है। अहकामे शरइया में उलमा व फुक़हा के इख्तिलाफ की तरह बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा शदीद इख्तिलाफ मुहद्दिसीन का रावियों को ज़ईफ और सिकह क़रार देने में है, यानी एक हदीस एक मुहद्दिस के नुक़तए नज़र में ज़ईफ और दूसरे मुहद्दिसीन की राय में सही हो सकती है, लिहाज़ा अगर कोई हदीस पेश की जाए तो फौरन आम लोगों को बेगैर तहक़ीक़ किए हुए यह तबसिरा नहीं करना चाहिए कि यह हदीस सही नहीं है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वह हदीस हो जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल का इंकार लाज़िम आए और अगर कोई आलिम किसी हदीस को क़ाबिले अमल नहीं समझता है तो वह उस पर अमल न करे लेकिन अगर कोई दूसरा मकतबे फिक्र उस हदीस को क़ाबिले अमल समझता है और उस हदीस पर अमल करना कुरान व हदीस के किसी हुकुम के मुखालिफ भी नहीं है तो हमें चाहिए कि हम तमाम मकातिबे फिक्र की राय का एहतेराम करें, मसलन रजब के शुरू महीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से "अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान" पढ़ना साबित है और यह

हदीस मुसनद अहमद, बज़्ज़ार, तबरानी और बैहक़ी जैसी किताबों में मौजूद है जिनको पूरी उम्मते मुस्लिमा ने क़बूल किया है तो जो उलमा इस हदीस की सनद पर एतेराज़ करते हैं वह यह दुआ न पढ़ें, बल्कि अगर उलमा की एक जमाअत इस हदीस को क़ाबिले अमल समझ कर यह दुआ मांगती है तो उनके बिदअती होने का फतवा सादिर करना कौन सी अकलमंदी है। इसी तरह उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमाअत की राय है कि 15वीं शाबान से मुतअल्लिक़ अहादीस के क़ाबिले क़बूल और उम्मते मुस्लिमा का अमल इब्तिदा से इस पर होने की वजह से 15वीं शाबान की रात में इंफिरादी तौर पर नफल नमाजों की अदाएगी, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र और दुआओं का किसी हद तक एहतेमाम करना चाहिए। लिहाज़ा इस तरह से 15वीं शाबान की रात में इबादत करना बिदअत नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक़ है। गरज़ ये कि ज़ईफ हदीस भी सहीहे हदीस की एक क़िस्म है और उम्मते मुस्लिमा ने फज़ाइले आमाल के लिए हमेशा उनको क़बूल किया है।

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस लिखने की आम इजाज़त नहीं थी, ताकि कुरान व हदीस में इख्तिलात न पैदा हो जाए, अलबत्ता इंफिरादी तौर पर सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अहादीस के सहीफे तैयार कर रखे थे। खुलफाए राशेदीन के ज़माने में भी हदीस लिखने का नज़्म इंफिरादी तौर पर जारी रहा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी खिलाफत के ज़माने में अहादीस को जमा कराने का खास एहतेमाम किया। इस तरह हज़रत उमर बिन

अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी तवज्जोह से पहली सदी हिजरी के इख्तिताम पर अहादीस का एक बड़ा ज़खीरा जमा कर लिया गया था जो बाद में तहरीर की गई किताबों के लिए अहम मसदर बना।

200 हिजरी से 300 हिजरी के दरमियान अहादीस लिखने का खास एहतेमाम हुआ, चुनांचे हदीस की मशहूर व मारूफ किताबें बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाउद, इब्ने माजा, नसई वगैरह (जिनको सिहाए सित्तह कहा जाता है) इसी दौर में तहरीर की गई हैं, जबकि मोअत्ता इमाम मालिक 60 हिजरी के क़रीब तहरीर हुई। इन अहादीस की किताबों की तहरीर से पहले ही 50 हिजरी में हज़रत इमाम अबू हनीफा (शैख नोमान बिन साबित) की वफात हो चुकी थी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से इमाम अबू हनीफा की हदीस की किताब (किताबुल आसार) इन अहादीस की किताबों की तहरीर से पहले मुरत्तब हो गई थी। यह बात अच्छी तरह ज़ेहन में रखें कि पूरी दुनिया में बाक़ाएदा लिखने के आम मामूल 200 हिजरी के बाद ही शुरू हुआ है, यानी हदीस की तरह तफसीर, सीरत और इस्लामी तारीख जैसे दीनी उलूम की बाक़ाएदा किताबत 200 हिजरी के बाद ही शुरू हुई है। इसी तरह असरी उलूम और शेर व शायरी भी 200 हिजरी से पहले दुनिया में उमूमी तौर पर तहरीरी शकल में मौजूद नहीं थी, क्यूंकि कम तादाद ही पढ़ना लिखना जानती थी। 200 हिजरी तक तमाम उलूम ही हत्ताकि शायरों के बड़े बड़े दीवान भी सिर्फ ज़बानी तौर पर एक दूसरे से मुंतक़िल होते चले आ रहे थे। अगर यह एतेराज़ किया जाए कि

हदीस की बाक़ाएदा किताबें 200 हिजरी के बाद सामने आई हैं तो इस क़िस्म के एतेराज़ तफसीरे क़ुरान, सीरत की किताबों और इस्लामी तारीख और शायरों के दीवानों बल्कि यह एतेराज़ दूसरे असरी उलूम पर भी किया जा सकता है, क्यूंकि बाक़ाएदा उनकी किताबत 200 हिजरी के बाद ही शुरू हुई है। 200 हिजरी तक अगरचे बहुत सी किताबें मनज़रे आम पर आ चुकी थीं, मगर आम तौर पर तमाम उलूम सिर्फ ज़बानी ही पढ़े और पढ़ाए जाते थे।

खुलासए कलाम यह है कि क़ुरान के बाद हदीस इस्लामी क़ानून का दूसरा अहम बुनियादी माखज़ है और हदीसे नबवी भी क़ुरान करीम की तरह शरीअते इस्लामिया में क़तई दलील और हुज्जत है। हदीस के बेगैर हम क़ुरान को समझना तो दरकिनार इस्लाम के पांच बुनियादी अहम रुक्न को भी नहीं समझ सकते हैं।

अदीब अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल के अल्फ़ाज़ बिऐनेही मरवी हैं

इस्लाम ही दुनिया में ऐसा मज़हब है जिसमें तालीम के साथ यह भी बताया जाता है कि इल्म मुस्तनद वास्तों से किस तरह हमारे पास पहुंचा है। शरीअते इस्लामिया के दोनों अहम बुनियादी ज़राये (क़ुरान व हदीस) का एक एक लफ्ज़ किन किन वास्तों से हमारे पास पहुंचा है, रावियों के अहवाल व कवाएफ के साथ उलमा-ए-किराम की बेलौस खिदमात से आज तक महफूज़ है। मदारिस में पढ़ाई जाने वाली हदीस की किताबों की सनद का सिलसिला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, यानी हदीस की तशरीह व तौजीह के साथ तल्बा को यह भी बताया जाता है कि फलां हदीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबई और किन किन वास्तों के ज़रिये उस्ताद और फिर तालिब इल्म के पास पहुंची। क़ुरान करीम का एक एक लफ्ज़ तवातुर के साथ यानी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद के ज़रिये उम्मते मुस्लिमा के पास पहुंचा है। हदीस नबवी का एक हिस्सा तवातुर के साथ यानी हर ज़माना में इतनी बड़ी तादाद ने इसको रिवायत किया है कि इनका झूट पर मुत्तफिक़ होना नामुमकिन है। अहादीसे नबविया का काबिले क़दर हिस्सा मशहूर है, यानी रिवायत करने वालों की एक बड़ी जमाअत है, जबकि अहादीसे नबविया का एक हिस्सा अखबारे अहाद से भी मरवी है। अहादीसे नबविया की यह मज़कूरा अक़साम मशहूर व मारूफ हदीस की किताब लिखने तक है, लेकिन दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में मशहूर व मारूफ हदीस की किताबें उम्मते मुस्लिमा में मक़बूल हो जाने के बाद तमाम ही अहादीस दरजात के एतबार से

क़ाबिले अमल हैं, इल्ला यह कि उनमें से किसी के मौज़ू होने का फैसला किया गया हो। मुहद्दिसीन व उलमा ने हजारों सफहात पर मुशतमिल असमाउर रिजाल की बहस के ज़रिये मौज़ूआत को अहादीस से अलग कर दिया है जिनकी तादाद हदीस के ज़खीरा में बहुत ज़्यादा नहीं है। अक़ाएद व अहकाम में इन ही अहादीस का तसलीम किया गया है जिनकी सनद में किसी तरह का कोई शक व शुबहा न हो जबकि अहादीसे ज़ईफा को क़ुरान करीम व अहादीसे सहीहा से साबित शुदा अमल की सिर्फ फज़ीलत के लिए तसलीम किया गया है।

अहादीस को आम तौर पर लफ्ज़ बलफ्ज़ ही नक़ल किया गया है अलबत्ता मुस्तशरेक़ीन का ख्याल है कि हदीस के अल्फाज़ के बजाए हदीस के मफहूम को रिवायत किया गया है। बाज़ मुसलमान भाई झूट के पुलिंदों पर मुशतमिल मुस्तशरेक़ीन के नाम व निहाद रिसर्च से मुतअस्सिर हो कर उनके क़ौल की किसी हद तक ताईद कर देते हैं, हालांकि मुस्तशरेक़ीन का यह क़ौल हक़ाएक़ पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुशमनी पर मबनी है। मुस्तशरेक़ीन तौरेत और इंजील की तदवीन व हिफाज़त के तरीकों पर चशमपोशी करके क़ुरान व हदीस की जमा व तदवीन व हिफाज़त पर उंगलियां उठाते हैं। मशहूर व मारूफ मुहद्दिस हिन्द नज़ाद सउदी डाक्टर मोहम्मद मुस्तफा आज़मी कासमी (जिन्होंने मुस्तशरेक़ीन के एतेराज़ात के दलील के साथ जवाबात दिए हैं) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ मुस्तशरेक़ीन सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ क़ुरान व हदीस को मशकूक साबित करने की नापाक कोशिश करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के किताबों का मुक़ारना अगर क़ुरान व हदीस

की जमा तदवीन व हिफाज़त से किया जाए तो इंसान अगर वाक़ई अक़्ल व शऊर रखता है यही कहेगा कि क़ुरान व हदीस की जमा व तदवीन व हिफाज़त के लिए जो इक़दामात किए गए हैं वह किसी भी दूसरे मज़हब की किताब की हिफाज़त के लिए दूर दूर तक मौजूद नहीं हैं बल्कि क़ुरान व हदीस की जमा व तदवीन व हिफाज़त के इक़दामात व तदाबीर का दूसरे मज़ाहिब की किताबों से कोई मुक़ाबला ही नहीं किया जा सकता। हक़ बात तो यह है कि दुनिया के किसी भी मज़हब में रिवायत वाला निज़ाम मौजूद ही नहीं बल्कि उन्हें चूं चरा किए बेगैर सिर्फ मान लिया जाए, जबकि उलमा व मुहद्दिसीन ने अहादीस के रावियों पर मुकम्मल बहस करने के बाद ही उनके इल्म व तक़वा की बुनियाद पर ही उनसे मरवी अहादीस को तसलीम किया है।

मुस्तनद दलाइल के साथ यह बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह है कि अहादीस के अल्फ़ाज़ को रिवायत किया गया है, यानी जो अल्फ़ाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने गए हैं उनको किसी तबदीली के बेगैर बिऐनेही नक़ल किया गया है, हां अगर किसी रावी ने मसलन सौ अहादीस (तक़रीबन हज़ार अल्फ़ाज़) मुकम्मल एहतेमाम के साथ दूसरे लोगों को रिवायत कीं, अगर चंद मुतरादिफ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं तो उसे रिवायतुल हदीस बिलमानी नहीं बल्कि रिवायतुल हदीस बिल्लाफ्ज़ ही कहा जाएगा और वह रावी अरबी ज़बान से मारिफत के साथ उलूमे क़ुरान व हदीस से भी अच्छी तरह वाक़िफ है और अल्लाह तआला के खौफ के साथ शरीअते इस्लामिया का मंशा भी समझता है।

अदीबे अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और उम्मते मुस्लिमा को खुसूसी तालिमात भी दीं कि अहादीस के अल्फ़ाज़ को किसी तबदीली के बेगैर बिऐनेही रिवायत किया जाए, न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी बल्कि अल्फ़ाज़ की मामूली तबदीली की सूरत में इस्लाह भी फरमाई, हालांकि मानी व मफहूम के एतबार से कोई फ़र्क़ भी नहीं पड़ रहा था। सहाबा-ए-किराम ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालिमात की इत्तिबा की और उन्होंने क़यामत तक आने वाले इंसान व जिन्नात के पैगम्बर के अक़वाल को पूरी इहतियात के साथ तबदीली के बेगैर उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाया।

मुहद्दिसीन व उलमा-ए-किराम की एक जमाअत का मौक़िफ है कि रिवायतुल हदीस बिलमानी जाएज़ नहीं है और जिन उलमा व मुहद्दिसीन ने रिवायतुल हदीस बिलमानी के जवाज़ का फतवा दिया है उसके लिए बहुत सी शरएत ज़रूरी क़रार दिए हैं उनमें से अहम शर्त यह है कि रावी अल्लाह ताआला के खौफ के साथ अरबी ज़बान पर महारत रखता हो, यानी हदीस के अल्फ़ाज़ व मानी से बखूबी वाक़िफ हो। ग़रज़ ये कि बइत्तिफाक मुहद्दिसीन रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही असल है, क्योंकि अदीब अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुस्लिमा को इसी की तालिमात दी हैं, चंद दलाइल पेशे खिदमत है:

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरया "अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी, फिर उसे याद रखा यहां तक कि उसको दूसरों तक पहुंचाया क्योंकि कभी कभार फिक़ह लिए फिरने वाले ऐसे शख्स तक ले जाते हैं (यानी

पढ़ाते, सुनाते और पहुंचाते हैं) जो उस उठाने वाले से ज़्यादा समझदार होता है और बाज़ फिक़ह (के मसाइल व अल्फ़ाज़) के याद करने वाले फक़ीह नहीं होते हैं। (तिर्मीज़ी, किताबुल इल्म)
तिर्मीज़ी ही की दूसरी हदीस के अल्फ़ाज़ इस तरह हैं "अल्लाह तरोताज़ा रखे उसको जो हमसे कोई चीज़ सुने फिर उसे उसी तरह आगे पहुंचाए (दूसरों तक) जैसी उसने सुनी हो कि बाज़ पहुंचाए हुए सुनने वाले से ज़्यादा याद करने वाले होते हैं।" (यानी मतलब को ज़्यादा बेहतर समझते हैं)
"बल्लगहु कमा समिअहु" से मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने रिवायतुल हदीस बिलमानी की मुमानअत पर इस्तिदलाल किया है जिस पर कलाम किया जा सकता है, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से इतना ज़रूर मालूम हुआ कि हदीस के सिर्फ मफहूम को रिवायत करने से बचना चाहिए, बल्कि हदीस के अल्फ़ाज़ को बिऐनेही नक़ल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया "जो शख्स मुझपर झूट बांधे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले" (सही बुखारी किताबुल इल्म) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए सख्त वईद सुनाई है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बात को मंसूब करे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। अगर कोई रावी जानता है कि यह अल्फ़ाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम में इस्तेमाल नहीं किए, फिर भी जानबूझ कर इस को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ

मंसूब करे तो वह भी किसी हद तक इस वईद में शामिल होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान तवातुर के साथ बहुत से रावियों से मरवी है और हदीस की तक़रीबन हर किताब में मौजूद है। इस सख्त वईद की मौजूदगी में सहाबा-ए-किराम या ताबेईन कैसे रिवायतुल हदीस बिलमानी को असल बना सकते हैं।

रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ के असल होने के लिए क़वी दलील हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जो हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी किताब (सही बुखारी किताबुल वज़ू) में ज़िक्र फरमाई है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने आओ तो उसी तरह वज़ू करो जैसे नमाज़ के लिए करते हो, फिर दाएं करवट पर लेट जाओ और यूं कहो "अल्लाहुम्मा असलमता वजही आखिर तक", अगर कोई शख्स यह दुआ पढ़ने के बाद उसी रात इंतिक़ाल कर जाए तो फितरत (यानी दीन) पर इंतिक़ाल करेगा और इस दुआ को सबसे आखिर में पढ़ो। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुआ को दोबारा पढ़ा, जब "अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता" पर पहुंचा तो मैंने "वबिरसूलिका" का लफ्ज़ कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि यूं कहो "नाबीय्यीका", गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी की जगह रसूल के लफ्ज़ की तब्दीली की इजाज़त नहीं दी।

इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ को मज़बूती के साथ पकड़ने की तालिमात दी हैं, यानी एक ही मफहूम के लफ्ज़ को तब्दीली करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी, चुनांचे सहाबा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहतेमाम का पूरी तवज्जोह व इनायत के साथ ख्याल रखा। सहाबा-ए-किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफआल को महफूज़ करके इस बात का एहतेमाम किया कि कोई रावी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल का कोई लफ्ज़ भी न बदल दे, चाहे लफ्ज़ मुतरादिफ (दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाज़ जिनके मानी तक़रीबन एक हों) क्यों न हों। सहाबा-ए-किराम के बाद ताबईन ने भी इसी मनहज को इख्तियार करके आइन्दा नसलों के लिए उसवा बनाया। गरज़ ये कि सहाबा-ए-किराम ने पूरी कोशिश की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौल को उसी तरह नक़ल किया जाए जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना गया, हत्ताकि बाज़ सहाबा-ए-किराम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की जगह या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से पहले या बाद में तो करना दरकिनार एक हर्फ बदलने के लिए भी तैयार नहीं थे जैसा अमीरुल मोमेनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे "जिस शख्स ने हदीस सुन कर बिऐनेही नक़ल कर दी तो वह सालिम हो गया।" (अल मुहद्दिसुल फ़ाज़िल बैनर रावी वलवाई)

सहाबा-ए-किराम में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भी रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ का एहतेमाम फरमाते थे और

दूसरों से भी इसका एहतेमाम करवाते थे कि किसी हज़फ व इज़ाफा या तक़दीम व ताखीर के बेगैर लफ्ज़ बलफ्ज़ हदीस नक़ल की जाए। मशहूर व मारूफ हदीस “बुनियल इस्लामु अला खमसिन” जब रिवायत की गई तो एक रावी ने ये हदीस सुन कर बयान की और हज को रमज़ा न के रोज़े से पहले ज़िक्र कर दिया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु) ने फौरन उसकी इस्लाह फरमाई कि इस तरह कहो कि रमज़ान का रोज़ा और हज, क्योंकि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही सुना है। (सही मुस्लिम, किताबुल ईमान)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लफ्ज़ की तक़दीम व ताखीर की भी इजाज़त नहीं दी और वजह बयान की कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह सुना है। मशहूर ताबई हज़रत उरवह बिन ज़ुबैर ने अपनी खाला हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुकुम पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से दो मरतबा एक साल के फ़र्क़ पर इल्म की अहमियत पर एक हदीस सुनी और दोनों मरतबा एक ही अल्फ़ाज़ से रिवायत करने पर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतअल्लिक़ फरमाया मैं इनको सच्चा जानती हूं और उन्होंने इसमें किसी लफ्ज़ की कमी बेशी नहीं की। (सही मुस्लिम, किताबुल इल्म) गरज़ ये कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ का एहतेमाम फरमाया।

बाज़ मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिबीन से उन्हीं के लब व लहजा में गुफतगू फरमाते थे, चुनांचे एक मरतबा

यमन के अफराद से मुखातिब हो कर इरशाद फरमाया “लैसा मिम बिर्रिम सियामु फिम सफरि” (तबरानी व बैहक़ी) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इरशाद यह था “लैसा मिनल बिर्रि अस्सियामु फिस्सफर” लेकिन यमनी लोग लाम को मीम से बदल देते हैं जैसे “मररना बिम कौमि” यानी “बिल कौमि” गरज़ ये कि सहाबा व ताबेइन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के अल्फ़ाज़ को बिऐनेही नक़ल करने का एहतेमाम किया जो इस बात की वाज़ेह निशानी है कि रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही असल है।

बाज़ मरतबा रावी को जब किसी लफ्ज़ पर शक हो जाता या दो अल्फ़ाज़ की तरतीब को भूल जाता यानी, हदीस में तो किसी तरह को कोई शक व शुबहा नहीं है मगर किसी एक लफ्ज़ के मुतअल्लिक़ या दो अल्फ़ाज़ की तक़दीम व ताखीर को भूल गया तो रावी हदीस ज़िक्र करते वक़्त कहता “कजा व कजा”। अगर रिवायतुल हदीस बिलमानी असल होती तो फिर रावी को इस तरह कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।

सहाबा-ए-किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ याद करने को अपना मामूल भी बनाया जैसा कि सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात को तीन हिस्सों में तक़सीम करता था, एक तिहाई रात नमाज़ पढ़ने में, एक तिहाई रात सोने में और एक तिहाई रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद करने में। (अल जामिउल इखलाकुर रावी व आदाबिस सामि) हुज़ूर

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस के शौक़ को पूरी तरह जानते थे, चुनांचे जब एक मौक़ा पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल से पूछा कि या रसूलुल्लाह! क़यामत के दिन आपकी शिफाअत किस नसीब को हासिल होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा! जब से मैंने तुम्हारे हदीस के शौक़ का अंदाजा किया तो मुझे यक़ीन हुआ कि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा शख्स इस बारे में मुझसे सवाल नहीं करेगा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिल व जान से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की वहदानियत का इक़रार किया उसको क़यामत के दिन मेरी शिफाअत नसीब होगी। (सही बुखारी, किताबुल इल्म)

सहाबा-ए-किराम सिर्फ इंफिरादी तौर पर ही नहीं बल्कि आपस में अहादीस को याद करने के लिए मुज़ाकरा भी फरमाया करते थे जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि “हदीस का मुज़ाकरा करते रहा करो, अगर ऐसा नही करोगे हदीस तुम्हारी याददाश्त से मिट जायेगी और तुम्हारे ज़ेहन से निकल जायेगी।” (मुस्तदरक अला सहीहैन, किताबुल इल्म)

मालूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को अपने सीने में महफूज़ फरमा कर कल क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तआला की किताब क़ुरान करीम की पहली और बुनियादी तफसीर को इंतिहाई मुस्तनद व क़ाबिले एतेमाद वसाइल से उम्मते मुस्लिमा को पहुंचा दिया। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल महफूज़ न रहते तो क़ुरान करीम का समझना नामुमकिन था,

क्योंकि क़ुरान फहमी हदीस नबवी के बेगैर मुमकिन ही नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का एक अहम मक़सद क़ुरान करीम के अहकाम व मसाइल को बयान करना है जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है “यह किताब हमने आप पर उतारी है कि लोगों की जानिब जो हुकुम नाज़िल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें शायद कि वह गौर व फिक्र करें।” (सूरह नहल 44) हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल व अफआल यानी हदीस नबवी से क़ुरान करीम की तफसीर बयान की है। क़ुरान करीम की सैकड़ों आयात में अल्लाह तआला ने अपनी इताअत के साथ रसूल की इताअत का हुकुम दिया है। रसूल की इताअत अहादीसे नबविया पर अमल करना ही तो है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अहादीसे नबविया को याद करके महफूज़ करने में उस याददाश्त को भी काफी दखल है जो अल्लाह तआला ने शरीअते इस्लामिया की हिफाज़त के लिए सहाबा और ताबेईन को अता फरमाई थी, चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाफ़िज़ा के लिए मशहूर थे कि वह एक मरतबा मे हदीस याद कर लेते थे, उनके मुतअल्लिक़ कहा जाता है कि 80 अशआर पर मुशतमिल उमर बिन अबी रबीया का कसीदा एक ही बार सुन कर याद कर लिया था। सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ुरान करीम का नाज़िल शुदा पूरा हिस्सा बालिग़ होने से पहले ही हिफ़्ज़ कर लिया था और यहूदी की ज़बान सिर्फ 17 दिन में सीख ली थी। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़कावत की कोई मिसाल नहीं मिलती। ताबेईन में से हज़रत नाफे एक बार किसी बात को याद कर लेते तो कभी न

भूलते। हज़रत इमाम बुखारी और हज़रत इमाम मुस्लिम की ज़ेहानत को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा।
अहादीस नबविया के लिए तक़रीबन वही तरीक़े इख्तियार किए गए हैं जो क़ुरान करीम की हिफाज़त के लिए यानी हिफ्ज, किताबत और अमल और इन ही वास्तों के ज़रिये अहादीसे नबविया की हिफाज़त हुई जिन वास्तों के ज़रिये अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम की हिफाज़त की है, हां क़ुरान करीम की हिफाज़त के इंतिजामात अहादीसे नबविया की हिफाज़त के मुकाबले में ज़्यादा क़वी व मुस्तनद हैं, क्योंकि क़ुरान करीम की एक एक आयत तवातुर के साथ यानी उम्मते मुस्लिमा की बहुत बड़ी तादाद ने नक़ल किया है और क़ुरान करीम की किताबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगरानी में खुद करवाते थे अगरचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक पूरा क़ुरान करीम एक मुसहफ या एक जगह में लिखा हुआ मौजूद नहीं था बल्कि मुख्तलिफ चीजों पर लिखा हुआ क़ुरान करीम सहाबा-ए-किराम के पास मौजूद था। गरज़ ये कि क़ुरान करीम की सबसे पहली और अहम हिफाज़त इस तरह हुई कि सहाबा ने इसको हिफ़्ज़ करके अपने दिलों में महफूज़ कर लिया था।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छे अंदाज में मुखातब से गुफ्तगू फरमाते थे कि मुखातब के दिल में बात बहुत जल्द पैवस्त हो जाती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का एक एक लफ्ज़ मोती की तरह वाज़ेह होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतमिनान से ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे कि

मुखातब उसको कभी भूल ही नहीं सकता था। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को बाज़ मरतबा तीन तीन दफा दुहराते ताकि सहाबा को अच्छी तरह याद भी हो जाए। सहाबा-ए-किराम ने सिर्फ याद करके ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को महफूज़ नहीं किया, बल्कि सहाबा-ए-किराम की एक जमाअत ने अहादीसे नबविया के लिखने का भी एहतेमाम फरमाया। बहुत से वाक़यात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते मुबारका ही में अहादीसे नबविया लिखी जाने लगी थीं, चंद वाक़यात पेश खिदमत हैं।

एक अंसारी सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मं आपसे हदीस सुनना चाहता हूं, वह मुझे इच्छी तरह मालूम होती है लेकिन भूल जाता हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दाएं हाथ से मदद लो यानी लिख लिया करो और अपने हाथ से लिखने का इशारा फरमाया। (तिर्मीज़ी)

इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इल्म को लिख कर महफूज़ करो। (दारे क़ुतनी)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुझसे ज़्यादा किसी के पास नहीं सिवाए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के कि वह लिख लिया करते थे और मैं (उस वक़्त) नहीं लिखता था। (सही बुखारी किताबुल इल्म)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैं आपकी अहादीस रिवायत करना चाहता हूं, लिहाजा मैंने इरादा किया कि अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपने क़ल्ब के अलावा अपने हाथ की किताबत से मदद लुं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी हदीस हो फिर अपने क़ल्ब के साथ अपने हाथ से मदद लो। (सुनन दारमी)
गरज़ ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा-ए-किराम के ज़माना में सिर्फ याद करके ही अहादीस नबविया को महफ़ूज़ नहीं किया गया बल्कि लिख कर भी अहादीस नबविया को महफ़ूज़ किया गया और ज़ाहिर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में सहाबा-ए-किराम और सहाबा की हयात में ताबेईने जब अहादीस लिखने का एहतेमाम कर रहे थे तो वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के अल्फ़ाज़ ही लिख रहे थे न कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मफहूम को। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की बेशुमार छोटी बड़ी दुआओं के अल्फ़ाज़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों के अल्फ़ाज़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हूकुमरानों को भेजे गए खूतुत, मुआहिदे और सुलहनामे सहाबा और ताबेईन के लिखने और याद करने से ही तो आज तक महफ़ूज़ हैं।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहदे खिलाफत में मुहद्दिसीन व उलमा की एक जमाअत की सरपरस्ती में तदवीने हदीस का एक अहम मरहला पूरा हो गया था। आखिरी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला का इंतिक़ाल 110 हिजरी में हुआ है, गरज़ ये कि तदवीन हदीस का एक अहम मरहला बाज़ सहाबा के बकैद हयात रहते हुए अंजाम पाया। आखिरी सहाबी रसूल की वफात के वक़्त 80 हिजरी में पैदा हुए हज़रत इमाम अबू हनीफा की उम्र 30 साल थी।

गरज़ ये कि मुस्तनद दलाइल के साथ यह बात रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह है कि रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही असल है, यानी अहादीस क़ौलिया में अल्फ़ाज़ सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं जिनको सहाबा ने याद करके या उनको लिख कर कल क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए महफूज़ कर दिया है। रिवायतुल हदीस बिलमानी के मुतअल्लिक़ उलमा व मुहद्दिसीन की रायें मुख्तलिफ हैं।

1) रिवायतुल हदीस बिलमानी जाएज़ नहीं है, यानी रावी के लिए ज़रूरी है कि वह लफ्ज़ बलफ्ज़ हदीस नक़ल करे।

2) रिवायतुल हदीस बिलमानी चंद शराएत के साथ जाएज़ है।

- रावी इस्लामी तालिमात का पाबन्द हो, झूट कभी नहीं बोलता हो और बात को अच्छी तरह समझता हो।
- रावी अरबी ज़बान के क़वाएद का अच्छी तरह जानकार होने के साथ अरबी ज़बान के गुफ्तगू के अंदाज़े बयान से भी वाक़िफ़ हो।
- अल्फ़ाज़ के मानी को मुकम्मल तौर पर समझता हो कि किस जगह पर लफ्ज़ के किया मानी होंगे।
- दुआ और नमाज़ में जो पढ़ा जाता है वह उसमें बयान न किया गया हो, क्योंकि दुआ और नमाज़ वगैरह में जो कुछ पढ़ा जाता है

उसमें रिवायतुल हदीस बिलमानी बइत्तिफाक़ मुहद्दिसीन जाएज़ ही नहीं है।

खुलासा कलाम

रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही असल है। उन अहादीस क़ौलिया में रिवायतुल हदीस बिलमानी जमहूर मुहद्दिसीन व उलमा के नजदीक जाएज़ नहीं है जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर व जामे अक़वाल को बयान किया गया है। उन अहादीसे क़ौलिया के मुतअल्लिक़ जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवील अक़वाल को बयान किया गया है सहाबा-ए-किराम और ताबेईन ने इस बात का एहतेमाम रखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ किसी तब्दीली के बेगैर नक़ल किए जाएं, हां अल्लाह तआला के खौफ और अरबी ज़बान से मारिफत के साथ चंद अल्फ़ाज़ के मुतरादिफात के इस्तेमाल से रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही कही जाएगी। रही बात अहादीस फेलिया की जिनमें सहाबा-ए-किराम और ताबेईन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को ज़िक्र फरमाया है या वह अहादीस जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हैं तो ज़ाहिर है इनमें रिवायतुल हदीस बिलमानी की मज़कूरा बाला शराएत के साथ गुंजाइश है क्योंकि इन में सहाबी अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल या औसाफ बयान करता है।

लाखों सफहात पर मुशतमिल हदीस के ज़खीरा में हज़ारों अहादीसे क़ौलिया हैं जो मुख्तलिफ सहाबा-ए-किराम और ताबईन से मरवी हैं, लेकिन उनके अल्फ़ाज़ बिल्कुल यकसां हैं यानी एक लफ्ज़ भी

मुख्तलिफ नहीं हैं। मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में रहने वाले उलमा-ए-किराम और मुहद्दिसीन इज़ाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों अक़वाल को एक लफ्ज़ की तब्दीली के बेगैर उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाया, ज़ाहिर है यह इस बात की वाज़ेह अलामत है कि रिवायतुल हदीस बिल्लफ्ज़ ही असल है। इख्तिसार के मद्देनजर सिर्फ तीन अहादीस की मुख्तसर इबरात ज़िक्र कर रहा हूं जो कई वास्तों से उम्मते मुस्लिमा के पास पहुंची हैं और अल्फ़ाज़ में कोई तब्दीली नहीं है। मालूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम और ताबेईन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ बिऐनेही नक़ल करने का एहतेमाम किया। अगर रिवायतुल हदीस बिलमानी असल होती तो तमाम रावी एक ही अल्फ़ाज़ नक़ल न करते बल्कि हर रावी अपनी सलाहियत के एतेबार से अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता।

इन्नमल आमालु बिन्नियात।

मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन।

अलमुस्लिमु मन सलिमा मिन लिसानिहि व यदिहि।

अल्लाह तआला तमाम मुसलमानों को क़ुरान व हदीस पर अमल करने वाला बनाए, आमीन।

सही बुखारी व उलमा-ए-देवबन्द की खिदमात

सबसे पहले सही बुखारी के मुसन्निफ इमाम बुखारी की मुख्तसर ज़िन्दगी के हालात लिख रहा हूं।

नाम व नसब

नाम मोहम्मद बिन इसमाइल और कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। अजबकिस्तान के शहर बुखारा मे पैदाइश की वजह से बुखारी कहलाए गए।

विलादत और वफात

आप 13 शैव्वाल 194 हिजरी जुमा के दिन पैदा हुए और तक़रीबन 62 साल की उम्र में इदुल फितर की चांद रात को मग़रिब व इशा के दरमियान 256 हिजरी में आप की वफात हुई और इदुल फितर के दिन बादे नमाज़े ज़ुहर समरकंद के करीब खरेतंग नामी जगह में दफन किए गए।

तालीम व तरबीयत

आपके बचपन में ही वालिदे मुहतरम (इसमाइल) का साया सर से उठ गया, आपकी तालीम व तरबीयत मां की गोद में हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में अहादीस की बेशतर किताबें पढ़कर आपने तक़रीबन 70 हज़ार हदीसें ज़बानी याद कर ली थीं।

आप बचपन में ही देखने से महरूम हो गए थे। एक मरतबा आपकी वालिदा ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे ऐ औरत! अल्लाह तआला ने तेरी दुआ की बरकत से तेरे बेटे की बीनाइ वापस कर दी है, चुनांचे सुबह हुई तो इमाम बुखारी बिल्कुल देखने लगे थे।

आपके वालिद मुहतरम ने वफात के वक़्त फरमाया था कि मेरे तमाम माल में न कोई दिरहम हराम का है और न मुशतबा कमाई का, इससे मालूम होता है कि आपकी परवरिश बिल्कुल हलाल रिज़्क़ से हुई थी और आखिरी उम्र तक ईमाम बुखारी भी अपने वालिद के नक़्शे कदम पर चले, गरज़ ये कि आपने कभी हराम लुक़मा नहीं खाया।

इल्मे हदीस की तहसील

इब्तिदा में अपने ही इलाक़े के बेशतर शूयुख से अहादीस पढ़ी, वालिदा और भाई के साथ हज की अदाएगी के लिए मक्का गए, वालिदा और भाई तो अपने वतन वापस आ गए मगर, हज से फरागत के बाद आप मक्का और मदीना के शूयुख से अहादीस सुनते रहे। उसके बाद हदीस के हुसूल के लिए बहुत से सफर करके मिश्र, शाम, इराक और दूसरे मुल्कों के शूयुख से आपने अहादीस पढ़ी। इस तरह आप कम उमरी ही में हदीस के इमाम बन कर सामने आए।

क़ुव्वते हाफ़िज़ा

अल्लाह तआा ने इमाम बुखारी को खुसूसी क़ुव्वते हाफ़िज़ा अता फरमाई थी, चुनांचे वह एक बात सुनने के बाद हमेशा याद रखते थे। आपके उस्ताद इमाम मोहम्मद बिन बश्शार फरमाते हैं कि इस वक़्त दुनिया में खुसूसी हाफ़िज़ा रखने वाले चार शख्स हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू ज़िरा राज़ी और इमाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान समर कंदी। शारेह सही बुखारी अल्लामा इब्ने हजर असकलानी कहते हैं कि इन चारों में इमाम बुखारी को खास फज़ीलत हासिल थी।

आपके असातिज़ा-ए-किराम

अल्लामा इब्ने हजर असकलानी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी के उस्तादों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खुद इमाम बुखारी का अपना बयान है कि "मैंने अस्सी हज़ार हज़रात से रिवायत की है जो सब बुलंद पाया असहाबे हदीस में शुमार होते थे"।

आपके शागिर्द

आपके शागिर्द की कसरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लामा फरबरी फरमाते हैं कि जब मैं इमाम बुखारी की शोहरत सुन कर आपकी शागिर्दी का शरफ हासिल करने आपकी खिदमत में पहुंचा तो उस वक़्त तक़रीबन 90 हज़ार आदमी आपके शागिर्द हो चुके थे। नामवर शागिर्दों में इमाम तिर्मीज़ी और अल्लामा दारमी भी शामिल हैं।

तालिफाते इमाम बुखारी

इमाम बुखारी की तसानीफ मे आठ किताबें ज़्यादा मशहूर हैं।

1) अलअदबुल मुफरद
2) अत्तारीखुस सगीर-अलअवसत
3) अत्तारीखुल कबीर
4) अज़ज़ुफाउस सगीर
5) क़ुरतुल ऐनैन बिरफइल यदैन फीससलात
6) खलक़े अफआलुल इबाद
7) अलकिरातुल खलफिल इमाम
8) और सबसे मायानाज किताब सही बुखारी

सही बुखारी का पूरा नाम यह है

अलजामिउल मसनदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूरे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननहि व अैयामेहि
बाज़ हज़रात ने अल्फ़ाज़ के मामूली इख्तिलाफ के साथ इसका नाम इस तरह लिखा है।
अलजामिउस सहीहिल मुसनद मिन हदीसे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननहि व अैयामेहि

सही बुखारी के लिखने की वजह

इमाम बुखारी ने हिजाज़ के तीसरे सफर में मस्जिदे नबवी से मुत्तसिल एक रात ख्वाब में देखा कि मेरे हाथ में एक बहुत ही खुबसूरत पंखा है और मैं इसको निहायत इतमिनान से झल रहा हूं। सुबह को नमाज़ से फारिग हो कर इमाम बुखारी ने उलमा से अपने ख्वाब की ताबीर दरयाफ्त फरमाई, उन्होंने जवाब दिया कि आप सही हदीसों को ज़ईफ़ व मौज़ू हदीसों से अलाहिदा करेंगे, इस ताबीर ने इमाम बुखारी के दिल में सही अहादीस पर मुशतमिल एक किताब की तालीफ का एहसास पैदा किया। इसके अलावा इस इरादा को मज़ीद तक़वियत इस बात से पहुंची कि आपके उस्ताद शैख इसहाक़ बिन राहवियह ने एक मरतबा आपसे फरमाया कि क्या ही अच्छा होता कि तुम ऐसी किताब तालीफ फरमाते जो सही आहादीस की जामे होती। ख्वाब की ताबीर और उसताद के इरशाद के बाद इमाम बुखारी सही बुखारी लिखने में हमातन मशगूल हो गए। सही बुखारी लिखे जाने तक हदीस की तक़रीबन तमाम ही किताबों में सही, हसन और ज़ईफ़ तमाम क़िस्म की अहादीस जमा की जाती थीं, नीज़ सही बुखारी लिखे जाने तक इल्मे हदीस की बज़ाहिर तदवीन भी नहीं हुई

थी जिसकी वजह से उसूल भी आम तौर पर सामने नहीं आए थे जो सही और गैरे सही में इमतियाज़ पैदा करते। सही बुखारी की तसनीफ के बाद भी हदीस की अक्सर किताबें सही, हसन और ज़ईफ़ पर मुशतमिल हैं।

सही बुखारी लिखने में वक़्त

इमाम बुखारी ने सबसे पहले तक़रीबन 6 लाख अहादीस के मुसव्वदात तरतीब दिए, इसमें कई साल लग गए, इससे फारिग हो कर आपने अहादीस की जांच शुरू की और इस अहम ज़ख़ीरे से एक एक गौहर चुन कर सही बुखारी में जमा करना शुरू कर दिया। आप खुद फरमाते हैं कि हर हदीस को सही बुखारी में लिखने से पहले गुस्ल फरमा कर दो रिकात नफल अदा करता हूं। आपको जब किसी हदीस की सनद मे इतमिनान नहीं होता तो आप मस्जिदे हराम या मस्जिदे नबवी में नियत करके इस्तिखारा की दो रिकात नमाज़ पढ़ते और फिर दिल के सुकून के बाद ही इस हदीस को अपनी किताब मे तहरीर फरमाते। गरज़ उन्होंने 16 साल दिन रात मेहनत करके यह किताब तहरीर फरमाई।

सही बुखारी मे अहादीस की तादाद

सही बुखारी मे सात हज़ार से कुछ ज़्यादा अहादीस हैं जो सबकी सब सही सही हैं, अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन ने 7 या 8 अहादीस की सनद पर कलाम किया है, मगर सही बात यह है कि तमाम अहादीस सही हैं। बहुत सी अहादीस मुख्तलिफ अबवाब में बार बार मज़कूर हैं, मसलन हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात मुख्तलिफ अबवाब के तहत कई बार ज़िक्र की गई। तक़रीबन तीन हज़ार अहादीस इस किताब में गैर मुकर्ररा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तमाम

ही सही अहादीस इस किताब में जमा हो गई है बल्कि सही अहादीस की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी भी है जो इमाम बुखारी के अलावा दूसरे मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ज़िक्र की हैं जैसा कि इमाम बुखारी ने खुद इसका एतेराफ किया है।

मुअल्लक़ात सही बुखारी

इमाम बुखारी ने अपनी किताब में बाज़ अहादीस सनद के बेगैर या इब्तिदाई सनद में से किसी एक या चंद रावी को ज़िक्र किए बेगैर लिखे हैं, इन को मुअल्लकाते बुखारी कहा जाता है। सबसे पहले इमाम अबुल हसन दारे कुतनी ने मुअल्लक़ात की इस्तिलाह उम्मत के सामने पेश की है।

इमाम बुखारी ने बाज़ मुअल्लक़ात को यक़ीन के सेगा के साथ ज़िक्र किया है जिनके सही होने पर उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ हैं जबकि बाज़ मुअल्लक़ात शक के सेगा के साथ ज़िक्र की हैं जिन पर बाज़ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है।

इमाम बुखारी ने यह मुअल्लक़ात उमूमन 2 वजहों में से किसी एक वजह से अपनी किताब में ज़िक्र फरमाई है।

1) वह हदीस उन शराएत पर न उतरती हो जो इमाम बुखारी ने अपनी किताब के लिए तैय की थी मगर किसी खास फायदा के मद्देनजर वह हदीस मुअल्लक ज़िक्र कर दी।

2) सिर्फ इख्तिसार की वजह से सनद के बेगैर या इब्तिदाई सनद में किसी एक या चंद रावी को ज़िक्र किए बेगैर तहरीर फरमा दी।

मुअल्लक़ात सही बुखारी की तादाद

अल्लामा इब्ने हजर ने फतहुल बारी में लिखा है कि बुखारी में मुअल्लक़ात की तादाद 1341 है जिनमें से अक्सर बहुत सी बार

ज़िक्र की गई हैं, बाज़ मुहद्दिसीन ने उससे भी ज़्यादा तादाद ज़िक्र की है, अलबत्ता सही मुस्लिम में मुअल्लक़ात बहुत कम हैं। इसी वजह से बाज़ मुहद्दिसीन ने मुस्लिम को बुखारी पर फौक़ियत दी है।

तरजुमतुल अबवाब

इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी को मुख्तलिफ अबवाब में मुरत्तब किया है और हर बाब के तहत बहुत सी अहादीस ज़िक्र की हैं, मगर सही बुखारी में हर बाब के तहत मज़कूरा अहादीस की बाब से मुनासबत उमूमन मुशकिल से समझ में आती है जिस पर मुहद्दिसीन व उलमा बहस करते हैं जो एक मुस्तक़िल इल्म की हैसियत इख्तियार कर गई है जिसको तरजुमतुल अबवाब कहा जाता है।

किताब की इल्मी हैसियत

इमाम बुखारी पहले शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ अहादीसे सहीहा पर इकतिफा फरमा कर सही बुखारी लिखी। इससे पहले जो किताबें लिखी गईं वह सही, हसन और ज़ईफ वगैरह जुमला अहादीस पर मुशतमिल हुआ करती थी। इमाम बुखारी के बाद बाज़ मुहद्दिसीन मसलन इमाम मुस्लिम ने इस सिलसिला को जारी रखा, मगर जमहूर उलमा-ए-उम्मत ने सही बुखारी को दूसरे तमाम अहादीस की किताबों पर फौक़ियत दी है। सही बुखारी के बाद भी तहरीर करदा ज़्यादातर अहादीस की मशहूर व मारूफ किताबें (तिर्मीज़ी, इब्ने माजा, नसइ, अबू दाऊद वगैरह) हदीस की तमाम ही अकसाम (सही, हसन, ज़ईफ़ वगैरह) पर मुशतमिल है।

सुलासियाते इमाम बुखारी

सही बुखारी में 22 हदीसें सुलासियात है, सुलासियात के मानी सिर्फ तीन वास्तों (मसलन सहाबी, ताबई और तबे ताबई) से मुहद्दिसे हदीस ज़िक्र करे। "सुलासी" हदीस की सनद में रावियों की तादाद के एतबार से आला सनद होती है, यानी तीन वास्तों से कम कोई भी हदीस हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है। इन 22 अहादीसे सुलासियात में 20 हदीसें इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से रिवायत की है। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द शैख अलमक्की बिन इब्राहिम से 11, इमाम अबू आसिम से 6 और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम ज़ुफ़र के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी से 3 रिवायत अपनी किताब में ज़िक्र की हैं। मालूम हुआ कि इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द हैं।

सही बुखारी की शरह

मुहद्दिसीन व उलमा ने सही बुखारी की बहुत सी शरह लिखी है जिनमें अहादीस की वज़ाहत के साथ तरजुमतुल अबवाब और रावियों पर लफसीली बहस फरमाई है नीज़ अहकाम मुस्तंबत किए हैं, लेकिन इन शरह में अल्लामा इब्ने हजर असकलानी की फतहुल बारी बेशरह सहीहुल बुखारी सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसकी 14 जिल्दें हैं।

सही बुखारी व उलमा-ए-देवबन्द की खिदमात

दरसे हदीस को गौर व फिक्र और तदब्बुर व मानी से पढ़ने पढ़ाने का जो पौदा बर्रेसगीर में शैख अब्दुल हक़ मुद्दिस देहलवी ने लगाया था उलमा-ए-देवबन्द ने इसकी भरपूर आबयारी करके उसे तनावर दरख्त बना दिया। चुनांचे बर्रेसगीर के चप्पे चप्पे से तालिबाने उलूमे हदीस

का ठाठे मारता हुआ समुन्दर उमड़ पड़ा और सिर्फ 150 साल की तारीख में दारूल उलूम देवबन्द और इस तर्ज़ पर क़ायम मदारिस के लाखों फ़ुज़ला उलूमे हदीस पढ़कर दुनिया के चप्पे चप्पे मे उलूमे नबूवत की इशाअत में मशगूल हो गए, उलमा-ए-देवबन्द की हदीस की नुमाया खिदमात का एतेराफ अरब उलमा ने भी किया है, चुनांचे कुवैत के एक वज़ीर "यूसुफ सैयद हाशिम अररिफाइ" ने लिखा है कि हाफिज़ ज़हबी और हाफिज़ इब्ने हजर असकलानी जैसे मेयार के उलमा दारूल उलूम देवबन्द मे मौजूद है।

बर्रेसगीर के उलमा खास तौर पर उलमा-ए-देवबन्द ने सही बुखारी की बहुत सी शरह लिखी है जिनमें से अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी की शरह फैज़ुलबारी अला सहीहिल बुखारी को बड़ी शोहरत हासिल हुई है।

उलमा देवबन्द की तहरीर करदा सही बुखारी की बाज़ अहम शरह

फैज़ुलबारी अला सहीहिल बुखारी

यह मुहद्दिसे कबीर शैख मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी का दरसे बुखारी है जिसको उनके शागिरदे रशीद शैख बदरे आलम मेरठी मुहाजिर मदनी ने अरबी ज़बान में तरतीब दिया है, सबसे पहले यह शरह मिश्र से शाये हुई, उसके बाद दुनिया के कई मुल्कों से लाखों की तादाद में शाये हो चुकी है, चुनांचे आज अरब व अजम में इस शरह को सही बुखारी की अहम शरह मे शुमार किया जाता है, इसकी चार ज़खीम ज़िल्दें हैं, बाज़ नाशेरीन ने छः जिल्दों में शाये किया है, अरब व अजम मे अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी का शुमार मुस्तनद व मोतबर महद्दिसीन में किया जाता है, मशरिक व मग़रिब

के तमाम इल्मी हलक़ों ने अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी की सलाहियतो का एतेराफ किया है।

तालीक़ात जामिअह अला सहीहिल बुखारी (अरबी)

शैखुल हदीस अहमद अली सहारनपुरी ने बुखारी के 25 अजज़ा पर तालीक़ात की, बाकी पांच हिस्सों पर उनके शागिर्द शैख मोहम्मद क़ासिम नानौतवी ने तालीक़ की।

अल अबवाब वत तराजिम लिल बुखारी

इस किताब में बुखारी शरीफ के अबवाब की वज़ाहत की गई है, सही बुखारी में अहादीस के मजमूआ के उनवानात पर एक बहस मुस्तक़िल इल्म की हैसियत रखती है जिसे तरजुमतुल अबवाब कहते है, शैखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने इस किताब में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और अल्लामा इब्ने हजर असकलानी जैसे उलमा के ज़रिया बुखारी के अबवाब के बारे में की गई वज़ाहत ज़िक्र करने के बाद अपनी तहक़ीक़ी राय पेश की है, यह किताब अरबी ज़बान में है और इसकी 6 जिल्दें हैं।

लामेउद्दरारी अला जामे सहीहिल बुखारी

यह मजमूआ दरअसल शैख रशीद अहमद गंगोही का दरसे बुखारी है जो शैख मोहम्मद ज़करिया के वालिद शैख मोहम्मद यहया ने उर्दू ज़बान में लिखा था शैखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने इसका अरबी ज़बान में तरजुमा किया और कुछ हज़फ व इज़ाफात करके किताब की तालीक़ और हवाशी खुद तहरीर फरमाए, इस तरह शैखुल हदीस की 12 साल की इंतिहाई कोशिश और मेहनत की वजह से यह अजमी किताब मंजरे आम पर आई, इस किताब पर शैखुल हदीस का

मुक़द्दमा बेशुमार खूबियों का हामिल है, यह किताब अरबी ज़बान में है और इसकी 10 जिल्दें हैं।

अनवारूल बारी फी शरहिल बुखारी

यह मुहद्दिसे कबीर शैख अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी का दरसे बुखारी है जिसको शैख अहमद रज़ा बिजनौरी ने उर्दू ज़बान में तरतीब दिया है।

ईज़ाहुल बुखारी

यह शैख फखरूद्दीन अहमद मुरादाबादी का दरसे बुखारी है जो शैख रियासत अली बिजनौरी साहब ने उर्दू ज़बान में तरतीब दिया है।

शरह तराजिमुल बुखारी

शैखुल हिन्द मौलाना महमुदूल हसन देवबन्दी।

शरह तराजिमुल बुखारी

शैख मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी।

अत्तक़रीर अला सहीहिल बुखारी

शैख मोहम्मद ज़करिया कांधलवी, शैख मोहम्मद यूनुस।

इरशादुल क़ारी इला सहीहिल बुखारी

शैख मुफती रशीद अहमद लुधयानवी।

तल्खीसुल बुखारी शरह सही अलबुखारी

शैख शमसुज़्ज़ुहा मज़ाहिरी।

तूहफतुल क़ारी फी हल्लि मुश्किलातिल बुखारी

शैख मोहम्मद इदरीस कांधलवी।

इमदादुल बारी फी शरहिल बुखारी

शैख अब्दुल जब्बार आज़मी।

जमेउद्दरारी फी शरहिल बुखारी

शैख अब्दुल जब्बार आज़मी।

अत्तसवीबात लिमा फी हवाशिल बुखारी मिनत तसहीफात

शैख अब्दुल जब्बार आज़मी।

अलखैरूल जारी अला सहीहिल बुखारी

शैख खैर मोहम्मद मुजफ्फरगढी।

अन्नूरूस्सारी अला सहीहिल बुखारी

शैख खैर मोहम्मद मुजफ्फरगढी।

इहसानुल बारी लिफहमिल बुखारी

शैख मोहम्मद सरफराज खां सफदर।

जवाहिरूल बुखारी अला अतराफिल बुखारी

शैख क़ाज़ी ज़ाहिद हुसैनी।

इनमामुल बुखारी फी शरहिल बुखारी

शैख आशिक इलाही बुलन्दशहरी व मुहाजिर मदनी।

दुरूसे बुखारी

शैख हुसैन अहमद मदनी का दरसे बुखारी है जिसको शैख नेमतुल्लाह आज़मी मुरत्तब कर रहे हैं, बाज़ जिल्दें शाये हो चुकी हैं।

तरजुमा सही बुखारी

शैख शब्बीर अहमद उसमानी।

फजलुल बारी शरह सहीहिल बुखारी

शैख शब्बीर अहमद उसमानी।

अन्नबरासुस्सारी फी अतराफिल बुखारी

यह शैख अब्दुल अज़ीज़ गोजरानवाला की अरबी ज़बान में बुखारी की शरह है जो 2 जिल्दों पर मुशतमिल है, इनका हाशिया "मिक़यासुल वारी अलन्नबरासुस्सारी" भी काफी अहमियत का हामिल है।

तहकीक व तालिक लामिउद्दारारी अला जामेइल बुखारी

शैख मोहम्मद ज़करिया कांधलवी।

इनामुल बारी शरह बुखारी

शैख मोहम्मद अमीन चाटगामी

नसरूल बारी शरह अलबुखारी

यह सही बुखारी की शरह है जो शैख उसमान गनी ने तालिफ की है जिसकी 14 जिल्दें हैं।

तफ्हीमुल बुखारी

यह सही बुखारी का उर्दू तरजुमा है जो शैख जहूरूल बारी आज़मी क़ासमी ने किया है, जिसकी अरबी मतन के साथ 3 जिल्दें हैं।

हमदुल मुतआली अला तराजिमि सहीहिल बुखारी

यह शैख सैयद बादशाह गुल की किताब है जो शैख हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द हैं।

फ़ज़लुल बुखारी फी फिक़हिल बुखारी

यह शैख अब्दुररऊफ हज़ारवी की किताब है जो शैख मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द हैं।

तसहीलुल बारी फी हल्ले सहीहिल बुखारी

शैख सिद्दीक़ अहमद बांदवी।

कशफुल बारी फी शरहिल बुखारी

शैख सलीमुल्लाह खां साहब।

शरहुल बुखारी, तजरीदुल बुखारी

शैख मोहम्मद हयात सम्भली, यह शैख मुफती आशिक़ इलाही के उस्ताद हैं।

इनामुल बारी, दुरूसे बुखारी शरीफ

यह मौलाना मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी का दरसे बुखारी है जो मौलाना मुफती मोहम्मद अनवर हुसैन साहब ने उर्दू ज़बान में मुरत्तब किया, इसकी 16 जिल्दें हैं, जिनमें से सात ज़खीम जिल्दें शाये हो चुकी हैं, दूसरे बाक़ी शाये होने वाली हैं।

उलमा-ए-देवबन्द के बाज़ मुहद्दिसीने किराम के नाम

1866 मे दारूल उलूम देवबन्द और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपूर के क़याम के बाद बर्रेसगीर में मादिरसे इस्लामिया का ऐसा अज़ीम जाल फैला दिया गया कि उससे बर्रेसगीर में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों की दीनी तालीम व तरबियत का न सिर्फ माक़ूल इंतिज़ाम हुआ बल्कि मदारिसे इस्लामिया के तलबा व असातज़ा ने क़ुरान व हदीस की ऐसी खिदमात पेश कीं कि अरब व अजम में उनकी खिदमात का एतेराफ किया गया, चुनांचे मिश्र से शाये होने वाले मशहूर इल्मी रिसाले के एडिटर व मारूफ आलिमे दीन "शैख सैयद रशीद रज़ा" लिखते है "हिन्दुस्तानी उलमा की तवज्जोह उस ज़माना में इल्मुल हदीस की तरफ मुतवज्जह न होती तो मशरिक़ी मुल्कों से यह इल्म खत्म हो चुका होता, क्योंकि मिश्र, इराक़ और हिजाज़ में यह इल्म ज़ोफ की आखिरी मंज़िल तक पहुंच गया था"।

इन मदारिसे इस्लामिया के ज़रिये बर्रेसगीर में ऐसे बासलाहियत मुहद्दिसीन पैदा हुए जिन्होंने ज़िन्दगी का बेशतर हिस्सा हदीस खास कर सही बुखारी व सही मुस्लिम को पढ़ने पढ़ाने या उसकी शरह लिखने में सर्फ किया, इन मुहद्दिसीन में से चंद नुमायां नाम हस्बे ज़ैल हैं:

मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानौतवी, शैखुल हिन्द महमूदुल हसन, मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना रशीद अहमद

गंगोही, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना खलील अहमद सहरानपूरी, मौलाना शब्बीर अहमद उसमानी, मौलाना फखरूद्दीन अहमद मुरादाबादी, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी, मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी, मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, मौलाना मोहम्मद इसमाइल सम्भली (जो राक़िमुलहुरूफ के दादा है), मौलाना अब्दुल जब्बार आज़मी, मौलाना नसीर अहमद ख़ान, मौलाना उसमान गनी, मौलाना खुरशीद आलम, मौलाना मोहम्मद यूनूस आज़मी, मौलाना मोहम्मद तक़ी उसमानी, मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी, मौलाना रियासत अली बिजनौरी और मौलाना सईद अहमद पालनपूरी दामत बरकातुहुम।

अल्लाह तआला से दुआ है कि मदारिसे इस्लामिया की हिफाज़त फरमाए और हमें क़ुरान व हदीस समझ कर पढ़ने वाला बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए और उसको दूसरों तक पहचाने वाला बनाए, आमीन।

सही मुस्लिम व उलमा-ए-देवबन्द की खिदमात

सबसे पहले सही मुस्लिम के मुसन्निफ (इमाम मुस्लिम बिन अलहज्जाज) का तआरुफ पेश है।

नाम व नसब: अबूल हसन कुन्नियत, असाकिरूद्दीन लक़ब और मुस्लिम उनका इस्मे गिरामी था। कुशैर अरब के मशहूर क़बीला की तरफ मंसूब थे। आपके वालिद हज्जाज बिन मुस्लिम इल्मी हल्कों में बहुत पाबन्दी से शरीक हुआ करते थे।

विलादत व वफात: आप 202 या 204 हिजरी में खुरासान के मशहूर शहर नीशापुर में पैदा हुए। यह खूबसूरत शहर इरान के शिमाल मशरिक़ में निस्तान के क़रीब पड़ता है। नीशापुर में पैदाइश की मुनासबत से आपको नीशापूरी कहा जाता है। आपकी वफात 25 रजब 261 को नीशापुर में हुई और वहीं आपकी तदफीन अमल में आई। गरज़ इमाम मुस्लिम की उम्र सिर्फ 55 या 59 साल रही। इमाम मुस्लिम की वफात का सबब भी अजीब व गरीब वाक़या है कि एक रोज़ मजलिस में आपसे किसी हदीस के बारे में पूछा गया और उस वक़्त आप वो हदीस नहीं पहचान सके, चुनांचे आप उस हदीस को अपनी किताबों में तलाश करने में मसरूफ हो गए, खजूरों का एक टोकरा उनके क़रीब रखा था और आप हदीस को तलाश करने मे कुछ इस तरह लग गये कि टोकरी का सारा खजूर खाकर खतम कर दिया और आप को कुछ एहसास भी नहीं हुआ। बस यही ज़्यादा खजूरें खाना ही आपकी मौत का सबब बना।

तालीम व तरबियत - आपने वालिदैन की निगरानी में बेहतरीन तरबियत हासिल की जिसका असर यह हुआ कि इब्तिदाऐ उम्र से अखिर सांस तक आपने परहेज़गारी और दीनदारी की ज़िन्दगी बसर की। आपकी इब्तिदाई तालीम नीशापुर में हुई। अल्लाह तआला ने आपको गैर मामूली ज़कावत, ज़ेहानत और कुव्वते कुव्वते हाफिज़ा अता की थी।

इल्मे हदीस तहसील - आपने इल्मे हदीस की तलाश में इराक़, हिजाज़, मिश्र, शाम वगैरह के बहुत से जगहों का सफर किए और वहां के मुहद्दिसीन से भी अहादीस हासिल कीं।

इमाम मुस्लिम की शख्सियत - इमाम मुस्लिम को हर ज़माना में इल्मे हदीस का इमाम माना गया है और उनका दर्जा मुहद्दिसीन में इस क़दर बुलंद है कि इस दर्जा पर इमाम बुखारी के अलावा और कोई मुहद्दिस नहीं पहुंच सका।

इमाम मुस्लिम के उस्ताद - आपके उस्तादों में इमाम मोहम्मद बिन यहया ज़ोहली, इमाम यहया बिन यहया नीशापूरी, इमाम इस्हाक बिन राहवैह, इमाम अब्दुल्लाह अलकानबी, इमाम सईद बिन मंसूर, इमाम अहमद बिन हमबल और इमाम बुखारी के नाम क़ाबिले ज़िक्र हैं। इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में इमाम यहया तमीमी से हदीस पढ़ना शुरू कर दिया था।

इमाम मुस्लिम के शागिर्द - आपके शागिर्दों में से इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी, इमाम अबू बकर बिन ख़ुज़ैमा और इमाम अबू हातिम राज़ी के नाम क़ाबिले ज़िक्र हैं।

इमाम मुस्लिम की तालिफात - इमाम मुस्लिम की बाज़ अहम किताबों के नाम हस्बे ज़ैल हैं।

किताब अलमुसनदुल कबीर अलर रिजाल, जामे कबीर, किताबुल असमा वलकुना, किताबुल इलल, किताबुल वुहदान, किताबु हदीस अमर बिन शुऐब, किताबु मशाएख मालिक, किताबु मशाएखिस सौरी, किताबु मशाऐख शोबा, किताबु ज़िक्र औहामुल मुहद्दिसीन, किताबुत तमीज, किताबुल अफराद, किताबुल अक़रान, किताबुल मुखज़रमीन किताबु औलदिस सहाबा, किताबुल इंतिफा बेजुलूदिस सिबा, किताबुत तबकात, किताबु अफरादिश शामियीन, किताबु रूवातिल एतिबार और सही मुस्लिम।

इमाम मुस्लिम की अहम किताबु सही मुस्लिम - मुख्तलिफ मुल्कों के असफार के बाद इमाम मुस्लिम ने चार लाख अहादीस जमा कीं और उनमें से एक लाख मुकर्रर अहादीस को अलग करके तीन लाख अहादीस को परखना शुरू फरमाया। जो अहादीस हर एतेबार से मुस्तनद साबित हुईं उनका इंतिखाब करके सही मुस्लिम में जमा किया। पन्दरह साल की मेहनत और कोशिशों के बाद यह अहम किताब पूरी हुई। इसमें तक़रीबन सात हज़ार अहादीस हैं जिनमें से

बहुत सी अहादीस एक से ज़्यादा मरतबा ज़िक्र की गई हैं। गैर मुकर्रर अहादीस की तादाद तक़रीबन चार हज़ार हैं।

सही मुस्लिम का पूरा नाम - इमाम मुस्लिम की इस अहम किताब का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर न हो सका, फिर भी मुहद्दिसीन व उलमा ने इस मक़बूल किताब के नाम इस तरह फरमाए हैं। अस सही, अल मुसनदुस सही, अल जामे, अलबत्ता यह किताब सही मुस्लिम के नाम से अरब व अजम में ज़्यादा पहचानी जाती है।

रुबाइयाते सही मुस्लिम - आला से आला सही मुस्लिम में वह सनद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चार वास्तें हैं, सही मुस्लिम में इस क़िस्म की अहादीस 80 से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन सुलासियात जिस में रसूलुलाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तीन वास्ते हैं सही मुस्लिम में कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता सही बुखारी में तक़रीबन (22) अहादीस सुलासियात हैं जिसमें इमाम बुखारी ने (20) अहादीसे सुलासियात इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से रिवायत की हैं।

मुत्तफक़ अलैह हदीस - जो हदीस सही बुखारी व सही मुस्लिम दोनों किताबों में मज़कूर हो तो उस हदीस को मुत्तफक़ अलैह कहा जाता है।

सही मुस्लिम की शुरूह - सही मुस्लिम की बकसरत शुरूह तहरीर की गई हैं, जिनमें शैख अबू ज़करिया यहया बिन शरफ अश शाफई

अद्दमिशकी (631-672 हिजरी) यानी इमाम नववी की शरह (अलमिनहाज फी शरह सही मुस्लिम बिन अलहज्जाज) उलमा-ए-उम्मत में सबसे ज़्यादा मक़बूल है। इस शरह की 10 जिल्दें हैं।

सही मुस्लिम व उलमा-ए-देवबन्द की खिदमात - बर्रे सगीर में मदारिसे इस्लामिया के ज़रिये अहादीस की ऐसी अज़ीम खिदमात पेश की गई हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे में इन खिदमात का एतेराफ किया गया। और सिर्फ 150 साल की तारीख में इन मदारिसे इस्लामिया से लाखों फुज़ला अहादीस की मशहूर व मारूफ किताबें पढ़ कर अरब व अजम में फैल गए। दारूल उलूम देवबन्द और इस तर्ज़ पर बर्रे सगीर में क़ायम मदारिसे इस्लामिया से लाखों उलमा-ए-किराम क़ुरानी तालीमात से वाक़िफ हो कर हर साल सही मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबें पढ़कर उलूमे नबूवत को उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाने में मसरूफ हो जाते हैं।

उलमा-ए-देवबन्द की तहरीर करदा सही मुस्लिम की बाज़ शुरूह: बर्रे सगीर के उलमा खास तौर पर उलमा-ए-देवबन्द ने सही मुस्लिम की बहुत सी शुरूह लिखी हैं जिनमें से शैख शब्बीर अहमद उसमानी और मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी दामत बरकातुहूम की शरह मुस्लिम को अरब व अजम में बड़ी शोहरत हासिल हुई है।

“मौसूअह फतहुल मुलहिम बेशरह सही इमाम मुस्लिम” यह सही मुस्लिम की अहम व मक़बूल शरह है जो अरबी ज़बान में शैख शब्बीर अहमद उसमानी ने लिखी है लेकिन शरह पूरी होने से पहले

ही आपका इंतिक़ाल हो गया। इसकी दो जिल्दें हैं जो "किताबुन निकाह" तक है।

"तकमिलह फतहुल मुलहिम" वालिद मोहतरम मोहम्मद शफी के फरमान पर मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी दामत बरकातुहुम ने "किताबुर रज़ाअत" से आखिर तक 6 जिल्दों में इस शरह को अरबी ज़बान में पूरा किया। मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी दामत बरकातुहुम ने इब्तिदाई 6 जिल्दों पर तालीक़ात भी तहरीर फरमायीं, इस तरह मुफती मोहम्मद तक़ी उसमानी साहब की कोशिशों से यह शरह मंज़रे आम पर आई। उम्मते मुस्लिमा खास कर अरब उलमा में इस शरह को खास मक़बूलियत हासिल हुई है। लेबनान के बहुत से नाशेरीन इस शरह के बेशुमार नुसखे शाये कर चुके हैं। असरे असरे हाज़िर के मशहूर व मारूफ अरब आलिमे दीन डाक्टर यूसुफ करज़ावी साहब और शैख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दह अलहलबी ने इस शरह की तक़रीज की है।

"अलहल्लुल मुफहिम लिसहीहिल मुस्लिम" यह शैख रशीद अहमद गंगोही का दरसे मुस्लिम है जिसको शैख मोहम्मद यहया कांधलवी ने लिखा है और शैख मोहम्मद ज़करिया कांधलवी ने अपनी तालीक़ात के साथ इसको शाए कराया है। इसकी दो जिल्दें हैं।

"नेमतुल मुनइम फी शरहिल मुजल्लदुस सानी लिमुस्लिम" शैख नेमतुल्लाह आज़मी दामत बरकातुहुम की तालीफ है जो "किताबुल

बुयू” से लेकर “बाबु इस्तिहबाबिल मुवासात बिफुज़ूलिल मा” तक है जिसकी 383 सफहात पर मुशतमिल एक जिल्द शाए हो चुकी है।

सही मुस्लिम शरीफ मुतर्जम अरबी उर्दू - शैख आबिदुर रहमान कांधलवी ने उर्दू ज़बान में सही मुस्लिम का तरजुमा किया है। शैख मोहम्मद अब्दुल्लाह फाज़िल तखस्सुस फिलइफता दारुल उलूम कराची ने मुख्तसर मुफीद हवाशी लिखें हैं जिसकी तीन जिल्दें हैं। इमाम मुस्लिम की मुख्तसर ज़िन्दगी के हालात लिखने में राक़िमुल हुरूफ ने इस किताब से खास इस्तिफादा किया है।

मुक़द्दमा सही मुस्लिम: सही मुस्लिम का मुक़द्दमा कई वजह से बड़ी अहमियत का हामिल है। इस मुक़द्दमा में वजहे तालीफ के अलावा फन रिवायत के बहुत से फवायद जमा किए गए हैं। इमाम मुस्लिम ने यह मुक़द्दमा तहरीर करके उसूले हदीस के फन की बुनियाद क़ायम कर दी है। इस मुक़द्दमा की खुसूसी अहमियत की वजह से इसकी मुस्तक़िल शरह भी तहरीर की गई हैं। उलमा-ए-देवबन्द की मुंदरजा ज़ैल सही मुस्लिम के मुक़द्दमा की शरह तलबा में काफी मक़बूल हैं।

उमदतुल मुफहिम फी हल्ले मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख अब्दुल कादिर मोहम्मद ताहिर रहीमी।
फैज़ुल मुनइम शरह मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख सईद अहमद पालनपूरी।
नेमतुल मुनइम शरह मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख नेमतुल्लाह आज़मी।

ईजाहुल मुस्लिम शरह मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख गानिम देवबन्दी।
फैजुल मुलहिम शरह मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख इस्लामुल हक़ कोपागंजी।
नुसरतुल मुनइम शरह मुक़द्दमा मुस्लिम - शैख उसमान गनी।

सही बुखारी व सही मुस्लिम का मुवाज़ना: हदीस की बहुत सी किताबें लिखी गईं हैं, मगर उलमा-ए-किराम ने छः किताबों को ज़्यादा मुस्तनद क़रार दे कर सिहाए सित्तह (छः सही किताबों) का खिताब दिया है यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन नसई, सुनन अबू दाउद, सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा। इन किताबों में से सही बुखारी व सही मुस्लिम को सबसे ज़्यादा मुस्तनद क़रार दिया है। सही बुखारी व सही मुस्लिम में कौन सी किताब ज़्यादा मोतबर और किस किताब का मक़ाम बुलंद है। अक्सर उलमा व मुहद्दिसीन ने सही बुखारी को सही मुस्लिम पर फौक़ियत व फज़ीलत दी है, अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन व उलमा ने सही मुस्लिम को सही बुखारी पर फौक़ियत दी है।

हाफिज अब्दुर रहमान बिन अली अररबी यमनी शाफई ने लिखा है कि एक जमाअत ने मेरे सामने बुखारी व मुस्लिम में तरजीह व फज़ीलत के बारे में गुफतगू की, मैने जवाब मे कह दिया कि सेहत में बुखारी और हुस्ने तरतीब में मुस्लिम क़ाबिले तरजीह है।

शैख अबू उमर बिन अहमद बिन हमदान बयान करते हैं कि मैं शैख अबुल अब्बास बिन उकदा से पूछा कि बुखारी व मुस्लिम में से किसे

फौक़ियत हासिल है? फरमाया दोनों मुहद्दिस हैं। मैंने दोबारा पूछा तो फरमाया इमाम बुखारी अक्सर नामों और कुन्नियतों के मुगालते में आ जाते हैं, मगर इमाम मुस्लिम इस मुगालते से बरी हैं। गरज़ ये कि सही मुस्लिम के मतन का हुस्ने सियाक़, तलखीसे तुरुक़ और ज़ब्ते इंतिशार सही बुखारी पर भी फायक़ है। अहादीस के मतन को मोतियों की तरह इस तरह रिवायत किया है कि अहादीस के मानी चमकते चले जाते हैं।

शाह अब्दुल अज़ीज़ लिखते हैं कि सही मुस्लिम में खुसूसियत के साथ फन हदीस के अजाइबात बयान किए गए हैं और उनमें सब से खास मतन का हुस्ने सियाक़ है और रिवायत मे एहतियात इस क़दर है कि जिस मे कलाम करने की गुंजाइश ही नही, आसानीद की तलखीस और ज़ब्ते इंतिशार में यह किताब (सही मुस्लिम) बेनजीर वाके हुई है।

इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में यह शर्त लगाई है कि वह अपनी किताब (सही मुस्लिम) में सिर्फ वह अहादीस बयान करेंगे जिसे कम से कम दो सिकह ताबेईन ने दो सिकह रावियों से नक़ल किया हो और यही शर्त तमाम तबक़ाते ताबेईन और तबे ताबेईन में मलहूज़ रखी है यहां तक कि रिवायत का सिलसिला इमाम मुस्लिम पर आकर खत्म हो जाए।

इमाम मुस्लिम रावियों के औसाफ में सिर्फ अदालत को मलहूज़ नहीं

रखते बल्कि शहादत के शराएत को भी पेशे नज़र रखते हैं। इमाम बुखारी के नज़दीक इस क़दर पाबन्दी नहीं है।

इमाम मुस्लिम ने हर हदीस को जो उसके लिए मुनासिब मक़ाम था वहीं ज़िक्र किया है और उसके तमाम तरीकों को उसी मक़ाम पर बयान कर दिया है और उसके मुख्तलिफ अल्फाज़ को एक ही मक़ाम पर बयान कर दिया है, ताकि तालिबे इल्म को आसानी हो, अलबत्ता यह बात सही बुखारी में नहीं है।

सही मुस्लिम की एक इमतियाज़ी सिफत यह है कि इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में तालीक़ात बहुत कम ज़िक्र की हैं, बरखिलाफ इमाम बुखारी के कि उनकी किताब में तालीक़ात बकसरत हैं।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिल की, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़ (सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुतूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयिोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले कुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR